रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1973 (फाल्गुन 26, 1894)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1973 (PHALGUNA 26, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III— खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

गैर बैंकिंग कंपनी विभाग

कलकत्ता—1, दिनांक 18 नवंबर, 1972

संदर्भ सं० डी० एन० बी० सी० 16/डी० जी० (एस०)—72—रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की 45 ञ, 45ट और 45ठ धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 में 1 जनवरी 1973 से नीचे लिखे प्रकार से संशोधन किये जाएं, अर्थात् :—

I. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के—

1. खंड (क) को निकाल दिया जाए ;

2. खंड (ख) के उप खंड (i) में जहां कहीं 'ऋण' शब्द आता है वहां उसके स्थान पर 'रकम' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ;

3. खंड (घ) के उप खंड (ii) में आने वाले 'कोई ऋण जो ऐसी शर्तों पर प्राप्त किया गया हो' शब्दों के स्थान पर 'कोई रकम जिसकी वापसी अदायगी के लिए निम्नलिखित प्रकार से जमानत ले ली गई हो' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ;

4. खंड (घ) के उप खंड (iii) में 'किसी' शब्द के बाद आने वाले 'ऋण' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और उप खंड में आने वाले 'या' शब्द और 'किसी अंजीकृत व्यक्ति से' शब्दों के बीच 'कोई प्राप्त ऋण' शब्द जोड़ दिये जायें ;

5. खंड (घ) के उप खंड (v) को निकाल दिया जाए ;

6. खंड (च) के उप खंड (vi) में 'ऋण' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और उसमें जहां कहीं 'सरकार' शब्द आता हो वहां उसे निकाल दिया जाए ;

7. खंड (च) के उप खंड (vii) के अंत में आने वाले 'और स्टाक एक्सचेंज या स्टाक दलाली कंपनी के मामले में प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में प्राप्त कोई रकम' इन शब्दों को निकाल दिया जाए ;

8. खंड (च) के उप खंड (viii) में आने वाले 'मीयादी, आवर्ती, प्रासंगिक या दूसरी जमाराशियों के रूप में उसके सहयोगी सदस्यों या' शब्दों को निकाल दिया जाए ;

9. खंड (च) के उप खंड (ix) में जहां कहीं "ऋण" शब्द आया हो वहां "रकम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और "कंपनी के सचिवों और कोषाध्यक्षों" शब्दों के बाद "या किसी निजी कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त की गई कोई रकम" शब्द जोड़ दिये जायें ;

10. खंड (च) के उप खंड (ix) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ दिया जाए :

"परन्तु जनवरी 1973 की पहली तारीख को या उसके बाद प्राप्त किसी रकम के संबंध में, जिस व्यक्ति से वह रकम प्राप्त हुई हो उसने कंपनी द्वारा रकम प्राप्त किये जाते समय लिखित रूप में यह घोषणा कर दी हो कि उक्त व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार करके अर्जित की गई निधियों में से वह रकम नहीं दी गई है।";

11. खंड (च) के उप खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(xii) किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों (ऐसे बांड या डिबेंचर कंपनी की आस्तियों पर प्रभार या ग्रहणाधिकार की जमानत पर जारी किये गये हों) में किये गये अभिदान के रूप में प्राप्त तब तक कोई रकम जब तक कि उक्त शेयरों, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों का नियतन न हो जाए, और";

12. खंड (च) के उप खंड (xiii) के बाद खंड (चच) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"(चच) "जमाकर्ता" में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने कोई ऋण दिया हो";

13. खंड (छ) में "या आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा (3)" शब्दों के बाद "या आय कर अधिनियम 1961 की धारा 33 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत विकास छूट के लिए निर्मित कोई रक्षित निधि" शब्द जोड़ दिये जायें ;

14. खण्ड (ङ) में "कोई ऋण या अग्रिम के रूप में" शब्दों के पहले आने वाले "वित्तीय उदायता" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय व्यवस्था" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें और उसमें "ऋण या अग्रिम या अन्यथा" शब्दों के बाद आने वाले "व्यापार, उद्योग, वाणिज्य या कृषि" शब्दों को निकाल दिया जाए ;

15. खण्ड (ङ) में "आवास वित्त" शब्दों के बाद आने वाले "बीमा" शब्द और उसमें "स्टाक एक्सचेंज या स्टाक दलाल कंपनी" शब्दों के पहले आने वाले पारस्परिक "लाभवाली वित्तीय कंपनी" शब्द निकाल दिये जायें;

16. खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ण) पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी" से बैंकिंग कंपनी न रहने वाली ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसका प्रधान कारोबार अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार करना हो और जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी हो" ;

17. खंड (ञ) की उपखंड (ii) में "कंपनी के मैनेजर" शब्दों के पहले "निदेशक बोर्ड या प्रबंध निदेशक या" शब्द जोड़ दिये जायें;

II. पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति :

(1) 1 जनवरी 1973 को और उस तारीख से—

(क) कोई पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी अपने सदस्यों को छोड़कर अन्यों से जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी।

(ख) कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मांग या नोटिस पर अदा की जाने वाली या ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों से कम अवधि के बाद अदा की जाने वाली कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी या इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद में उसके द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमाराशि का जब तक नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि नवीकरण की गई जमाराशि उसके नवीकरण किये जाने की तारीख से 6 महीनों के पहले प्रतिदेय न हो।

(ग) ** ** ** ** ** **

(घ) कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो किराया खरीद कंपनी या आवास वित्त कंपनी नहीं है ऐसी कोई जमाराशि, किसी ऐसी जमाराशि सहित, स्वीकार नहीं करेगी जो उसी वर्ग (इसके बाद निर्दिष्ट वर्ग) के अंतर्गत आती हो और जो पहले ही प्राप्त की गई हो और जो कंपनी के बहियों में बकाया रहती हो और इस खंड के उप खंड (i) में उल्लिखित वर्ग में आने वाली जमाराशि, ऐसे व्यक्तियों

से ऋण के रूप में गारंटी की गयी बकाया जमाराशियां सहित, जो गारंटी प्रदान करते समय कंपनी के प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष थे, के निम्नलिखित वर्ग की जमाराशियों के प्रत्येक अलग अलग वर्ग के लिए निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने के मामले में उसे स्वीकार नहीं करेगी, अर्थात् :—

(i) गैर जमानती डिबेंचर या किसी सदस्य से प्राप्त जमाराशि (जो किसी निजी कंपनी द्वारा उसके सदस्यों से पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (i) के खंड (च) के उप खंड (ix) में उल्लिखित घोषणा पर प्राप्त जमाराशि नहीं है) या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत जमाराशि, जो गारंटी देते समय निदेशक हो, कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त रक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत ;

(ii) किसी दूसरी जमाराशि के मामले में कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त रक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत ।

(2) किसी भी आशंका को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि कोई पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी अपने सदस्यों से उक्त सदस्यों और कंपनी के बीच लिखित या निहित किन्हीं करारों में निर्दिष्ट किन्हीं अवधियों के लिए जमाराशि स्वीकार कर सकती है ।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए "सदस्य" अभिव्यक्ति का तात्पर्य केवल उस व्यक्ति से होगा जो कंपनी में शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत (रजिस्टर) हो"

III पैराग्राफ 4 के—

1. उप पैराग्राफ (1) और (2) में आने वाले "1 जनवरी 1972 को" शब्दों के पहले "कारोबार शुरू होने के समय" शब्द दिये जायें ;
2. उप पैराग्राफ 3 में "1 जनवरी 1972 को" शब्दों के पहले "कारोबार शुरू होने के समय पर" शब्द जोड़ दिये जायें ;
3. उप पैराग्राफ (3) में आने वाले "पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के खंड घ के उप खंड (i) में उल्लिखित प्रकार" शब्दों के स्थान पर "उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित चार प्रकारों में से एक या उससे अधिक" ये शब्द प्रतिस्थापित किये जायें;
4. उप पैराग्राफ (3) में जहां कहीं "या, यथास्थिति, बारह महीनों" शब्द आते हों, वहां उन्हें निकाल दिया जाए ;
5. स्पष्टीकरण में "इस उप पैराग्राफ" शब्दों और "पैराग्राफ 3(1)(घ)" शब्दों के बीच आने वाला "और" शब्द को एक स्पल्पविराम से प्रतिस्थापित किया जाए और उसमें आने वाले "घटा दिया जाएगा" शब्दों के पहले "और निम्नलिखित पैराग्राफ 4क" शब्द जोड़ दिये जायें :

IV पैराग्राफ 4 के बाद निम्नलिखित को पैराग्राफ 4क के रूप में जोड़ दिया जाए :

"4क पारस्परिक वित्तीय लाभवाली कंपनियों के संबंध में विशेष उपबन्ध :

जहां 1 जनवरी 1973 को कारोबार शुरू होने के समय इस विनियमावली के पैराग्राफ 2के उप पैराग्राफ (1) के खंड (च) के उप खंड (viii) के केवल संशोधन के फलस्वरूप ही किसी पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी की इस निदेशावली के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (घ) के उप खंड (ii) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियों की राशि कंपनी की कुल चुकता पूंजी और मुक्त रक्षित निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो वहां ऐसी कंपनी यह इतमीनान कर लेगी कि जब कभी जमाराशियां अदायगी के लिए पुग जाती हैं तब उनकी वापसी अदायगी करके या इस उपबन्ध के अनुपालन के लिए आवश्यक किसी दूसरे तरीके से ऐसी अतिरिक्त राशि को 1 जनवरी 1974 के पहले कम कर दिया जाए ।"

V 1. पैराग्राफ 5 के वर्तमान परन्तुक के सामने नई संख्या डालकर उसे उप पैराग्राफ (1) बना दिया जाए । इस प्रकार संख्या डाले गये उप पैराग्राफ (1) में दो स्थानों पर आने वाले "कंपनी के मैनेजर" शब्दों और "मैनेजर ने विज्ञापन का मजबूरन मंजूर किया हो" शब्दों के पहले "निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक या" शब्द जोड़ दिये जायें;

2. पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"(2) 1 अप्रैल 1973 को और इसी तारीख से कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी भी जमाराशि को तब तक स्वीकार, नवीकृत या परिवर्तित नहीं करेगी जब तक कि जमाकर्ता ने कंपनी द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उस फार्म पर लिखित आवेदन न किया हो जिसमें इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी विवरण दिये जाने चाहियें ।

VI पैराग्राफ 6 के वर्तमान उप पैराग्राफ (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(ii) उक्त रसीद पर कोई ऐसा अधिकारी विधिवत् हस्ताक्षर करेगा जो कंपनी की ओर से यह कार्य करने का हकदार हो और वह इस रसीद पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम और जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गयी रकम का अक्षरों और अंकों में, बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा और साथ ही उस पर देय ब्याज की दर और उसके प्रतिदेय होने की तारीख का भी बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा ।"

VII पैराग्राफ 7 के उप पैराग्राफ (i) के खंड (खख) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"(खख) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और नियत तारीख"

VIII पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (ii) में "10 लाख रुपये" शब्दों और अंक के स्थान पर "5 लाख रुपये" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायें ।

IX पैराग्राफ 9 के—

1. उप पैराग्राफ (क) में आने वाले "ऐसी जमाराशि की प्राप्ति" शब्दों के बाद एक स्पल्प विराम जोड़ दिया जाए और उसमें "किसी दर पर ब्याज अदा" शब्दों के पहले आने वाले "किराया खरीद वित्तीय कंपनियों के मामले में और दूसरी वित्तीय कंपनियों के मामले में ऐसी जमाराशियां प्राप्त होने की तारीख से बारह महीने" शब्द निकाल दिए जायें;

2. उप पैराग्राफ (ख) के (v) और (vi) खंडों को निकाल दिया जाए ।

X पैराग्राफ 10 में "अनुसूचित बैंक" शब्दों के बाद "किसी भार या ग्रहणाधिकार से मुक्त" शब्द जोड़ दिये जायें ।

XI पैराग्राफ 13 के वर्तमान परंतुक के सामने नई संख्या डालकर उसे उप पैराग्राफ (1) बना दिया जाए और उसके बाद उप पैराग्राफ (2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"(2) (i) प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इस परन्तुक के लागू होने की तारीख को या कारोबार शुरू करने की तारीख, में से जो भी तारीख बाद में आती हो उसके बाद एक महीने के भीतर रिजर्व बैंक को निम्नलिखित सूची देते हुए एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी—

(क) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम और अधिकृत पदनाम;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम और रिहायशी पते; और

(ग) उप पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट विवरणियों पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर ।

(ii) इस उप पैराग्राफ के उप खंड (i) में दी गयी सूची में यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उसकी सूचना ऐसा परिवर्तन किये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर रिजर्व बैंक को दी जाए ।"

XII पैराग्राफ 14 में "कलकत्ता–1" शब्दों के बाद "या उक्त विभाग के किसी कार्यालय, जिसको उन्हें भेजने का निदेश दिया गया हो", शब्द जोड़ दिये जायें ।

XIII पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं अनुसूचियों के स्थान पर यहां दी गयी संबंधित अनुसूचियां प्रतिस्थापित किया जाए ।

एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर

गोपनीय

फार्म-एच०पी०

पहली अनुसूची

(तारीख 29 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी 1/ई०डी० (एस०)-66 का पैराग्राफ 13 देखें)

(इस फार्म के सभी भाग सभी किराया-खरीद वित्तीय कम्पनियों तथा उन सभी पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कम्पनियों, जो अपने प्रमुख कारोबार के रूप में किराया-खरीद के लेन-देन करती हों या ऐसे लेन-देनों की वित्तीय सहायता करती हों, द्वारा भरे जाएं)

भाग I

किराया खरीद का कारोबार करने वाली या उसकी वित्तीय सहायता करने वाली कम्पनियों के पास 31 मार्च, 197 को रहने वाली जमाराशियां

संकेत सं० (1) कंपनी का नाम

———— (2) पूरा पता

(क) पंजीकृत कार्यालय ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(ख) *प्रधान/प्रशासी कार्यालय ————————————————————

———— (3) किस राज्य में कम्पनी पंजीकृत है ————————————————————

———— (4) हैसियत* : निजी/सार्वजनिक समिति कम्पनी/विदेशी कम्पनी की शाखा

(5) कम्पनी की पंजीकरण संख्या ————————————————————

(6) (क) स्थापना की तारीख ————————————————————

(ख) कारोबार प्रारंभ होने की तारीख ————————————————————

(7) कम्पनी का वित्तीय वर्ष ————————————————————

(8) कम्पनी के बैंकर(रों) का (के) नाम और पता ————————————————————

*जो लागू न हों उसे काट दें ।

नोट :—इस विवरणी को भरने के बाद मुख्य अधिकारी, गैर-बैंकिंग कम्पनी विभाग रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 15, नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571 कलकत्ता-1 के पास भेजा जाए ।

फार्म के भाग-I को भरने के लिए अनुदेश

1. 31 मार्च तक की कम्पनी की स्थिति के संबंध में इस भाग की विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अन्तिम रूप देना/समाप्त करना जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। कंपनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आकड़ो के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए।

3. किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी है, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, चिट या कुरी करारों के अभिदानों के रूप में प्राप्त राशि को जमा राशि के रूप में नहीं समझा जाएगा; देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली 1966 के पैराग्राफ 2(1)(च) का खन्ड (vii)।

4. तारीख 29 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना सं०डी०एन०बी०सी० 1/ई०डी०(एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1)(च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों को छोड़ कर गैर जमानती उधारों को जमाराशियों के रूप में माना जाता है।

5. भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों को जमा राशियों के रूप में माना जाता है। यदि उपर्युक्त गैर जमानती ऋणों को अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) में उल्लिखित और इस भाग के खण्ड (i) के संकेत सं० 1 के अधीन वर्गीकृत जमाराशियों के रूप में स्वीकार करना है तो उन्हें निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना होगा :—

(क) ऋणकर्ता कम्पनी को वचनपत्रों द्वारा या ऋण करारों को प्रामाणित करनेवाले पत्राचारों द्वारा उन्हें प्रमाणित करना चाहिए,

(ख) कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, अपनी वैयक्तिक हैसियत से इन ऋणों की वापसी अदायगी के लिए गारंटी दी जानी चाहिए, और

(ग) इन ऋणों को कम्पनी की बहियों में सावधि ऋण लेखों में रखना चाहिए। ऋणों की आंशिक वापसी अदायगी की जा सकती है; किन्तु नये ऋणों की राशि उसी लेखे में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

यदि उपयुक्त कोई गैर जमानती ऋण उक्त तीन मानदण्डो में से किसी की पूर्ति न करे तो उसे अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि के रूप में माना जाए और इस कारण उसे यथास्थिति इस भाग के खड (i) में संकेत सं० 6 या 7 के अधीन वर्गीकृत किया जाए।

6. फिलहाल लागू रहनेवाली किसी सहकारी विधि के अधीन, पंजीकृत व्यक्ति से स्वीकृत ऋणों को, यदि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 के (क) और (ग) में उल्लिखित मानदण्डों की पूर्ति करें तो 'जमाराशि' की परिभाषा से छूट दी जाती है।

7. लेखों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए और जमाराशि का उल्लेख हजार रुपयों में किया जाना चाहिए। राशि को निकटतम हजार में पूर्णांकित करना चाहिए और तीन शून्यों को हटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए रु० 4,560 की 5 के रूप में दिखाना चाहिए, न कि 4.6 या 5000 के रूप में।

8. विवरणी के इस भाग के खण्ड (iii) में जमा राशि प्राप्त करने के लिए अदा की गयी दलाली को ब्याज-दर में जोड़ना नहीं चाहिए, किन्तु सारणी के अन्त में पाद टिप्पणी में उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

9. प्राप्त की गई कोई ऐसी राशि जिसे विशिष्ट रूप से तारीख 29 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी०-1/ई०गी०(एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1) (च) के उपखण्ड (i) से लेकर (xiii) में उल्लिखित 'जमा राशि' से अलग किया गया है, विवरणी के इस भाग के खण्ड (i), (ii) और (iii) की मद III के अन्तर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के अधीन वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्यास के रूप में प्राप्त राशि, माल की सप्लाई या सेवाओं के लिए प्राप्त पेशगी रकम, ठेकेदारों से प्राप्त जमानत राशि और अन्य छूट प्राप्त राशियों को विवरणी के इस भाग के खण्ड (i) में सं० 10 से 17 तक के संकेतों में से किसी भी संकेत के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता; किन्तु उन्हें उसी खण्ड के संकेत सं० 18 के अन्तर्गत दिखाया जाए।

10. विवरणी के इस भाग के खण्ड (ii) में उल्लिखित जमाराशियों का अवधिवार वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार जिनके लिए वे मूलत: प्राप्त की गई हैं पहले नवीकृत की गई हैं और न कि उन अवधियों के अनुसार जहां तक उन्हें 31 मार्च अर्थात् विवरणी की तारीख से जारी रहना चाहिए, मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। जिन राशियों की समाप्ति की अवधि निर्दिष्ट नहीं हो या जो राशियां किस्तों में चुकायी जानी हों, उन्हें उपर्युक्त मदों के अधीन क्रमश: संकेत सं० 1 और 10 के अन्तर्गत दिखाना चाहिए और तत्संबंधी परिस्थिति की उचित व्याख्या पाद टिप्पणियों में दी जानी चाहिए।

11. जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और ब्याज रहित प्राप्तियों को इस भाग के खण्ड (iii) में यथास्थिति मद I, II और III के अधीन क्रमश: संकेत सं० 1, 8 और 15 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।

12. केवल उन्ही प्रारक्षित राशियों को जिन्हें कम्पनी के तुलन पत्र में इस प्रकार दिखाया या प्रकाशित किया गया हो कि किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रख लिया जाता है, 'अबाध प्रारक्षित निधियों' के रूप में माना जाए और विवरण के इस भाग के खण्ड (iv) और (v) में दिखाया जाए। किसी ऐसी दूसरी प्रारक्षित निधियों को जिसे लेखा परीक्षित तुलन पत्र में इस प्रकार

दिखाया गया हो कि उसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है, हिसाब में नही लेना चाहिए चाहे उसके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो। निम्नलिखित प्रारक्षित निधियों को सामान्यतः अबाध्य प्रारक्षित निधियों के रूप में माना जाता है :—

(i) सामान्य प्रारक्षित निधि
(ii) पूंजीगत प्रारक्षित निधि
(iii) पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि
(iv) आकस्मिक प्रारक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट प्रारक्षित निधि या विकास छूट प्रारक्षित निधि
(vi) शेयर प्रीमीयम लेखे मे जमा
(vii) सामान्य प्रारक्षित निधि के रूप में विद्यमान अधिशेष

13 अधिसूचना के पैराग्राफ 13(2)(i) की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के प्रमुख अधिकारियों के नामों और पदनामों तथा निदेशकों के नामों और पतों की सूची संलग्न की जानी चाहिए यदि उक्त सूची अब तक रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया को भेजी नही गयी हो।

14. जब तक अन्यथा कोई संकेत न दिया जाए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 में दी गयी परिभाषाएं, जहां तक वे संगत हों, लागू होगी।

15. विवरणी पर (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में दी हुई परिभाषा के अनुसार) प्रबन्धक को हस्ताक्षर करने चाहिएं और यदि कोई ऐसा प्रबन्धक न हो तो उसपर प्रबन्ध निदेशक या कम्पनी के किसी ऐसे अधिकारी को जिसे निदेशक बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर रिज़र्व बैंक को पेश किये गये हों, हस्ताक्षर करने चाहिएं। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित फार्म मे नही दिये गये हो तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर कर सकते हैं और उनके नमूना हस्ताक्षर अलग से पेश किये जा सकते है।

16. यदि विवरणी के किसी भाग /अनुभाग मे कोई भी सूचना नहीं देनी है तो उसमें 'कुछ नही' लिखा जाना चाहिए और उसके साथ जो गये प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर यथाविधि हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं।

खण्ड (1)

बकाया जमा राशियां आदि — 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
	I अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ)(i) में उल्लिखित जमा राशि वर्ग		
1.	(क) भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा गारंटी-कृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां		
2.	(ख) गैर जमानती डिबेंचर		
3.	(ग) सदस्य *(जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य नही होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां		
4.	(घ) निदेशकों द्वारा अपनी निजी हैसियत में गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां		
5.	(ङ) जोड़ (क+ख+ग+घ)		
	II अधिसूचना के पैराग्राफ3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि वर्ग		
6.	(च) सावधिक जमा राशियां		
	(चच) सहयोगी सदस्यों से प्राप्त जमाराशियां £		
7.	(छ) कोई दूसरी जमा राशियां		
8.	(ज) जोड़ (च+छ)		
9.	(I)+(II) का जोड़		

III छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता [अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1) (च) (i) से (xiii) तक देखें]

10. (झ) भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, से प्राप्त राशि
11. (ञ) निर्देशकों से प्राप्त राशि**
12. (ट) निजी सीमित कम्पनी के मामले में सदस्यों** से प्राप्त राशि
13. (ठ) कर्मचारियों से प्राप्त जमानत राशि
14. (ड) क्रय, विक्रय या अन्य एजेंटों से कारोबार के उद्देश्य के लिए प्राप्त राशि
15. (ढ) मिश्रित पूंजी कम्पनियों (उसी वर्ग की कम्पनियों को मिलाकर) प्राप्त राशि
16. (ण) जमानती उधार और बैंकों और अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से प्राप्त उधार
17. (त) विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि
18. (थ) अन्य छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता

19. (द) जोड़ (झ से थ तक)

20. IV उपर्युक्त I, II और III का जोड़

*यहां प्रयुक्त किये गए शब्द 'सदस्य' से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कम्पनी के शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत हो ।

**कृपया ध्यान दें कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमा राशि स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से प्राप्त राशि को छूट नहीं दी जाती [अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1) (च) (ix) देखें]। उसकी राशि को इस वर्ग में जोड़ने के पहले कम्पनी को उस व्यक्ति के इस आशय की एक घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए।

£परस्पर लाभवाली वित्तीय कम्पनियों के मामले में ही लागू होगा।

खण्ड (II)

जमा राशियों, आदि की अवधि 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (अनुदेश सं० 10 देखें)	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में
0 I	भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां, गैर जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कंपनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियों और निदेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां	1.	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 3 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		2.	3 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		3.	6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		4.	12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		5.	24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		

		6. 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		7. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		8. 1 से 7 तक का जोड़ [नोट सं० (i) देखें]		
00 II	जमा राशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	9. अति देय और/या अदावी		
		10. मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय; इनमें उपर्युक्त संकेत सं० 9 में उल्लिखित जमा राशियां शामिल नहीं हैं।		
		11. 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		12. 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		13. 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		14. 36 महीने से या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		15. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		16. 9 से 15 तक का जोड़ [नोट सं० (ii) देखें]		
000 III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात् निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियां या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों से—यदि कोई हों—जमानत के रूप में कर्मचारियों से, क्रय, विक्रय या दूसरे एजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और प्राप्तियां	17. मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		18. मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		19. 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		20. 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		21. 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		

	22. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
	23. 17 से 22 तक का जोड़ (नोट सं० iii देखें)	——	——
0000 IV I, II और III का जोड़		——	——
	(नोट सं० IV देखें)	——	——

नोट : (i) संकेत सं० 8 के जोड़ को खण्ड (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(ii) संकेत सं० 16 के जोड़ को खण्ड (i) के संकेत सं० 8 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(iii) संकेत सं० 23 के जोड़ को खण्ड (i) के संकेत सं० 19 से मेल खाना चाहिए।
(iv) खण्ड (ii) की मद iv के जोड़ को खण्ड (i) की मद iv के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

खण्ड (III)

जमा राशियों, आदि पर ब्याज दरें (दलाली शामिल नहीं है) 31 मार्च को 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	ब्याज दर	राशि (हजार रुपयों में)
0 I	भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां, गैर जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां और निदेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां	1.	5% और उससे कम	
		2.	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		3.	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		4.	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		5.	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		6.	12% या उससे अधिक	
		7.	1 से 6 तक का जोड़	
00 II	जमा राशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	8.	5% और उससे कम	
		9.	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		10.	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		11.	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		12.	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		13.	12% या उससे अधिक	
		14.	8 से 13 तक का जोड़	
000III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात् निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियां या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों से—यदि कोई हों- जमानत के रूप में कर्मचारियों से क्रय, विक्रय या दूसरे	15.	5% और उससे कम	
		16.	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		17.	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		18.	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		19.	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		20.	12% या उससे अधिक	

एजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियां या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और प्राप्तियां	21.	15 से 20 तक का जोड़
000 IV I, II और III का जोड़		

नोट : (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ को खण्ड (i) के क्रमशः संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

(ii) खण्ड (iii) की मद IV के जोड़ को खण्ड (i) की मद IV के जोड़ से मेल खाना चाहिए ।

खण्ड (IV)

अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1) (घ) और 3(1) (घ)(i) में उल्लिखित और मांग पर या नोटिस पर या 6 महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय जमा राशि वर्गों के नियमन को दर्शाने वाला विवरण

(राशि हजार रुपयों में)

————को कारोबार समाप्त होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त जमा राशियों की कुल रकम (अर्थात् खण्ड (ii) के संकेत सं० 1 और 2 का जोड़)	शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 25% (शुद्ध स्वाधिकृत निधियां याने चुकता पूंजी और अबाध प्रारक्षित निधि, यदि कोई हानि हुई हो तो उसके शेषांश को घटाकर)	*कृपया बताइए कि क्या ऐसी जमा राशियों को अधिसूचना के पैराग्राफ 4(3) के अनुसार नियमित कर दिया गया है। यदि नहीं किया गया है तो ऐसा न करने के कारणों को उल्लेख किया जाना चाहिए।
1	2	3	4
31 दिसम्बर 1971			
31 मार्च 1973			
31 मार्च 1974			
31 मार्च 1975			

नोट : *(i) यदि कुल अनियमित जमा राशियां कम्पनी की स्वाधिकृत निधियों के 25% से अधिक नहीं है तो ऐसी जमा राशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर देना चाहिए।

(ii) यदि कुल अनियमित जमा राशियां कम्पनी की स्वाधिकृत निधियों के 25% से अधिक हैं तो उन्हें निम्न प्रकार नियमित किया जाए : (क) कम से कम शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 25% के बराबर की जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले, (ख) कम से कम शेष अंश के अर्धांश को 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश को 1-4-1975 के पहले ।

खण्ड (V)

कम्पनी के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख की कम्पनी की तुलनात्मक स्थिति

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	————के तुलनपत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 की विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट-बढ़ हुई हो तो उसके कारण स्थूल रूप से दिये जाएं
1	2	3	4
अ—देयताएं			
1. चुकता पूंजी			
2. अबाध प्रारक्षित निधियां			
3. हानि का शेष यदि कोई हो			
4. जमाराशियां*			

@

1	2	3	4
	5. छूट प्राप्त ऋण/प्राप्तियां		
आ—आस्तियां			
	6. ऋण और अग्रिम		
	7. शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों (बही मूल्य) में निवेश		
	8. किराया खरीद अग्रिम		
	9. भूमि या मकानों की खरीद की वित्तीय सहायता करने के लिए ऋण		
	10. आय का मुख्य स्रोत (विवरणों सहित)		

*31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल अधिकतम जमाराशि और सम्बन्धित तारीख नीचे दी जाए :

(i) वर्ष के दौरान अधिकतम जमाराशियां (हजार रुपयों में) ————————

(ii) किस तारीख को उपर्युक्त अधिकतम राशि थी ————————

@खण्ड (i) के संकेत सं० 9 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

£खण्ड (i) के संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :—

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में दी गयी जमाराशियां कम्पनी की कारोबार सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त की गई या नवीकृत की गयीं।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) के परंतुक के अनुसार निदेशकों और सदस्यों** से लिखित रूप में ये घोषणाएं प्राप्त की गयी हैं कि उन्होंने कम्पनी को किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से रकम नहीं दी है।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने जमाराशियों की अभ्यर्थना करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ 5(1) के उपबन्धों का पालन किया है।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्धारित प्रणाली से 1 जनवरी 1973 को या उसके पहले जमाराशियां स्वीकार की गयीं हैं, नवीकृत की गई हैं या परिवर्तित की गयीं हैं।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(6) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में बतायी गयी प्राणाली से जमाराशियों की बहियां रखी गयीं हैं।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में पेश किए गए विवरणों/जानकारी का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

तारीख

प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत/अधिकारी के हस्ताक्षर* ————

(जो प्रमाणपत्र लागू न हो उसे काट दें)

नाम : ————————

पदनाम : ————————

विवरणी के अनुलग्नक :—

यदि निम्नलिखित दस्तावेज पहले ही भेजे न गये हों तो उन्हें विवरणी के साथ पेश किया जाए। संलग्न दस्तावेज के लिए सम्बन्धित मद के सामने चौकार में निशान लगा दें और अन्य मामलों में पेश किये जाने की तारीख का उल्लेख करें।

(1) इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे की प्रतिलिपि

(2) नमूना हस्ताक्षर कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदनपत्र की प्रतिलिपि

(4) 31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान यदि कोई विज्ञापन जारी किये गये हों तो उनमें से प्रत्येक की प्रतिलिपि

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश 13 देखें)

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत सं० देने वाले का नाम
जांच करने वाले का नाम
पंच करने वाले का नाम
सत्यापन करने वाले का नाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**केवल निजी सीमित कम्पनियों के मामले में लागू है।

भाग II

किराया खरीद के कारोबार के विवरण

(कृपया फ़ार्म के इस भाग को भरने के पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अनुदेश

1. इस भाग के खंड (ii) की विवरणी कंपनी की 31 मार्च की स्थिति के संबंध में 30 जून के पहले साल में एक बार पेश की जानी चाहिए। यदि कंपनी का वित्तीय वर्ष दूसरा हो तो खंड (ii) की विवरणी 31 मार्च की निकटतम तारीख को समाप्त होनेवाले कंपनी के वित्तीय वर्ष के संबंध में पेश की जाए; पहले छः महीने और दूसरे छः महीने को या निदेशों में दी गयी परिभाषा के अनुसार छमाही अवधि को) इस वर्ष की दो छमाहियों के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार जिस कंपनी को 31 मार्च 1973 तक की अपनी विवरणी पेश करनी हो और जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर 1972 को समाप्त होता हो उसे केवल उपर्युक्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 1973 की निकटतम तारीख) के संदर्भ में, और न कि 31 मार्च 1973 के संदर्भ में इस खंड को संकलित करना होगा। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया ऋण 31 मार्च 1973 और 31 मार्च 1972 के स्थान पर क्रमशः 31 दिसंबर 1972 और 31 दिसंबर 1971 की स्थिति से संबंधित हो और मंजूर किया गया नया ऋण 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1972 तक की पूरी अवधि से संबंधित हो। दो छमाहियों में प्राप्त की गयी किस्तें 30 जून 1972 और 31 दिसंबर 1972 की स्थिति से संबंधित हों।

2. वर्तमान वर्ष के अंत के बकाया रहनेवाले ऋण की राशि पिछले वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया ऋण और वर्तमान वर्ष के दौरान मंजूर किये गये नये ऋण में से दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों की राशि को घटाने के बाद निकलनेवाले आंकड़ों के बराबर हो।

3. यह विवरणी जब पहली बार पेश की जा रही हो तब इस भाग के खंड (i) में दिये गय प्रश्नों के उत्तर ब्यौरेवार दिये जाने चाहिए; उसके बाद यदि कोई परिवर्तन किया गया हो या कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो केवल उसका उल्लेख किया जाए ।

4. ऐसी किसी कंपनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी हो परंतु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती हो किराया खरीद के लेनदेनों या ऐसे ऋणों को जिन्हें चिट फंड की आस्तियों के रूप में माना जाता हो, शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

खंड (I)

प्रश्नावली

(कृपया उपर्युक्त अनुदेश 3 देखें)

(अ) प्रश्न	(आ) उत्तर
1. क्या आपकी कंपनी किसी निर्माण कंपनी की सहायक कंपनी है या अन्यथा किसी निर्माण या व्यापार प्रतिष्ठान से संबद्ध है ? यदि ऐसी हो तो अत्यंत संक्षेप में ऐसी कंपनी के आवश्यक विवरण दिये जाएं ।	
2. आपकी कंपनी किराया-खरीद के आधार पर जिस माल का लेनदेन करती हो उसके स्कूल प्रकारों का उल्लेख किया जाए (अर्थात् मोटरगाड़ियां, टिकाऊ घरेलू वस्तुएं आदि) ।	
3. (क) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋणों के लिए आपकी कंपनी द्वारा सामान्यत: लिये जानेवाले एकसी (फ्लैट) ब्याज* (प्रतिशत वार्षिक) की दर (एक समान)* क्या है?	
(ख) अधिकांश लेखों के किाया खरीद ऋणों के लिए आपके द्वारा ली जानेवाली वास्तविक ब्याज दर** (प्रतिशत वार्षिक) क्या है ?	
(ग) क्या आप किराया-खरीद ऋण का वितरण ब्याज के लिए कोई अग्रिम कटौती किये बिना करते हैं ?	
(घ) किन समयांतरों में आप ब्याज की वसूली करते हैं ?	
4. माल के किराया खरीद संबंधी बिक्री मूल्य में ब्याज के अलावा और कौन से प्रमुख प्रभार शामिल किये जाते हैं ? (किराया खरीद करनेवालों के साथ किये गये करार के फार्म की एक प्रतिलिपि यदि इसके पूर्व पेश न की गयी हो तो अब हमारे पास भेजी जाए)	
5. आपकी कंपनी जिस आधार पर किराया खरीद करनेवाले की तत्काल अदायगी की राशि या नकदी जमाराशि निर्धारित करती है ? यदि यह संबंधित माल बिक्री मूल्य का कोई निर्धारित प्रतिशत हो तो कृपया उस प्रतिशत का उल्लेख करें ।	
6. क्या आप किराया खरीद करनेवालों से ली गयी नकदी जमाराशि या तत्काल अदायगी पर ब्याज अदा करते हैं । यदि हां तो कृपया दिये जानेवाले ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक) का उल्लेख करें ।	
7. पूंजी और प्रारक्षित निधि और किराया-खरीदारों की जमाराशियों के अलावा आपके कारोबार की निधियों के दूसरे स्रोत क्या हैं ?	

*ब्याज की एक सी (फ्लैट) दर का अर्थ वह दर है जो मंजूर की गयी किराया-खरीद की पूरी राशि पर लगायी गयी हो, न कि देय रहनेवाली घटती ; ई बकाया राशि पर लगाई गयी ब्याज दर है ।

**ब्याज की सही दर का अर्थ समय समय पर बकाया रहनेवाले ऋण की वास्तविक राशि पर लगायी गयी ब्याज की दर है ।

खंड II

31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के लिए किराया खरीद कारोबार

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें)

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	किराया खरीद के माल	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के दौरान मंजूर किया गया नया ऋण		31 मार्च 197 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के अंत में बकाया ऋण	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष की दो छमाहियों के दौरान प्राप्त किस्तें*		31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के अंत में बकाया ऋण	(कृपया अनुदेश 2 देखें)
		राशि	करार की अवधि	राशि	30 सितंबर राशि	31 मार्च राशि	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(क) मोटर गाड़ियां							
01	(i) ट्रक ००० और लारियां							
02	(ii) कार							
03	(iii) स्कूटर							
04	(iv) अन्य							
	(ख) टिकाऊ घरेलू वस्तुएं							
001	(i) रेडियो रिसीवर							
002	(ii) पंखे							
003	(iii) रेफ्रीजरेटर							
004	(iv) सिलाई की मशीनें							
005	(v) अन्य							
010	(ग) कृषि-उपकरण : (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)							
020	(घ) औद्योगिक मशीनें या औजार या उद्योग के काम आनेवाले उपकरण							
030	(ङ) अन्य सभी							
040	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)							

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाता है कि खंड (i) और (ii) के अंतर्गत कंपनी के किराया-खरीद कारोबार के जो आंकड़े दिये गये हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं ।

* कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ II देखें ।

** जो लागू न हो उसे काट दें ।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

तारीख :

खंड (III)—(1) जमाराशियों और (2) नकदी आस्तियों के विवरण

(जमाराशियों और नकदी आस्तियों अर्थात् निम्नलिखित (1) और (2) के विवरणों के अधीन उस वर्ष के जिसके लिए विवरणी पेश की जाती हो, 31 मार्च को समाप्त हुए 12 महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक महीने के अंत में रहनेवाले आंकड़े दिये जाएं।)

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत संख्या		पिछला वर्ष							
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
001	(1) जमाराशियां (अधिसूचना के पैराग्राफ 2 (1)(च) में परिभाषित अर्थात् भाग I के खंड (i) के संकेत सं० 9 का जोड़									
	(2) नकदी आस्तियां*									
1	(क) नकदी में									
2	(ख) अनुसूचित बैंकों के चालू या किसी अन्य जमा लेखे में, जो किसी प्रभार या गहन से मुक्त हो।									
3	(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की भारमुक्त प्रतिभूतियों में या दूसरी ऐसी भारमुक्त प्रतिभूतियों में जिनमें कोई न्यासी न्यास धन का निवेश करने के लिए हकदार हो।									

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों और नकदी आस्तियों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ 10 देखें।
**जो लागू न हो उसे काट दें।
तारीख :

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत सं० देनेवाले का नाम

जांच करनेवाले का नाम

पंच करनेवाले का नाम

सत्यापन करनेवाले का नाम

भाग III

ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों के विवरण

(फार्म का यह भाग भरने के पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अनुदेश

1. कंपनी की 31 मार्च तक की स्थिति के संबंध में इस भाग की विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो ।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने/समाप्त करने जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में, विलंब नहीं होना चाहिए । कंपनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए ।

3. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए किसी वर्ग से वही अर्थ लिया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 373 की उपधारा (11) में दिया गया है ।

4. बही उधारों को खंड (i) में दर्शाना नहीं चाहिए जब तक बही उधार के रूप में किया गया लेनदेन प्रारंभ से ही ऋण के रूप में न हो ।

5. खंड (i) के (IV)(6) में 'अन्य' के अंतर्गत उन पार्टियों के संबंध में अलग विवरण दिये जाने चाहिए जिन्हें कंपनी की अभिदत्त पूंजी के 10% से अधिक ऋण या अग्रिम प्रदान किये गये हों और वे बकाया हों ।

6. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से वे प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो सरकारी ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2(2) के अंतर्गत "सरकारी प्रतिभूति" की परिभाषा में शामिल की गयी हैं ।

7. किसी ऐसी कंपनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी हो, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड का कारोबार भी करती हो, इनाम प्राप्त चिट अभिदाताओं से प्राप्त होनेवाली इनाम की राशि और चिट कारोबार को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए चिट फंडों के रजिस्ट्रारों को प्रभारित प्रतिभूतियों में निवेश की गयी राशि की सूचना विवरणी के इस भाग में देने की आवश्यकता नहीं है ।

8. सभी शेयरों, डिबेंचरों और निवेश लेखे में या व्यापार स्टाक के रूप में रखी हुई अन्य प्रतिभूतियों के विवरण दिये जाने चाहिए ।

9. कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में किये गय निवेशों को संबंधित कंपनी के प्रमुख कारोबार के अनुसार वर्गीकृत किया जाये ।

10. अंशतः चुकता शेयरों का अंकित मूल्य संबंधित वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान चुकता राशि हो । यदि शेयर बाजार में किन्हीं शेयरों का भाव नहीं बताया गया हो, तो प्रबंधक या प्रबंध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित मूल्य को 'बाजार मूल्य' स्तंभ के अंतर्गत शामिल किया जाय । दलालों के करारों में दर्शाया गया खरीद-मूल्य अथवा बिक्री राशि (अंतरण शुल्क, मुद्रांक शुल्क और दलाली को छोड़कर) दिखाई जाये । तुलनपत्र के लिए मूल्य-ह्रास की जो व्यवस्था की गयी हो अथवा निवेशों को जो पुनर्मूल्यन किया गया हो उसका समायोजन न किया जाए बल्कि उन्हें विवरणी के अंत में पाद टिप्पणी में अलग से दिखाया जाए ।

ऋण और अग्रिम

खंड (I)

बकाया ऋण और अग्रिम

(ऋणकर्ताओं के वर्गों के अनुसार वर्गीकृत) 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	पार्टी का नाम	(राशि हजार रुपयों में)
I.	एक ही वर्ग की कंपनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
II.	कंपनियां जो एक ही वर्ग की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	

III. कुल कंपनियां

IV. कंपनियों से भिन्न पार्टियां

1. निदेशक
2. भूतपूर्व प्रबंध एजेंट और भूतपूर्व सचिव तथा कोषपाल
3. सदस्य
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी
5. खरीदने वाले, विक्रय करने वाले और दूसरे एजेंट
6. अन्य (कृपया अनुदेश सं० 5 देखिए)

V. 1 से 6 तक का जोड़

VI. कुल जोड़ (III+V)

खंड (II)

बकाया ऋणों और अग्रिमों का प्रतिभूतिवार वर्गीकरण 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	प्रतिभूति	(राशि हजार रुपयों में)
I.	खाद्य वस्तुएं	
	1. धान और चावल	
	2. गेहूं	
	3. दालों को छोड़कर दूसरे अनाज	
	4. चीनी	
	5. गुड़	
	6. वनस्पति तेल	
	7. अन्य सभी खाद्य वस्तुएं	
II.	औद्योगिक कच्ची सामग्री	
	8. मूंगफली	
	9. दूसरे तिलहन	
	10. रुई और कपास	
	11. पटसन	
	12. अन्य सभी औद्योगिक कच्ची सामग्री	
III.	बागान उत्पाद	
	13. चाय	
	14. काफ़ी, काजू और अन्य बागान उत्पाद	
IV.	निर्मित वस्तुएं और खनिज पदार्थ	
	15. सूती वस्त्र	
	16. जूट के वस्त्र	
	17. दूसरे वस्त्र	
	18. कोयला	
	19. लोहा और इस्पात तथा इंजीनियरी वस्तुएं	
	20. अन्य सभी निर्मित वस्तुएं	
V.	दूसरी प्रतिभूतियां	
	21. स्थावर सम्पति	
	22. सोना और चांदी बुलियन तथा गहने	
	23. बैंकों में सावधि जमाराशियां	
	24. सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां	
	25. मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर	
	26. अन्य सभी जमानती ऋण और अग्रिम	
VI.	I से V तक का जोड़	
VII.	गैर जमानती ऋण और अग्रिम	
VIII.	उक्त VI तथा VII का जोड़	

*कृपया निजी कंपनियों के नाम तथा उनसे प्राप्य राशि का उल्लेख निर्दिष्ट स्तंभ में कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज संलग्न किया जाए।

खंड (III)

बकाया ऋण और अग्रिमों का उद्देश्यवार वर्गीकरण

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	उद्देश्य	(राशि हज़ार रुपयों में)
I.	उद्योग अर्थात् पैराग्राफ 2(क) (i) में परिभाषित औद्योगिक संस्थान	
II.	वाणिज्य अर्थात् थोक व्यापार, फुटकर व्यापार तथा फसलों और वस्तुओं की आवाजाही या परिवहन	
III.	कृषि अर्थात् अनाज, दालें और कृषि पण्य	
IV.	व्यावसायिक ऋण, अर्थात् व्यावसायिक कार्यकलापों या कारोबार की वित्तीय सहायता के लिए दिये गये ऋण	
V.	व्यक्तिगत ऋण	
VI.	अन्य सभी ऋण और अग्रिम	
VII.	I से IV तक का जोड़	

नोट : खंड (ii) की मद VIII और खंड (iii) की मद VII के जोड़ को खंड (i) की मद VI के साथ मेल खाना चाहिए ।

निवेश

खंड (IV)

बकाया निवेश

(कंपनियों की हैसियत के अनुसार वर्गीकृत अर्थात् वे एक ही वर्ग की हैं या एक ही वर्ग की नहीं है ।) 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	विवरण	राशि हज़ार रुपयों में
I.	एक ही वर्ग की कंपनियां*	
	1.	
	2	
	3.	
	4	
	आदि	
II.	कंपनियां जो एक ही वर्ग की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3	
	4.	
	आदि	
III.	**कंपनियों का जोड़ (I+II)	
IV.	**अन्य निवेश (उदाहरणार्थ सरकारी तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों में रहने वाली सावधि जमाराशियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश)	
V.	**जोड़ (III+IV)	

*कृपया व्यक्तिगत कंपनियों के नामों और उनमें लगायी गयी राशियों का निर्दिष्ट स्तंभ में उल्लेख कीजिए । यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज़ संलग्न किया जाय ।

**खंड (iv) की मद III, IV और V के जोड़ों को खंड (v) के क्रमशः संकेत संख्या 320, 410+500 और 600 के साथ मेल खाना चाहिए ।

खंड (II)

शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के XXX निवेश

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	अ० कंपनियों के प्रमुख कारोबार के अनुसार वर्गीकृत उनके शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	राशि (हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजार मूल्य
100	1. वस्त्र उद्योग			
101	(क) सूती वस्त्र			
102	(ख) जूट के वस्त्र			
103	(ग) रेशम, रेयन और दूसरे कृत्रिम धागे			
104	(घ) ऊनी वस्त्र			
105	(ङ) अन्य			
120	2. चीनी			
130	3. लोहा और इस्पात			
140	4. अलोह धातु			
150	5. बिजली उत्पादन और सप्लाई			
160	6. इंजीनियरी			
170	7. मोटरगाड़ियां और सहायक उपकरण			
180	8. बिजली की मशीनें			
190	9. परिवहन और बिजली की मशीनों को छोड़कर दूसरी मशीनें			
200	10. परिवहन उपकरण			
210	11. रासायनिक पदार्थ :			
211	(क) मूल औद्योगिक रासायनिक पदार्थ			
212	(ख) औषधीय तथा चिकित्सकीय पदार्थ			
213	(ग) अन्य रासायनिक पदार्थ			
220	12. खनन			
221	(क) कोयला-खनन			
222	(ख) अन्य खनन			
230	13. कागज और कागज से बनी वस्तुएं			
240	14. सीमेंट			
250	15. खनिज तेल			
260	16. माचिस			
270	17. बागान			
271	(क) चाय			
272	(ख) काफी			
273	(ग) रबड़			
274	(घ) अन्य			
280	18. वित्तीय कंपनियां :			
281	(क) बैंक			
282	(ख) बीमा कंपनियां			
283	(ग) निवेश न्यास			
284	(घ) अन्य			
290	19. व्यापार			
300	20. नौवहन और दूसरे परिवहन			
310	21. निर्माण			
	21. अ. अन्य कोई कंपनियां			
320	22. अ का जोड़			

संकेत सं०	आ० सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	राशि (हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजार मूल्य
401	(i) केंद्रीय सरकार के ऋण			
402	(ii) राज्य सरकारों के ऋण			
403	(iii) सरकारी बचत या वार्षिकी प्रमाणपत्र और दूसरे दायित्व			
404	(iv) नगरपालिका ऋण और डिबेंचर			
405	(v) पत्तन प्रबंध समिति के ऋण और डिबेंचर			
406	(vi) अन्य			
410	आ का जोड़			
500	इ० अन्य निवेश (उदाहरणार्थ बैंकों में रहनेवाली सावधि जमाराशियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश)			
600	अ+आ+इ का जोड़			

*कृपया भाग III का अनुदेश सं० 10 पढ़िए ।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) से (v) तक के खंड में ऋणों, अग्रिमों और निवेशों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं ।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख : **जो लागू न हो उसे काट दें ।

रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत संख्या देनेवाले का नाम———————

जांच करनेवाले का नाम———————

पंच करनेवाले का नाम———————

सत्यापन करनेवाले का नाम———————

गोपनीय

फार्म आई० सी०

दूसरी अनुसूची

[कृपया अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी०-1/ई० डी० (एस०)-66 तारीख 29 अक्तूबर, 1966 का पैराग्राफ 13 देखें]

(इसे उन सभी निवेश कंपनियों और सभी परस्पर लाभकारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा भरा जाए जिनका प्रमुख कारोबार निवेश के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियों का अर्जन है)

भाग-I

निवेश के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियों का अर्जन करनेवाली कम्पनियों के पास 31 मार्च, 197 को रहने वाली जमाराशियां।

संकेत (कोड) सं० ——————

(1) कम्पनी का नाम——————

(2) पूरा पता:

(क) रजिस्टर्ड कार्यालय ——————

(ख) *मुख्य/प्रशासकीय कार्यालय ——————

(3) कम्पनी की रजिस्ट्री किस राज्य में हुई है :——————

(4) *हैसियत (स्टेटस) :

निजी/सार्वजनिक सीमित कम्पनी/ विदेशी कम्पनी की शाखा

(5) कम्पनी की रजिस्ट्री संख्या ——————

(6) (क) निगमन की तारीख——————

(ख) कारोबार शुरू करने की तारीख——————

(7) कम्पनी का वित्तीय वर्ष (अनुदेश सं० -1 देखें)——————

(8) कम्पनी के बैंकर (रों) का नाम और पता ——————

*जो कुछ लागू न हो उसे काट दें।

नोट :—यह विवरणी तैयार करने के बाद, मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया 15 नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता-1 को भेजी जानी चाहिए।

फार्म का भाग I भरने के लिए अनुदेश

1. 31 मार्च को कम्पनी की जो स्थिति हो उसके सिलसिले में इस भाग की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून, के पहले पेश की जानी चाहिए, भले ही कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कोई भी क्यों न हो।

2. किसी भी कारण से इस विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए, इन कारणों में वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा समाप्ति भी शामिल है। विवरणी का संकलन कम्पनी की बाहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. जिस कम्पनी के लिए यह विवरणी पेश करना आवश्यक है परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, उसके मामले में चिट या कुड़ी करारों के अधीन अभिदान के रूप में प्राप्त राशियां गैर जमाराशियां नहीं मानी जाएंगी; बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 2(1) (च) के खण्ड (vii) देखें।

4. अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी०-1/ई० डी० (एस०)-66 तारीख 29 अक्तूबर, 1966 के पैराग्राफ 2(1) (च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों के साथ बे-जमानती (अनसिक्यूर्ड) उधारों को जमाराशियां माना जाता है।

5. पहले के प्रबन्ध एजेंटों (मैनेजिंग एजेन्ट्स) या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत बे-जमानती ऋणों को जमाराशियां माना जाता है। उपर्युक्त बे-जमानती ऋणों को उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1) (घ) में उल्लिखित प्रकार की

जमाराशियां मानी जाने और इस भाग के अनुभाग (i) के संकेत सं० 1 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने के योग्य होने के लिए उन्हें निम्नलिखित मानदंड पूरे करना चाहिए :—

(क) उन साक्ष्य के रूप में या तो उधार लेने वाली कम्पनी द्वारा निष्पादित वचनपत्र या ऋण के करार के साक्ष्य के लिए उनके और कम्पनी के बीच आदान प्रदान किये गये पत्र होने चाहिए,

(ख) यदि कम्पनी के पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, दवारा इन ऋणों की वापसी अदायगी (रिपेमेंट) की गारंटी दी गई हो तो वह उनकी व्यक्तिगत हैसियत से दी जानी चाहिए, और

(ग) ये ऋण कम्पनी की बहियें में आवधिक ऋण लेखों के रूप में रखे गये दिखाये जाने चाहिए। इनकी आंशिक वापसी अदायगियों के लिए अनुमति है परन्तु नयी राशियां एक ही लेखे में ऋण के रूप में नहीं ली जानी चाहिए।

यदि ऊपर उल्लेख किये गये प्रकार का बे-जमानती ऋण उपर्युक्त तीनों मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं करता तो ऐसे मामले में उसे उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशि माना जाना चाहिएऔर उसे इस भाग के अनुभाग (i) में, यथास्थिति, संकेत सं० 6 या 7 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।]

6. साहूकारी से संबंधित जो विधि फिलहाल लागू हो उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त ऋणों को 'जमाराशि' पद (टर्म) से छूट दी गई है बशर्ते कि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 के (क) और (ग) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरे करते हों।

7. लेखों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि जमाराशियों की रकमें हजार रुपयों में दी जानी चाहिए। राशि का निकटतम हजार में पूर्णांकन (राउंडेड ऑफ) किया जाना चाहिए और तीन शून्यों को छोड़ दिया जाना चाहिए। उदारणार्थ, 4,560 रुपयों की राशि 5 लिखी जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,000.

8. इस विवरणी के इस भाग के अनुभाग (iii) में जमाराशियां प्राप्त रकने के लिए अदा की गयी दलाली ब्याज की दर में शामिल नही की जानी चाहिए परन्तु वह सारणी के अन्त में पाद-टिप्पणी में दर्शायी जानी चाहिए।

9. प्राप्त हुई कोई भी ऐसी राशि जो अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी०-1/ई०डी०(एस०)-66 तारीख 29 अक्तूबर, 1966 के पेराग्राफ 2(1)(च) के उपखण्ड (i) से (iii) के 'जमाराशि' पद में विशेष रूप से शामिल नहीं की गयी है उसे इस विवरणी के इस भाग के अनुभाग (i), (ii), और (iii), में मद III के अन्तर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के सामने वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्यास के रूप में प्राप्त राशियां, माल या सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम ठेकेदारों से जमानत के रूप में प्राप्त जमाराशियां और छूट दी गयी ऐसी प्राप्त जमाराशियां जो उक्त विवरणी के इस भाग के अनुभाग (i) में संकेत सं० 10 से 17 में से किसी के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकतीं, वे उसी अनुभाग के संकेत सं० 18 के सामने दर्शायी जानी चाहिए।

10. उक्त विवरणी के इस भाग के अनुभाग (ii) में दर्शायी जानेवाली जमाराशियों का अवधि के अनुसार वर्गीकरण मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अन्तर्गत उन अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मूल रूप से प्राप्त हुई हों/उनका अन्तिम बार नवीकरण किया गया हो और न कि उन अवधियों के अनुसार जो 31 मार्च, अर्थात उक्त विवरणी की तारीख से उनके जारी रहने के लिए बकाया हों। उन राशियों को उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत क्रमशः संकेत सं० 1 और 10 के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए जिनकी पुगाई (मेच्योरिटी की अवधि निर्दिष्ट न हों या जिनकी वापसी अदायगी किस्तों में की जानी हो और स्थिति का समुचित स्पष्टीकरण पाद-टिप्पणियों में दिया जाना चाहिए।

11. जमाराशियों और छूट प्राप्त उधारों और जिन प्राप्तियों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, उन्हें, इस भाग के अनुभाग (iii) में यथास्थिति, मद I, II, और III के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1, 8 और 15 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

12. केवल उन रक्षित निधियों को 'मुक्त रक्षित निधियां' माना जाना चाहिए जिनको कम्पनी के तुलन-पत्र में किसी सामान्य या आनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो और उक्त निधियों को विवरणी के इस भाग के अनुभाग (iv), और (vi) में दर्शाया जाना चाहिए। जिस किसी अन्य रक्षित निधि की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र में दी गयी नामावली से यह संकेत मिलता है कि उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है उसे हिसाब में नही लिया जाना चाहिए भले ही उसके निर्मित किये जाने का वास्तविक प्रयोजन कुछ भी क्यों न हों।

निम्नलिखित रक्षित निधियों को सामान्यतः मुक्त रक्षित निधियां माना जाता है :—

(i) सामान्य रक्षित निधि
(ii) पूंजी रक्षित निधि
(iii) पूंजी प्रतिदान (रिडेम्पशन) रक्षित निधि
(iv) फुटकर व्यय की रक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट (रिबेट) की रक्षित निधि या विकास छूट (अलाऊंस) की रक्षित निधि
(vi) शेयर अधिमूल्य (प्रीमियम) लेखे में बकाया राशि
(vii) सामान्य रक्षित निधि के स्वरूप वाला अधिशेष

3. जैसा कि इस अधिसूचना के पैराग्राफ 13(2) (I) के अनुसार आवश्यक है, यदि कम्पनी के प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके आधिकारिक पदनाम तथा कम्पनी के निदेशको के नाम और पते दर्शानेवाली सूची यदि अब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया को न भेजी गई हो तो वह इसके साथ नत्थी की जानी चाहिए।

14. जब तक इसके प्रतिकूल कोई संकेत न हो तब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेशावाली, 1966 में निर्दिष्ट परिभाषाएं, ××× वहां तक लागू होंगी जहां तक वे संबद्ध हों।

15. इस विवरणी पर प्रबन्धक (जिसकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में की गयी है) को हस्ताक्षर करना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबन्धक न हो तो प्रबन्धक निदेशक या कम्पनी के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए जिसे निदेशक बोर्ड ने यथाविधि प्राधिकृत किया हो और इस प्रयोजन के लिए जिसके नमूने के हस्ताक्षर रिज़र्व बैंक को भेज दिये गये हो। यदि नमूने के हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में न भेजे गये हों तो इस विवरणी पर प्रधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूने के हस्ताक्षर अलग से भेजे जाने चाहिए।

16. यदि, विवरणी के किसी भाग/अनुभाग में कोई भी सूचना नहीं देनी है तो उसमें 'कुछ नहीं' लिखा जाना चाहिए और उसके साथ जोड़े गये प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर यथाविधि हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

अनुभाग I

बकाया, जमाराशियां आदि — 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	राशियों (हजार रुपयों में)
	I. अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1) (घ) और 3(1) (घ)(i) में उल्लिखित प्रकारों जमाराशियां :		
1.	(क) पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों द्वारा गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त जमाराशियां		
2.	(ख) बेजमानती डिबेंचर		
3.	(ग) जमाराशियां जिनमें सदस्यों *(जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल है।		
4.	(घ) जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से गारंटी दिये गये बेजमानती ऋण शामिल हैं।		
5.	(ङ) जोड़ (क+ख+ग+घ)		
	II. अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) (ii) में उल्लिखित प्रकारों की जामाराशियां		
6.	(च) मीयादी जमाराशियां :		
	(चच) सहयोगी सदस्यों से प्राप्त जमाराशियां£		
7.	(छ) अन्य कोई जमाराशियां		
8.	(ज) जोड़ (च+छ)		
9.	झ) I + II का जोड़		
	III. छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं गिना जाता (अधिसूचना के पैराग्राफ 2(I) (च) (i) से (Xiii) तक देखे) :		
10.	(ञ) पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हो, से प्राप्त रकम		
11.	(ट) निदेशको** से प्राप्त रकम		
12.	(ठ) निजी समिती कम्पनी के मामले में सदस्यों** से प्राप्त रकम		

13. (ङ) कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां
14. (ङ) खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से कारोबार के उद्देश्यों के लिए प्राप्त रकम
15. (ण) मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त रकम (इनमें एक ही समूह की कम्पनियां शामिल हैं)
16. (त) जमानती उधार और बैंकों तथा अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से लिये गये उधार .
17. (थ) विदेशी स्त्रोतों से प्राप्त रकम
18. (द) अन्य छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं गिना जाता
19. (घ) जोड़ (अ से द)

20. IV. उपर्युक्त I, II और III का जोड़

*यहां प्रयुक्त 'सदस्य' अभिव्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कम्पनी में शेयर धारी के रूप में रजिस्टर है।

**कृपया यह नोट कर लें कि ऐसे व्यक्ति से प्राप्त ऐसी रकमें छूट-प्राप्त नहीं है जो उसने अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयी निधियों में से दी हो। (अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) देखें) । उसकी रकम इस प्रकार में शामिल करने के पहले कम्पनी को चाहिए कि उसने उससे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया हो।

£परस्पर लाभवाली वित्तीय कंपनियों के मामले में ही लागू होगा।

अनुभाग (II)

जमाराशियों आदि की अवधि 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (कृपया अनुदेश सं० 10 देखें)	लेखों की संख्या	राशियां (हजार रुपयों में)
0 I	पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियां, बेजमानती डिबेंचर, जमाराशियां जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कंपनी के सदस्य न हो) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारंटी किये हुए बेजमानती ऋण शामिल हैं।	1.	3 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय (रिपेएबल) ।		
		2.	3 महीने या उससे अधिक परन्तु 6 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		3.	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		4.	12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		5.	24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		

		6. 36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		7. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		8. 1 से 7 का जोड़ (नोट सं० (I) देखें)		
00 II	जमाराशियां अर्थात् नियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशियां	9. कालातीत और/या अदावी (अनकेल्ड)		
		10. उपर्युक्त संकेत सं० 9 के सामने उल्लिखित जमाराशियों को छोड़कर 6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		11. 6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		12. 12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		13. 24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		14. 36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		15. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		16. 9 से 15 का जोड़ (नोट सं० (ii) देखें)		
000 III	छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियाँ जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से या निदेशकों से या पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों यदि कोई हो, से प्राप्त, कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां, खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कंपनीयों	17. 6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		18. 6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		

	से लिये गये उधार और अन्य सभी छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां	19. 12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		20. 24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		21. 36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		22. 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		23. 17 से 22 का जोड़		
		[नोट सं० (iii) देखें]		
0000IV	I, II और III का जोड़ (नोट सं० IV देखें)			

नोट :—(i) संकेत सं० 8 का जोड़** अनुभाग (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(ii) संकेत सं० 16 का जोड़ अनुभाग (i) के संकेत सं० 8 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(iii) संकेत सं० 23 का जोड़ अनुभाग (i) के संकेत सं० 19 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(iv) अनुभाग (ii) की मद IV का जोड़ अनुभाग (i) की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए।

अनुभाग (iii)

जमाराशियों आदि पर ब्याज 31 मार्च, 197 को
**(दलाली को छोड़कर) की दरें

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	ब्याज की दर	राशि (हजार रुपयों में)
0 I	पहले के प्रबन्ध एजेन्टों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियों, बेजमानती डिबेंचर, जमाराशियां जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कंपनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारंटी किये हुए बेजमानती ऋण शामिल हैं।	1.	5% और उससे कम	
		2.	5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		3.	7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		4.	9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		5.	10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		6.	12% या उससे अधिक	
		7.	1 से 6 का जोड़	

00 II	जमाराशियां अर्थात मियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशियां	8. 5% और उससे कम	
		9. 5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		10. 7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		11. 9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		12. 10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		13. 12% या उससे अधिक	
		14. 8 से 13 का जोड़	
000 III	छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात निजी सीमित कंपनियों के मामले में सदस्यों से या निदेशकों से या पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, से प्राप्त, कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां, खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कंपनियों से लिये गये उधार और अन्य सभी छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां	15. 5% और उससे कम	
		16. 5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		17. 7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		18. 9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		19. 10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		20. 12% या उससे अधिक	
		21. 15 से 20 का जोड़	
0000 IV	I, II और III का जोड़	—	

नोट :- (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ अनुभाग (i) के क्रमश: संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ों से मिलने चाहिएं ।

(ii) अनुभाग (iii) की मद IV का जोड़ अनुभाग (i) की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए।

अनुभाग (IV)

उच्चतम सीमाओं की तुलना में जमाराशियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(क) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3 (1)(घ)(i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियों और उनकी निर्धारित उच्चतम सीमा

(राशियां हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बन्द होने के समय की स्थिति	ऊपर उल्लेख किये गये प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात अनुभाग (I) के संकेत सं० 5 का जोड़	स्वामित्व की निधियां				उच्चतम सीमा अर्थात स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25%	यदि उच्चतम सीमा से अधिक कोई जमाराशियां हो तो वे (2–7)	*कृपया यह उल्लेख करें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4 (1) के अनुसार अधिक जमाराशियों का समायोजन किया गया है या नहीं । यदि नहीं तो इस का पालन न किये जाने का कारण दिया जाए
		चुकता पूंजी	मुक्त रक्षित निधियां	यदि घाटे की कोई बकाया राशि हो तो वह	स्वामित्व की शुद्ध निधियां (3+4) –5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 दिसम्बर, 1971								
31 मार्च, 1973								
31 मार्च, 1974								
31 मार्च, 1975								

नोट :—*31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हों उनके कम से कम एक तिहाई अंश को 1-4-1973 के पहले घटा देना होगा; 31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हों उनके दूसरे एक तिहाई अंश को 1-4-1974 के पहले और यदि उक्त अधिक राशि की कोई बकाया राशि हो तो उसे 1-4-1975 के पहले घटा देना होगा ।

(ख) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियों और उनकी उच्चतम सीमा

. . . . . .

(31 मार्च, 197 (अर्थात विवरणी की तारीख) को स्थिति

ऊपर उल्लेख किये गये प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात अनुभाग (I) के संकेत सं० 8 का जोड़	उच्चतम सीमा (आर्थात स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25%)	यदि उच्चतम सीमा से अधिक कोई जमाराशियां हों तो वे (1) – (2)	अभ्युक्ति (रिमार्केस)
1	2	3	4

अनुभाग (V)

अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ) (i) में उल्लिखित प्रकारों की जो जमाराशियां मांग या सूचना पर या 6 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय है उनका विनियमन दर्शाने वाला विवरण

(राशियां हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बन्द होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त प्रकारों की जमाराशियों की कुल रकम (अर्थात अनुभाग (II) के संकेत संख्या 1 और 2 का जोड़)	स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25% अनुभाग (IV) का स्तंभ (कालम) 7 देखें	*कृपया यह उल्लेख/कि क्या अधिसूचना के/करें पैराग्राफ 4(3) के अनुसार ऐसी जमाराशियों का विनियमन किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो उसका पालन न किये जाने के कारण दिये जाए।
1	2	3	4
31 दिसम्बर, 1971			
31 मार्च, 1973			
31 मार्च, 1974			
31 मार्च, 1975			

नोट :—(i) *यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी के स्वामित्व की निधियों के 25% से अधिक न हों तो ऐसी जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर ली जानी चाहिए।

(ii) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी के स्वामित्व की निधियों के 25% से अधिक हो तो वह नीचे लिखे प्रकार से नियमित की जाए; (क) स्वामित्व की शुद्ध निधियों के कम से कम 25% के बराबर की ऐसी जमाराशियों की रकम 1-4-1973 के पहले, (ख) शेष राशि की कम से कम आधी रकम 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश 1-4-1975 के पहले।

अनुभाग (ii)

कम्पनी के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख को इसकी तुलनात्मक स्थिति

(राशि हज़ार रुपयों में)

विवरण	———————को तुलन-पत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट-बढ़ हो तो उसके लिए मोटे तौर पर कारण दिये जाएं।
1	2	3	4
(क) देयताएं			
1. चुकता पूंजी			
2. मुक्त रक्षित निधियां			
3. यदि घाटे की कोई बकाया हो तो वह			
4. जमाराशियां*			
5. छूट-प्राप्त उधार/प्राप्तियां			
(ख) आस्तिया			
6. ऋण और अग्रिम			
7. शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (वही मूल्य)			
8. किराया खरीद अग्रिम			
9. भूमि या मकान की खरीद के वित्तपोषण के लिए ऋण			
10. आय का प्रमुख स्रोत (ब्योरे के साथ)			

31 मार्च, 197 को समाप्त हुए वर्ष में अधिकतम कुल जमाराशियां और संबंधित तारीख नीचे दर्शायी जाए:

(i) वर्ष में जमाराशियों की अधिकतम राशि (हजार रुपयों में)————————

(iv) उपर्युक्त अधिकतम राशि किस तारीख को पाई गई————————

@अनुभाग (i) के संकेत सं० 9 का जोड़ यहा दर्शाया जाना चाहिए।

£अनुभाग (i) के संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाना चाहिए।

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र:

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी के इस भाग में सूचित (रिपोर्ट) की गयी जमाराशियों कम्पनी के कारोबार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त/नवीकृत की गई है।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) के परन्तुक की शर्तों के अनुसार निदेशकों और सदस्यों** से इस आशय की लिखित घोषणाएं प्राप्त कर ली गई है कि उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयी निधियों में से कम्पनी को रकम नहीं दी गयी हैं।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने जमाराशियों के लिए याचना (सालिसिट) करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ 5(1) के उपबन्धों का पालन किया है।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियां 1 जनवरी 1973 को या उसके बाद इस अधिनियम के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार की गई है, नवीकृत की गई है अथवा परिवर्तित की गई है।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों के रजिस्टर इस अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में दर्शाये गये तरीके के अनुसार रखे जाते है।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में दिये गये विवरण/दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है और वे हर तरह से सही और पूरे पाये गये हैं।

(जो प्रमाणपत्र लागू न हो उसे काट दें)

*प्रबन्धक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी,
के हस्ताक्षर----------

तारीख:----------

नाम :
पदनाम :

विवरण के अनुलग्नक (इन्क्लोजर्स)

यदि नीचे लिखे दस्तावेज पहले ही न भेजे गयें हों तो वे सभी विवरणी के साथ भेजे जाने चाहिए। कृपया दस्तावेज की मद के सामने के चौखाने (बाक्स) में अनुलग्न दस्तावेज के लिए सही का निशान लगा दें और अन्य मामलों में उसे पेश करने की तारीख का उल्लेख करें।

(1) इस विवणी की तारीख की निकटतम तारीख तक का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखे की एक प्रति

(2) नमूने के हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदन-पत्र की एक प्रति

(4) यदि 31 मार्च, 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई विज्ञापन जारी किये गये हों तो उनकी एक प्रति

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश सं० 13 देखें)

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा काम में लाई जानेवाली जगह)

अवधि हैसियत कारोबार राज्य ------- के द्वारा संकेतबद्ध किया गया

------- के द्वारा जांच की गयी
------- के द्वारा पंच किया गया
------- के द्वारा सत्यापित किया गया

*जो भाग लागू न हो उसे काट दें
**यह केवल निजी सीमित कम्पनियों के मामले में ही लागू है।

भाग II

ऋणों और अग्रिमों और निवेशों का विवरण

(इस फार्म के इस भाग को भरने के पहले कृपया निम्नलिखित अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ लें)।

अनुदेश

1. 31 मार्च को कम्पनी की जो स्थिति हो उसके सिलसिले में इस भाग की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए; भले ही कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कोई भी क्यों न हो।
2. किसी भी कारण से इस विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए; इन करणों में वार्षिक लेखों की जो लेखा परीक्षा समाप्ति भी शामिल है। विवरणी के संकलन कम्पनी की बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए 'समूह' से वही तात्पर्य है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 373 की उपधारा (II) में है।
4. बही ऋणों को अनुभाग (I) में तब तक न दर्शाया जाता जब तक कि उक्त बही ऋण संबंधित लेनदेन की शुरुआत से ही ऋण के स्वरूप का न रहा हो।
5. अनुभाग (I) के IV(6) में 'अन्य' के अधीन उन पार्टियों के संबंध में अलग अलग विवरण दिये जाएं जिनकी कंपनी की अभिदत्त पूंजी के 10% से अधिक ऋण और अग्रिम प्रदान किये गये हों और वे बकाया हों।

6. इस विवरणी के प्रयोजन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों वे ही हैं जो सरकारी ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2(2) के अधीन 'सरकारी प्रतिभूति' की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं।
7. जिस किसी कम्पनी के लिए यह विवरणी पेश करना जरूरी है परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट फन्ड कारोबार करती है, उसके मामले में पुरस्कृत (प्राइज्ड्) चिट अभिदाताओं से प्राप्त होने वाली पुरस्कार (प्राइज) राशियों और ऐसी प्रतिभूतियों में लगाई गई राशियों की सूचना विवरणी के इस भाग में देने की अवाश्यकता नही है जो चिट कारोबार के सुरक्षित संचालन के लिए चिटों के रजिस्ट्रार के नाम भारित की गयी हों।
8. सभी शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए भले ही वे निवेश लेखे में या व्यापारगत स्टॉक (स्टॉक इन ट्रैड). में धारण किये गये हों।
9. कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में किये गये निवेशों को संबंधित कम्पनी के प्रधान कारोबार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
10. अंशत: चुकता शेयरों का अंकित मूल्य वह रकम होगी जो संबंधित वर्ष के मार्च की 31 तारीख को चुकता की गयी हो यदि शेयर बाजार में किन्हीं शेयरों का मूल्य न लगाया जाता है तो 'बाजार मूल्य' के स्तंभ के अधीन उस मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए जो प्रबंधक या प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। दलालों के कारारों में दर्शाये गये खरीद मूल्य या बिक्री आगम (अन्तरण फीस, स्टाम्प शुल्क और दलाली को छोड़कर) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तुलन पत्र के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिए गये मूल्य ह्रास या किये गये निवेशों के पूनर्मूल्यांकन का समायोजन किया जाना चाहिए परन्तु उन्हें विवरणी के अन्त में अलग से पाद-टिप्पणी में दर्शाया जाना चाहिए।

ऋण और अग्रिम

अनुभाग (I)

बकाया ऋण और अग्रिम

31 मार्च, 197 को

(उधारकर्ताओं के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत)

संकेत सं०	पार्टी का नाम	राशि (हजार रुपयों में)
I	कम्पनियां जो एक ही समूह की हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
II	कम्पनियां जो एक ही समूह की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
III	कम्पनियों का जोड़ (I+II)	
IV	कम्पनियों को छोड़कर अन्य पार्टियां	
	1. निदेशक	
	2. पहले के प्रबन्ध एजेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष	
	3. सदस्य	
	4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी	
	5. खरीद, बिक्री या अन्य एजेंट	
	6. अन्य (कपया अनुदेश सं० 5 देखें)	
V	1 से 6 तक का जोड़	
VI	कुल जोड़ (III+V)	

अनुभाग (ii)

बकाया ऋणों और अग्रिमों का प्रतिभूतियों के अनुसार वर्गीकरण 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०		राशि (हजार रुपयों में)
I	खाद्य वस्तुएं	
1.	धान और चावल	
2.	गेहूं	
3.	दालों को छोड़कर दूसरे अनाज	
4.	चीनी	
5.	गुड़	
6.	वनस्पति तेल	
7.	अन्य सभी खाद्य वस्तुएं	
II	औद्योगिक कच्ची सामग्री	
8.	मूंगफली	
9.	दूसरे तिलहन	
10.	रूई और कपास	
11.	कच्चा पटसन	
12.	अन्य सभी औद्योगिक कच्ची सामग्री	
III	बागान उत्पादन	
13.	चाय	
14.	काफी, काजू और दूसरे बागान उत्पाद	
IV	निर्मित वस्तुएं और खनिज पदार्थ	
15.	सूती वस्त्र	
16.	जूट के वस्त्र	
17.	दूसरे वस्त्र	
18.	कोयला	
19.	लोहा और इस्पात और इंजीनियरी वस्तुएं	
20.	अन्य सभी निर्मित वस्तुएं	
V	दूसरी प्रतिभूतियां	
21.	स्थावर संपत्ति	
22.	सोना और चांदी के बुलियन और गहने	
23.	बैंकों में मियादी जमाराशियां	
24.	सरकारों और दूसरी न्यासी प्रतिभूतियां	
25.	मिश्रित पूंजी कम्पनियों के शेयर और डिबेंचर	
26.	अन्य सभी जमानती ऋण और अग्रिम	
VI	I से लेकर V तक का जोड़	
VII	बेजमानती ऋण और अग्रिम	
VIII	ऊपर के VI और VII का जोड़	

*जिन कम्पनियों पर राशियां बकाया है कृपया उनके अलग-अलग नाम और प्रत्येक पर बकाया रकमों का उल्लेख इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्तंभों (कालमों) में कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से एक कागज जोड़ लिया जाना चाहिए।

अनुभाग III

बकाया ऋणों और अग्रिमों का उद्देश्यवार वर्गीकरण

31 मार्च, 197 को

संकेत सं	उद्देश्य	राशि (हजार रुपयों में)
I	उद्योग अर्थात पैराग्राफ 2(1) (ञ) में परिभाषित औद्योगिक संस्था को	
II	वाणिज्य अर्थात थोक बाजार, खुदरा व्यापार, फसलों और वस्तुओं की आवाजाही और परिवहन	
III	कृषि अर्थात अनाज, दालें और दूसरे कृषि पण्य	
IV	व्यावसायिक ऋण, अर्थात व्यावसायिक कार्यकलापों या कारोबार की वित्तीय सहायता के लिए दिये गये ऋण	
V	व्यक्तिगत ऋण	
VI	अन्य सभी ऋण अग्रिम	
VII	I से लेकर VI तक का जोड़	

नोट :—अनुभाग (ii) की मद VIII और अनुभाग (iii) की मद VII को अनुभाग (i) की मद (VI) के साथ मेल खाना चाहिए ।

निवेश

अनुभाग (IV)

बकाया निवेश

(कम्पनियों की हैसियत के अनुसार वर्गीकृत अर्थात वे उसी समूह की हैं या उसी समूह की नहीं हैं) ।

31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	विवरण	राशि (हजार रुपयों में)
I	एक ही समूह की कम्पनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
II	कंपनियां जो एक ही समूह की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
III	**कम्पनियों की जोड़ (I+II)	
IV	**दूसरे निवेश (जैसे सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों में मियादी जमाराशियां और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों में निवेश)	
V	**जोड़ (III+IV)	

*जिन व्यक्तिगत कंपनियों में निवेश किया गया है कृपया उनके अलग-अलग नाम और प्रत्येक में निवेश की गयी रकमों का उल्लेख इस प्रयोजन के लिए दिये गए स्तंभों (कालमों) में कीजिए । यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से एक कागज जोड़ लिया जाना चाहिए ।

**अनुभाग (iv) की मद संख्या III, IV, और V का जोड़ अनुभाग (v) की क्रमशः संकेत संख्या 320, 410+500 और 600 के साथ मेल खाना चाहिए ।

अनुभाग (V)

बकाया शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

31 मार्च, 197 को

राशि (हज़ार रुपयों में)

संकेत सं०	क. कम्पनियों के मुख्य कारोबार के हिसाब से वर्गीकृत उनके शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	सामान्य शेयर*			अधिमान शेयर*			डिबेंचर*			जोड़*		
		अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
100	1. वस्त्र :												
101	(क) सूती वस्त्र												
102	(ख) जूट के वस्त्र												
103	(ग) रेशमी, रेयान और दूसरे कृत्रिम धागे												
104	(घ) ऊनी वस्त्र												
105	(ङ) अन्य												
120	2. चीनी												
130	3. लोहा और इस्पात												
140	4. अलोह वस्तु												
150	5. बिजली उत्पादन और सप्लाई												
160	6. इंजीनियरी												
170	7. मोटर गाड़ियां और सहायक उपकरण												
180	8. बिजली की मशीनें												
190	9. परिवहन और बिजली को छोड़कर दूसरी मशीनें												
200	10. परिवहन उपकरण												
210	11. रासायनिक पदार्थ :												
211	(क) मूल्य औद्योगिक रासायनिक पदार्थ												
212	(ख) औषधीय निर्माण												
213	(ग) दूसरे रासायनिक पदार्थ												
220	12. खनन :												
221	(क) कोयला खनन												
222	(ख) अन्य खनन												
230	13. कागज और कागज से बनी वस्तुएं												
240	14. सीमेंट												
250	15. खनिज तेल												
260	16. माचिस												
270	17. बागान												
271	(क) चाय												
272	(ख) काफी												
273	(ग) रबड़												
274	(घ) दूसरे												

संकेत सं०	क. कम्पनियों के मुख्य कारोबार के हिसाब से वर्गीकृत उनके शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	सामान्य शेयर*			अधिमान शेयर*			डिबेंचर*			जोड़*		
		अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बजार मूल्य	अंकित मूल्य	वही मूल्य	बाजार मूल्य
280	18. वित्तीय कम्पनियां												
281	(क) बैंक												
282	(ख) बीमा कंपनियां												
283	(ग) निवेश न्यास												
284	(घ) दूसरी												
290	19. व्यापार												
300	20. जहाजरानी और अन्य परिवहन												
310	21. निर्माण												
	21. क. कोई अन्य कम्पनी												
320	22. क का जोड़												

संकेत सं०	ख. सरकारी और दूसरी न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	राशि (हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बजार मूल्य
401	(i) केन्द्रीय सरकार के ऋण			
402	(ii) राज्य सरकारों के ऋण			
403	(iii) सरकारी बचत या वार्षिकी प्रमाण-पत्र और दूसरे दायित्व			
404	(iv) नगरपालिका ऋण और डिबेंचर			
405	(v) पत्तन न्यास के ऋण और डिबेंचर			
406.	(vi) दूसरे			
410	ख का जोड़			
500	ग, दूसरे निवेश (जैसे बैंकों में मीयादी जमाराशियां और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों में निवेश)			
600	क, ख, ग का जोड़			

*कृपया भाग II का अनुदेश सं० 10 देखें।

अनुभाग (VI)

31 मार्च, 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्टाक, शेयरों, बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों आदि में किये गये निवेश की राशियां

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०		खरीद लागत	बिक्री और प्रतिदान की राशियां	वास्तविक निवेश (कृपया अनुदेश सं० 10 को देखें)
100	1. सरकारी प्रतिभूतियां और खजाना बिल			
101	(क) केन्द्रीय सरकार			
102	(ख) राज्य सरकारें			
103	(ग) सरकारी बचतें या दूसरे प्रमाण-पत्र			
104	(घ) दूसरे			

200 2. नगर पालिका, पत्तन न्यास, सुधार न्यास; राज्य परिवहन बिजली बोर्ड, दूसरी जनोपयोगी संस्थाएं

300 3. मिश्रित पूंजी कम्पनियों के शेयर और डिबेंचर

(क) सामान्य शेयर :

310 (ii) वर्तमान कम्पनियों के नये शेयर

0 (भ) क्रयाधिकार शेयर

00 (म) दूसरे नये शेयर

311 (ii) नयी कम्पनियों के शेयर

312 (iii) अन्य

313 (iv) (क) का जोड़

(ख) अधिमान शेयर

320 (ii) वर्तमान कम्पनियों के नये शेयर

01 (भ) क्रयाधिकार शेयर

001 (म) दूसरे नये शेयर

321 (ii) नयी कम्पनियों के शेयर

322 (iii) दूसरे

323 (iv) (ख) का जोड़

(ग) डिबेंचर :

330 (i) वर्तमान कम्पनियों के नये डिबेंचर

00 (भ) क्रयाधिकार डिबेंचर

000 (म) अन्य नये डिबेंचर

331 (ii) नयी कम्पनियों के डिबेंचर

322 (iii) दूसरे

333 (iv) (ग) का जोड़

400 4 दूसरे निवेश

500 5 1 से 4 तक की मदों का जोड़

**मैनेजर/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत

अधिकारी का प्रमाणपत्र :—प्रमाणित किया जाता है कि (i) से (vi) तक के खंडों में ऋणों, अग्रियों और निवेशों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनका सत्यापन किया गया है और वे सत्यापन के बाद हर तरह से सही और पूर्ण पाये गये हैं।

**मैनेजर/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख :———————

**जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए जगह)

अवधि हैसियत कारोबार राज्य ———————के द्वारा संकेत बद्ध किया गया

———————के द्वारा जांच की गयी

———————के द्वारा पंच किया गया

———————के द्वारा सत्यापित किया गया

भाग III

किराया खरीद कारोबार के विवरण

(कृपया फार्म के इस भाग को भरने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लें)

अनुदेश

1. 31 मार्च को कम्पनी की स्थिति के सिलसिले में इस भाग की धारा (ii) की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए। यदि कम्पनी का वित्तीय वर्ष भिन्न हो तो 31 मार्च की निकटतम तारीख को समाप्त होने वाले कम्पनी के वित्तीय वर्ष के सिलसिले में केवल धारा (ii) की विवरणी पेश की जानी चाहिए और सम्बन्धित वर्ष की दो छमाहियों को पहली छमाही और दूसरी छमाही माना जाना चाहिए (या छमाही को निदेशों में परिभाषा की गई छमाही के समान ही माना जाना चाहिए)। इस प्रकार जिस कम्पनी को 31 मार्च, 1973 को कंपनी विवरणी पेश करनी है और जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होता है, उसे अपने उक्त वित्तीय वर्ष के सिलसिले में (31 मार्च, 1973 की निकटतम तारीख के समाप्त होने तक के लिए ही) इस अनुभाग को पूरा करना चाहिए न कि 31 मार्च, 1973 के लिए। इसके अलावा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत मे बकाया ऋणों का संबंध क्रमशः 31 मार्च, 1973 और 31 मार्च, 1972 के बजाय 31 दिसम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर, 1971 तक की स्थिति से नये मंजूर किये गए ऋण 1 जनवरी, 1972 से लेकर 31 दिसम्बर, 1972 तक की सारी अवधि के लिए दिये जाने चाहिए। दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों का संबंध 30 जून, 1972 और 31 दिसम्बर, 1972 तक की स्थिति से होना चाहिए।

2. चालू वर्ष के बकाया ऋण की राशि पिछले वर्ष के अंत के बकाया ऋणों और चालू वर्ष के दौरान मंजूर किये गए नये ऋणों की राशि में से दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों को घटाने के बाद निकलने वाली संख्या से मेल खानी चाहिए।

3. जब इस विवरणी को पहली बार पेश किया जा रहा हो, इस भाग के अनुभाग (i) के 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न का ब्योरेवार उत्तर दिया जाना चाहिए। उसके बाद, यदि कोई परिवर्तन हुआ हो या अतिरिक्त सूचना देनी हो तो उसे सूचित किया जाना चाहिए।

4. यदि किसी ऐसी कंपनी के लिए यह विवरणी पेश करना जरूरी हो जो अग्रणी के रूप में चिट-फंड, किराया खरीद के लेन-देन या यदि किन्हीं ऐसे ऋणों का कारोबार करती हो जिन्हें चिट-फंड की आस्तियों के रूप में माना जाता है उन्हें इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग (i)

प्रश्नावली

(कृपया ऊपर का अनुदेश सं० 3 देखिये)

(क) प्रश्न	(ख) उत्तर
1. क्या आपकी कम्पनी किसी निर्माता कंपनी की सहायक कंपनी है या वह अन्यथा किसी निर्माता या व्यापारी प्रतिष्ठान से संबद्ध है? यदि ऐसा है तो ऐसी कंपनी के आवश्यक विवरणों का अत्यंत संक्षेप में उल्लेख कीजिए।	
2. आप किराया खरीद के आधार पर जिस माल का व्यापार करते हैं उसके प्रकारों का मोटे तौर पर उल्लेख किया जाये (अर्थात् मोटर गाड़ियां, टिकाऊ घरेलू वस्तुएं, आदि।)	
3. (क) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋण के लिए आपकी सामान्यतः किसी (फ्लेट) ब्याज दर *(प्रतिशत वार्षिक) क्या है?	
(ख) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋण के लिए आप कितनी वास्तविक ब्याज दर** से (प्रति वार्षिक) ब्याज लगाते हैं।	
(ग) क्या आप मंजूर किए गए किराया खरीद ऋण में से ब्याज की रकम पहले ही काटे बिना उसका संवितरण कर देते हैं?	
(घ) आप कितनी अवधियों (इंटरवल्स) के लिए ब्याज वसूल करते हैं?	
4. किराया खरीद के आधार पर की गई माल की बिक्री के बिक्री मूल्य में ब्याज के अलावा प्रभार की और कौन-कौन सी मुख्य मदें शामिल की जाती हैं? (यदि इसके पहले किराया-खरीद करने वालों के साथ किये गए करार के फार्म की एक प्रतिलिपि न पेश की गयी हो तो उसे हमारे पास भेजने की कृपा करें।)	
5. आप किस आधार पर किराया खरीद करने वाले की तत्काल अदायगी (डाउन पेमेंट) की राशि या नकदी जमाराशि निर्धारित करते हैं?	

यदि वह सम्बन्धित माल के बिक्री मूल्य का कोई निर्धारित प्रतिशत हो तो कृपया उस प्रतिशत का उल्लेख करें।

6. क्या आप किराया खरीद करने वालों से ली गयी नकदी जमाराशि या तत्काल अदायगी की राशि पर ब्याज अदा करते हैं? यदि हां हो तो उसकी ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक) का उल्लेख किया जाए।

7. पूंजी, आरक्षित निधि और किराया खरीद करने वालों की जमाराशि के अलावा आपकी कम्पनी के कारोबार की निधियों के अन्य स्रोत क्या हैं?

---

*ब्याज की एक सी (फ्लैट) दर का अर्थ वह दर है जो मंजूर की गयी किराया-खरीद की पूरी राशि पर लगायी गयी हो, न कि देय रहने वाली घटती हुई बकाया राशि पर लगाई गयी ब्याज दर है।

**ब्याज की सही दर का अर्थ समय समय पर बकाया रहने वाले ऋण की वास्तविक राशि पर लगायी गयी ब्याज की दर है।

अनुभाग II

31 मार्च 197 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किराया खरीद, कारोबार

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें)
(राशि हजार रुपयों में)

संकेत संख्या	किराये की वस्तु	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष में मंजूर किये गए नये ऋण		31 मार्च 197 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में बकाया ऋण	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष की दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयीं किस्तें*		31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के अंत में बकाया ऋण (कृपया अनुदेश 2 देखें
		राशि	ठेके की अवधि	राशि	30 सितम्बर राशि	31 मार्च राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) मोटर गाड़ियां :						
01	(i) ट्रक और लारियां						
02	(ii) कार						
03	(iii) स्कूटर						
04	(iv) अन्य						
	(ख) टिकाऊ घरेलु वस्तुएं :						
001	(i) रेडियो रिसीवर						
002	(ii) पंखे						
003	(iii) रैफ्रिजिरेटर						
004	(iv) सिलाई मशीनें						
005	(v) अन्य						
010	(ग) कृषि संबंधी उपकरण : (ट्रेक्टर, बुलडोजर आदि)						
020	(घ) उद्योग में उपयोग के लिए औद्योगिक मशीनें औजार या उपकरण						

030 (ङ) दूसरे अन्य उपकरण

040 जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)

**मैनेजर/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि धारा (i) और (ii) के अधीन दर्शायी गयी कंपनी के किराया-खरीद कारोबार में संबंधित आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सत्यापन के बाद हर तरह से सही और पूरी पाये गये हैं।

तारीख

मैनेजर**/प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम

(रिजर्व बैंक द्वारा काम में लाई जानेवाली जगह)

अवधि हैसियत कारोबार राज्य

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ ii देखें।

**जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

------ के द्वारा संकेतबद्ध किया गया

------ के द्वारा जांच की गयी।

------ के द्वारा पंच किया गया।

------ के द्वारा सत्यापित किया गया।

गोपनीय

तीसरी अनुसूची

फार्म एल० सी०

(तारीख 29 अक्टूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी०-1/ई० डी० (एस०)-66 का पैराग्राफ 13 देखें) (उन सभी ऋण कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कम्पनियों के द्वारा भरा जाए, जो अपने प्रमुख कारोबार के रूप में ऋण और अग्रिम देने का कार्य करती हों)।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग

कलकत्ता-1

भाग 1

ऋण और अग्रिम प्रदान करने वाली कंपनियों के पास 31 मार्च 197 को रहनेवाली जमाराशियां

संकेत सं०

(1) कम्पनी का नाम----------

(2) पूरा पता----------

(क) पंजीकृत ----------

कार्यालय ----------

(ख) *प्रधान/प्रशासी कार्यालय----------

(3) किस राज्य में कम्पनी पंजीकृत है :----------

(4) हैसियत* : निजी/सार्वजनिक सीमित कंपनी/विदेशी कंपनी की शाखा----------

(5) कंपनी की पंजीकरण संख्या----------

(6) (क) स्थापना की तारीख----------

(ख) कारोबार प्रारंभ होने की तारीख----------

(7) कंपनी का वित्तीय वर्ष----------

(8) कंपनी के बैंकर(रों) का (के)----------

नाम और पता----------

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट:—इस विवरणी को भरने के बाद मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कंम्पनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 15 नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता-1 के पास भेजा जाए।

फार्म के भाग I को भरने के लिए अनुदेश

1. 31 मार्च तक की कंपनी की स्थिति के संबंध में इस भाग की विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देना/समाप्त करना जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं होना चाहिए। कंपनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए।

3. किसी ऐसी कंपनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी है, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, चिट या कुरी करारों के अधीन अभिदानों के रूप में प्राप्त राशि को जमा राशि के रूप में नहीं समझा जाएगा; देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 2(1)(च) का खंड (VII)।

4. तारीख 29 अक्तूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 1/ई० डी० (एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1)(च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों को छोड़कर गैर जमानती उधारों को जमाराशियों के रूप में माना जाता है।

5. भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों को जमाराशियों के रूप में मान जाता है। यदि उपर्युक्त गैर जमानती ऋणों को अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) में उल्लिखित और इस भाग के खंड (i) के संकेत सं० 1 के अधीन वर्गीकृत जमाराशियों के रूप में स्वीकार करना है तो उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :—

(क) ऋणकर्ता कंपनी को वचनपत्रों द्वारा या ऋण करारों को प्रमाणित करनेवाले पत्राचारों द्वारा उन्हें प्रमाणित करना चाहिए,

(ख) कंपनी के भूतपूर्व प्रबंध ऐजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, अपनी वैयक्तिक हैसियत से इन ऋणों की वापसी अदायगी के लिए गारंटी दी जानी चाहिए, और

(ग) इन ऋणों को कंपनी की बहियों में सावधि ऋण लेखों में रखना चाहिए। ऋणों की आंशिक वापसी अदायगी की जा सकती है; किन्तु नये ऋणों की राशि उसी लेखे में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

यदि उपर्युक्त कोई गैर जमानती ऋण उक्त तीन मानदंडों में से किसी की पूर्ति न करे तो उसे अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि के रूप में माना जाए और इस कारण उसे यथास्थिति इस भाग के खंड (i) में संकेत सं० 6 या 7 के अधीन वर्गीकृत किया जाए।

6. फिलहाल लागू रहने वाली किसी साहूकारी विधि के अधीन पंजीकृत व्यक्ति से स्वीकृत ऋणों को, यदि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 के (क) और (ग) में उल्लिखित मानदंडों की पूर्ति करें तो 'जमाराशि' की परिभाषा से छूट दी जाती है।

7. लेखों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए और जमा राशि का उल्लेख हजार रुपयों में किया जाना चाहिए। राशि को निकटतम हजार में पूर्णांकित करना चाहिए और तीन शून्यों को हटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए रु० 4,560 को 5 के रूप में दिखाना चाहिए, न कि 4.6 या 5,000 के रूप में।

8. विवरणी के इस भाग के खंड (iii) में जमा राशि प्राप्त करने के लिए अदा की गयी दलाली को ब्याज-दर में जोड़ना चाहिए, किन्तु सारणी के अंत में पाद टिप्पणी में उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

9. प्राप्त की गयी कोई ऐसी राशि जिसे विशिष्ट रूप से तारीख 29 अक्टूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 1/ई० डी० (एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1)(च) के उपखंड (i) से लेकर (xiii) तक में उल्लिखित 'जमाराशि' से अलग किया गया है, विवरणी के इस भाग के खंड (i), (ii) और (iii) की मद III के अंतर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के अधीन वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्यास के रूप में प्राप्त राशि, माल की सप्लाई या सेवाओं के लिए प्राप्त पेशगी रकम, ठेकेदारों से प्राप्त जमानत राशि और अन्य छूट प्राप्त राशियों को विवरणी के इस भाग के खंड (i) में सं० 10 से 17 तक के संकेतों में से किसी भी संकेत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता; किन्तु उन्हें उसी खंड के संकेत सं० 18 के अंतर्गत दिखाया जाए।

10. विवरणी के इस भाग के खंड (ii) में उल्लिखित जमाराशियों का अवधिवार वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार जिन के लिए वे मूलतः प्राप्त की गयी हैं/पहले नवीकृत की गयी हैं और न कि उन अवधियों के अनुसार जहां तक उन्हें 31 मार्च अर्थात् विवरणी की तारीख से जारी रहना चाहिए, मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। जिन राशियों की समाप्ति की अवधि निर्दिष्ट नहीं हो या जो राशियां किस्तों में चुकायी जानी हों, उन्हें उपर्युक्त मदों के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1 और 10 के अंतर्गत दिखाना चाहिए और तत्संबंधी परिस्थिति की उचित व्याख्या पाद टिप्पणियों में की जानी चाहिए।

11. जमाराशियों छूट प्राप्त उधारों और ब्याजरहित प्राप्तियों को इस भाग के खंड (iii) में यथास्थिति मद I और II के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1, 8 और 15 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।

12. केवल उन्हीं प्रारक्षित राशियों को जिन्हें कंपनी के तुलन पत्र में इस प्रकार दिखाया या प्रकाशित किया गया हो कि किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रख लिया जाता है, अबाध प्रारक्षित निधियों के रूप में माना जाए और विवरणी के इस भाग के खंड (IV) और (VI) में दिखाया जाए। किसी ऐसी दूसरी प्रारक्षित निधि को जिसे लेखा परीक्षित तुलन पत्र में इस प्रकार दिखाया गया हो कि उसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है, हिसाब में नहीं लेना चाहिए चाहे उसके

निर्माण का वास्तविक उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो। निम्नलिखित प्रारक्षित निधियों को सामान्यतः अबाध प्रारक्षित निधियों के रूप में माना जाता है :

(i) सामान्य प्रारक्षित निधि
(ii) पूंजीगत प्रारक्षित निधि
(iii) पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि
(iv) आकस्मिक प्रारक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट प्रारक्षित निधि या विकास छूट प्रारक्षित निधि
(vi) शेयर प्रीमियम लेखे में जमा
(vii) सामान्य प्रारक्षित निधि के रूप में विद्यमान अधिशेष

13. अधिसूचना के पैराग्राफ 13(2)(i) की अपेक्षा के अनुसार कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के नामों और पदनामों तथा निदेशकों के नामों और पतों की सूची संलग्न की जानी चाहिए यदि उक्त सूची अब तक रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को भेजी नहीं गयी हो।

14. जब तक अन्यथा कोई संकेत न दिया जाए, गर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निवेशावली, 1966 में दी गयी परिभाषाएं, जहां तक वे संगत हों, लागू होंगी।

15. विवरणी पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में दी हुई परिभाषा के अनुसार) प्रबंधक को हस्ताक्षर करने चाहिएं और यदि कोई ऐसे प्रबंधक न हों तो उसपर प्रबंध निदेशक या कम्पनी के किसी ऐसे अधिकारी को जिसे निदेशक बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर रिज़र्व बैंक को पेश किये गये हों, हस्ताक्षर करने चाहिएं। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में नहीं दिये गये हों तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर कर सकते हैं और उनके नमूना हस्ताक्षर अलग से पेश किये जा सकते हैं।

16. यदि, विवरणी के किसी भाग/अनुभाग म कोई भी सूचना नहीं देनी है तो उसमें 'कुछ नहीं' लिखा जाना चाहिए और उसके साथ जोड़े गये प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर यथाविधि हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं।

खंड (i)

बकाया जमा राशियां, आदि — 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
	I अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ)(i) में उल्लिखित जमा राशि वर्ग		
1(क)	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां		
2(ख)	गैर जमानती डिबेंचर		
3(ग)	सदस्यों* (जो निजी सीमित कंपनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियाँ .		
4(घ)	निदेशकों द्वारा अपनी निजी हैसियत में गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां . .		
5(ङ)	जोड़ (क+ख+ग+घ) . . .		
	II अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि वर्ग	———	———
6(च)	सावधि जमा राशियां	———	———
(चच)	सहयोगी सदस्यों से प्राप्त जमाराशियां£ . .		
7(छ)	कोई दूसरी जमा राशियां		
8(ज)	जोड़ (च+छ)	———	———
		———	———
9(i)	(I)+(II) का जोड़	———	———

III	छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता [अधिसूचना के पैराग्राफ 2(i)(च) से (xiii) तक देखें]		
10(झ)	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, से प्राप्त राशि . . .		
11(ञ)	निदेशकों से प्राप्त राशि** . . .		
12(ट)	निजी सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों**से प्राप्त राशि .		
13(ठ)	कर्मचारियों से प्राप्त जमानत राशि . .		
14(ड)	क्रय, विक्रय या अन्य एजेंटों से कारोबार के उद्देश्य के लिए प्राप्त राशि		
15(ढ)	मिश्रित पूंजी कंपनियों (उसी वर्ग की कंपनियों की मिलाकर) प्राप्त राशि		
16(ण)	जमानती उधार और बैंकों और अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से प्राप्त उधार		
17(त)	विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि . . .		
18(थ)	अन्य छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हे जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता . . .		
19(द)	जोड़ (झ से थ तक) . . .		
20 IV	उपर्युक्त I, II, और III का जोड़ . .		

*यहां प्रयुक्त किये गये शब्द 'सदस्य' से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी के शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत हो।

**कृपया ध्यान दें कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमा राशि स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से प्राप्त राशि को छूट नहीं दी जाती [अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) देखें]। उसकी राशि को इस वर्ग में जोड़ने के पहले कंपनी को उस व्यक्ति के इस आशय को एक घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

£परस्पर लाभ वाली वित्तीय कंपनियों के मामलें में ही लागू होगा।

खंड (ii)

जमा राशियों, आदि की अवधि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (अनुदेश सं० 10 देखें)	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
0	I भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां, गैर जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कंपनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियों और निदेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां	1	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 3 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		2	3 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय ।		
		3	6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		4	12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		

		5	24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		6	36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		7	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय	
		8	1 से 7 तक का जोड़ [नोट सं० i देखें]	---------- ----------
00 II	जमाराशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	9	अति देय और/या अदावी	
		10	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय ; इनमें उपर्युक्त संकेत सं० 9 में उल्लिखित जमा राशियां शामिल नहीं हैं।	
		11	6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		12	12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय।	
		13	24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		14	36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		15	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय	
		16	9 से 15 तक का जोड़ [नोट सं० ii देखें]	---------- ----------
000 III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात् निजी सीमित कंपनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबंध ऐजेंटों या सचिवों और कोषपालों से यदि कोई हों—जमानत के रूप में	17	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में	
		18	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु	

(1)	(2)	(3)	(4)
	कर्मचारियों से क्रय, विक्रय या दूसरे एजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या मिश्रित पूंजी कंपनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और प्राप्तियां	12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		19 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		20 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		21 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		22 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय	
		23 17 से 22 तक का जोड़ (नोट सं० iii देखें)	
0000 IV	I, II और III का जोड़	(नोट सं० iv देखें)	

नोट :—(i) संकेत सं. 8 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(ii) संकेत सं० 16 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 8 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(iii) संकेत सं० 23 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 19 से मेल खाना चाहिए।
(iv) खंड (ii) की मद IV के जोड़ को खंड (i) की मद IV के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

खंड (iii)

जमाराशियों, आदि पर ब्याज दरें (दलाली शामिल नहीं है) 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत	ब्याज दर	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
0 I	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियों, गैर जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कंपनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां और निवेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमाराशियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
		7	1 से 6 तक का जोड़	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
00 II	जमाराशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	8	5% और उससे कम	
		9	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		10	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		11	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		12	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		13	12 %या उससे अधिक	
		14	8 से 13 तक का जोड़	
000 III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात् निजी सीमित कंपनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियां या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबंध ऐजेंटों या सचिवों और कोषपालों से—यदि कोई हों,—जमानत के रूप में कर्मचारियों से, क्रय, विक्रय या दूसरे ऐजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या मिश्रित पूंजी कंपनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और प्राप्तियां	15	5%और उससे कम	
		16	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		17	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		18	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		19	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		20	12%या उससे अधिक	
		21	15 से 20 तक जोड़	
0000 IV	I, II और III का जोड़			

नोट : (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ को खंड (i) के क्रमशः संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(ii) खंड (iii) की मद IV के जोड़ को खंड (i) की मद IV के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

खण्ड (iv)

जमाराशियों और अधिकतम सीमाओं की तुलनात्मक स्थिति का विवरण

(अ) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और (3)(1)(घ)(i) में उल्लिखित विभिन्न जमा राशियां और निर्धारित उच्चतम सीमा

(राशि हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त विभिन्न वर्गों की कुल जमा शियां अर्थात् खंड (i) के संकेत सं० 5 का जोड़	स्वाधिकृत निधियां				उच्चतम सीमा (अर्थात वास्तविक स्वाधिकृत निधियों का 25%)	उच्चतम सीमा से अधिक जमाराशियां यदि कोई हो (2—7)	*कृपया बतायें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4(1) के अनुसार अतिरिक्त जमाराशियों का संमायोजन किया गया है? यदि नहीं तो ऐसा न करने का कारण बतायें
		चुकता पूंजी	अबाध प्रारक्षित निधि	हानि का शेष अंश, यदि कोई हो	वास्तविक स्वाधिकृत निधियां (3+4)—5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31 दिसम्बर 1971								
31 मार्च 1973								
31 मार्च 1974								
31 मार्च 1975								

नोट :—*31-12-1971 को विद्यमान अतिरिक्त जमाराशियों का कम से कम एक तिहाई अंश 1-4-1973 के पहले, 31-12-1971 को विद्यमान अतिरिक्त जमा राशियों का दूसरा एक तिहाई अंश 1-4-1974 के पहले तथा यदि उक्त अतिरिक्त जमाराशियों का कोई शेष अंश हो तो उसे 1-4-1975 के पहले कम कर देना चाहिए।

(आ) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(i)(घ)(ii) में उल्लिखित विभिन्न जमाराशियों और उच्चतम सीमा-
31 मार्च 197 (अर्थात् विवरणी की तारीख) की स्थिति

उपर्युक्त विभिन्न वर्गों की कुल जमाराशियां अर्थात खंड (i) के संकेत सं० 8 का जोड़	उच्चतम सीमा (अर्थात् वास्तविक स्वाधिकृत निधियों का 25%)	उच्चतम सीमा से अधिक जमा राशियां यदि कोई हों (1) — (2)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)

खंड (v)

अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ)(i) में उल्लिखित और मांग पर या सूचना पर या छः महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय जमाराशियों के प्रकारों के नियमन का विवरण

(राशि हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	उक्त विभिन्न वर्गों की जमाराशियों की कुल राशि (अर्थात् खंड (ii) के संकेत सं० 1 और 2 का जोड़)	वास्तविक स्वाधिकृत निधियों का 25%; खंड (iv) अ का स्तंभ 7 देखिए	*कृपया बतायें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4(3) के अनुसार ऐसी जमाराशियों का नियमन किया गया है। यदि नहीं, तो ऐसा न करने के कारण बताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
31 दिसम्बर, 1971			
31 मार्च, 1973			
31 मार्च, 1974			
31 मार्च, 1975			

नोट :—*(i) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी की स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, तो ऐसी जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर दिया जाए।

(ii) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी की स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उसे निम्न प्रकार नियमित कर दिया जाए, (क) कम से कम वास्तविक स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत के बराबर की ऐसी जमा राशियों को 1-4-1973 के पहले (ख) शेष राशि के कम से कम आधे अंश को 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश को 1-4-1975 के पहले नियमित कर दिया जाए।

खंड (vi)

कम्पनी के लेखा परीक्षित तुलना पत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख की कम्पनी की तुलनात्मक स्थिति

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	———के तुलनपत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 की विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट बढ़ हुई हो तो उसके कारण स्थूल रूप से दिए जाएं
1	2	3	4

अ. वेयताएं :

1. चुकता पूंजी
2. अबाध प्रारक्षित निधियां
3. हानि का शेष यदि कोई हो।
4. जमाराशियां*

1	2	3	4
5. छूट प्राप्त ऋण/प्राप्तियां		£	
आ. आस्तियां*			
6. ऋण और अग्रिम			
7. शेयरों डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों (बही मूल्य) में निवेश			
8. किराया खरीद अग्रिम			
9. भूमि या मकानों की खरीद की वित्तीय सहायता करने के लिए ऋण			
10. आय का मुख्य स्रोत (विवरणों सहित)			

*31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल अधिकतम जमाराशि और सम्बन्धित तारीख नीचे दी जाए :

(i) वर्ष के दौरान अधिकतम जमाराशियां _____

(हजार रुपयों में)

(ii) किस तारीख को उपर्युक्त अधिकतम राशि थी _____

@ खंड (i) के संकेत सं० 9 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

£खंड (i) के संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में दी गई जमाराशियां कम्पनी की कारोबार संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त की गयी या नवीकृत की गयीं

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) के परंतुक के अनुसार निदेशकों और सदस्यों**से लिखित रूप में ये घोषणाएं प्राप्त की गयी हैं कि उन्होंने कम्पनी को किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से रकम नहीं दी है।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने जमाराशियों की अभ्यर्थना करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ 5(i) के उपबंधों का पालन किया है।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्धारित प्रणाली से 1 जनवरी 1973 को या उसके पहले जमाराशियां स्वीकार की गयी हैं। नवीकृत की गयी हैं या परिवर्तित की गयी हैं।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(6) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में बतायी गयी प्रणाली से जमाराशियों की बहियां रखी गयी हैं।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में पेश किये गये विवरणों /जानकारी का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

(जो प्रमाण पत्र लागू न हो उसे काट दें)

तारीख :

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर*

नाम :

पदनाम :

विवरणी के अनुलग्नक :

यदि निम्नलिखित दस्तावेज पहले ही भेजे न गये हों तो उन्हें विवरणी के साथ पेश किया जाए। संलग्न दस्तावेज के लिए सम्बन्धित मद के सामने चौकोर में निशान लगा दें और अन्य मामलों में पेश किये जाने की तारीख का उल्लेख करें।

(1) इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख के लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे की प्रतिलिपि

(2) नमूना हस्ताक्षर कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदनपत्र की प्रतिलिपि

(4) 31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान यदि कोई विज्ञापन जारी किये गये हों तो उनमें से प्रत्येक की प्रतिलिपि

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश 13 देखें)

(रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत सं० देने वाले का नाम
जांच करने वाले का नाम
पंच करने वाले का नाम
सत्यापन करने वाले का नाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**केवल निजी सीमित कम्पनियों के मामले में लागू है।

भाग-II

ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों के विवरण

(फार्म का यह भाग भरने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अनुदेश

1. कम्पनी की 31 मार्च तक की स्थिति के संबंध में इस भाग की विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने/समाप्त करने जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में, विलंब नहीं होना चाहिए। कम्पनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए।

3. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए किसी वर्ग से वही अर्थ लिया जाता है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 373 की उप-धारा (11) में दिया गया है।

4. बही उधारों को खंड (i) में दर्शाना नहीं चाहिए जब तक बही उधार के रूप में किया गया लेन-देन प्रारंभ से ही ऋण के रूप में न हो।

5. खंड (i) के (iv) (6) में 'अन्य' के अन्तर्गत उन पार्टियों के संबंध में अलग विवरण दिये जाने चाहिये जिन्हें कम्पनी की अभिदत्त पूंजी के 10% से अधिक ऋण या अग्रिम प्रदान किये गए हों और वे बकाया हों।

6. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से वे प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो सरकारी ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 (2) के अन्तर्गत "सरकारी प्रतिभूति" की परिभाषा में शामिल की गयी हैं।

7. किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी हो, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड का कारोबार भी करती हो, इनाम प्राप्त चिट अभिदाताओं से प्राप्त होने वाली इनाम की राशि और चिट कारोबार को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए चिट फंडों के रजिस्ट्रारों को प्रभारित प्रतिभूतियों में निवेश की गयी राशि की सूचना विवरणी के इस भाग में देने की आवश्यकता नहीं है।

8. सभी शेयरों, डिबेंचरों और निवेश लेखे में या व्यापार स्टाक के रूप में रखी हुई अन्य प्रतिभूतियों के विवरण दिए जाने चाहिएं।

9. कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में किये गये निवेशों को सम्बन्धित कंपनी के प्रमुख कारोबार के अनुसार वर्गीकृत किया जाय।

10. अंशतः चुकता शेयरों का अंकित मूल्य सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान चुकता राशि हो। यदि शेयर बाज़ार में किन्हीं शेयरों का भाव नहीं बताया गया हो, तो प्रबंधक या प्रबंध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित मूल्य को 'बाजार मूल्य' स्तंभ के अन्तर्गत शामिल किया जाय।

दलालों के करारों में दर्शाया गया खरीद मूल्य अथवा बिक्री राशि (अंतरण शुल्क, मुद्रांक शुल्क और दलाली को छोड़कर) दिखाई जाय। तुलनपत्र के लिए मूल्य-ह्रास की जो व्यवस्था की गई हो अथवा निवेशों का जो पुनर्मूल्यन किया गया हो उसका समायोजन न किया जाय बल्कि उन्हें विवरणी के अंत में पद टिप्पणी में अलग से दिखाया जाये।

ऋण और अग्रिम

बकाया ऋण और अग्रिम
(ऋणकर्ताओं के वर्गों के अनुसार वर्गीकृत)

खंड (i)

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	पार्टी का नाम	राशि (हज़ार रुपयों में)
	I. एक ही वर्ग की कंपनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
	II. कंपनियां जो एक ही वर्ग की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
	III. कुल कम्पनियां	
	IV. कंपनियों से भिन्न पार्टियां	
	1. निदेशक	
	2. भूतपूर्व प्रबंध एजेंट और भूतपूर्व सचिव तथा कोषपाल	
	3. सदस्य	
	4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी	
	5. खरीदनेवाले, विक्रय करनेवाले और दूसरे एजेंट	
	6. अन्य (कृपया अनुदेश सं० 5 देखिए)	
	V. 1 से 6 तक का जोड़	
	VI. कुल जोड़ (III+V)	

खंड (ii)

बकाया ऋणों और अग्रिमों का प्रतिभूतिवार
वर्गीकरण

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	प्रतिभूति	राशि (हज़ार रुपयों में)
	I. खाद्य वस्तुएं	
	1. धान और चावल	
	2. गेहूं	
	3. दालों को छोड़कर दूसरे अनाज	
	4. चीनी	
	5. गुड़	
	6. वनस्पति तेल	
	7. अन्य सभी खाद्य वस्तुएं	

II. औद्योगिक कच्ची सामग्री
8. मूंगफली
9. दूसरे तिलहन
10. रुई और कपास
11. पटसन
12. अन्य सभी औद्योगिक कच्ची सामग्री
III. बागान उत्पाद
13. चाय
14. काफ़ी, काजू और अन्य बागान उत्पाद
IV. निर्मित वस्तुएं और खनिज पदार्थ
15. सूती वस्त्र
16. जूट के वस्त्र
17. दूसरे वस्त्र
18. कोयला
19. लोहा और इस्पात तथा इंजीनियरी वस्तुएं
20. अन्य सभी निर्मित वस्तुएं
V. दूसरी प्रतिभूतियां
21. स्थावर संपत्ति
22. सोना और चांदी बुलियन तथा गहने
23. बैंकों में सावधि जमाराशियां
24. सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां
25. मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर
26. अन्य सभी जमानती ऋण और अग्रिम
VI. 1 से V तक का जोड़
VII. गर जमानती ऋण और अग्रिम
VIII. उक्त VI तथा VII का जोड़

*कृपया निजी कंपनियों के नाम तथा उनसे प्राप्य राशि का उल्लेख निर्दिष्ट स्तंभ में कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज संलग्न किया जाय।

खंड (iii)

बकाया ऋण और अग्रिमों का उद्देश्यवार वर्गीकरण

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	उद्देश्य	राशि (हजार रुपयों में)
I.	उद्योग अर्थात् पैराग्राफ 2 (1) (ञ) में परिभाषित औद्योगिक संस्थान	
II.	वाणिज्य अर्थात् थोक व्यापार, फुटकर व्यापार तथा फ़सलों और वस्तुओं की आवाजाही या परिवहन	
III.	कृषि अर्थात् अनाज, दालें और कृषि पण्य	
IV.	व्यावसायिक ऋण, अर्थात् व्यावसायिक कार्यकलापों या कारोबार की वित्तीय सहायता के लिए दिए गए ऋण।	
V.	व्यक्तिगत ऋण	
VI.	अन्य सभी ऋण और अग्रिम	
VII.	1 से VI तक का जोड़	

नोट :—खंड (ii) की मद VIII और खंड (iii) की मद VII के जोड़ को खंड (i) की मद VI के साथ मेल खाना चाहिए।

निवेश

खंड (iv)

बकाया निवेश

(कंपनियों की हैसियत के अनुसार वर्गीकृत अर्थात् वे एक ही वर्ग की हैं या एक ही वर्ग की नहीं हैं)

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	विवरण	राशि (हजार रुपयों में)
	I एक ही वर्ग की कंपनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
	II कंपनियां जो एक ही वर्ग की नहीं हैं*	
	1	
	2	
	3.	
	4.	
	आदि	
	III **कंपनियों का जोड़ (I+II)	
	IV **अन्य निवेश (उदाहरणार्थ सरकारी तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों में रहने वाली सावधि जमा राशियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश)	
	V **जोड़ (III+IV)	

*कृपया व्यक्तिगत कंपनियों के नामों और उनमें लगायी गयी राशियों का निर्दिष्ट स्तंभ में उल्लेख कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज संलग्न किया जाय।

** खंड (iv) की मद III, IV और V के जोड़ों को खंड (v) के क्रमशः संकेत संख्या 320, 410+500 और 600 के साथ मेल खाना चाहिए।

खंड (v)

शेयरों डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के बकाया निवेश

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	अ. कंपनियों के प्रमुख कारोबार के अनुसार वर्गीकृत उनके शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	(राशि हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजार मूल्य
1	2	3	4	5
100	1. वस्त्र उद्योग			
101	(क) सूती वस्त्र			
102	(ख) जूट के वस्त्र			

1	2	3	4	5
103	(ग) रेशम, रेयन और दूसरे कृत्रिम धागे			
104	(घ) ऊनी वस्त्र			
105	(ङ) अन्य			
120	2. चीनी			
130	3. लोहा और इस्पात			
140	4. अलोह धातु			
150	5. बिजली उत्पादन और सप्लाई			
160	6. इंजीनियरी			
170	7. मोटरगाड़ियां और सहायक उपकरण			
180	8. बिजली की मशीनें			
190	9. परिवहन और बिजली की मशीनों को छोड़कर दूसरी मशीनें			
200	10. परिवहन उपकरण			
210	11. रासायनिक पदार्थ			
211	(क) मूल औद्योगिक रासायनिक पदार्थ			
212	(ख) औषधीय तथा चिकित्सकीय पदार्थ			
213	(ग) अन्य रासायनिक पदार्थ			
220	12. खनन			
221	(क) कोयला-खनन			
222	(ख) अन्य खनन			
230	13. कागज और कागज से बनी वस्तुएं			
240	14. सीमेंट			
250	15. खनिज तेल			
260	16. माचिस			
270	17. बागान			
271	(क) चाय			
272	(ख) काफ़ी			
273	(ग) रबड़			
274	(घ) अन्य			
280	18. वित्तीय कंपनियां :			
281	(क) बैंक			
282	(ख) बीमा कंपनियां			
283	(ग) निवेश न्यास			
284	(घ) अन्य			
290	19. व्यापार			
300	20. नौवहन और दूसरे परिवहन			
310	21. निर्माण			
	21. अ. अन्य कोई कंपनियां			
320	22. अ का जोड़			

संकेत सं०	आ. सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	(राशि हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजार मूल्य
401	(i) केन्द्रीय सरकार के ऋण			
402	(ii) राज्य सरकारों के ऋण			
403	(iii) सरकारी बचत या वार्षिकी प्रमाणपत्र और दूसरे दायित्व			
404	(iv) नगरपालिका ऋण और डिबेंचर			
405	(v) पत्तन प्रबंध समिति के ऋण और डिबेंचर			
406	(vi) अन्य			
410	आ का जोड़			
500	इ. अन्य निवेश (उदाहरणार्थ बैंकों में रहने वाली सावधि जमा-राशियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश)			
600	अ+आ+इ का जोड़			

*कृपया भाग II का अनुदेश सं० 10 पढ़िए।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :—यह प्रमाणित किया जाता है कि (i) से (v) तक के खंड में ऋणों, अग्रिमों और निवेशों के जो आंकड़े दिए गए हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तारीख

**जो लागू न हो उसे काट दें।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत देने वाले का नाम
जांच करने वाले का नाम
पंच करने वाले का नाम
सत्यापन करने वाले का नाम

भाग III

किराया खरीद के कारोबार के विवरण

(कृपया फार्म के इस भाग को भरने के पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अनुदेश

1. इस भाग के खंड (ii) की विवरणी कंपनी की 31 मार्च की स्थिति के संबंध में 30 जून के पहले साल में एक बार पेश की जानी चाहिए। यदि कंपनी का वित्तीय वर्ष दूसरा हो तो खंड (ii) की विवरणी 31 मार्च की निकटतम तारीख को समाप्त होने वाले कंपनी के वित्तीय वर्ष के संबंध में पेश की जाए; पहले छः महीने और दूसरे छः महीने को (या निदेशों में दी गई परिभाषा के अनुसार छमाही अवधि को) इस वर्ष की दो छमाहियों के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार जिस कंपनी को 31 मार्च 1973 तक की अपनी विवरणी पेश करनी हो और जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होता हो उसे केवल उपर्युक्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 1973 की निकटतम तारीख) के संदर्भ में, और न कि 31 मार्च 1973 के संदर्भ में इस खंड को संकलित करना होगा। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया ऋण 31 मार्च 1973 और 31 मार्च 1972 के स्थान पर क्रमशः 31 दिसम्बर 1972 और 31 दिसम्बर 1971 की स्थिति से सम्बन्धित हो और मंजूर किया गया नया ऋण 1 जनवरी 1972 से 31 दिसम्बर 1972 तक की पूरी अवधि से सम्बन्धित हो। दो छमाहियों में प्राप्त की गयी किस्तें 30 जून 1972 और 31 दिसंबर 1972 की स्थिति से सम्बन्धित हों।

2. वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया रहने वाले ऋण की राशि पिछले वर्ष के अंत में विद्यमान बकाया ऋण और वर्तमान वर्ष के दौरान मंजूर किये गये नये ऋण में से दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों की राशि को घटाने के बाद निकलने वाले आंकड़ों के बराबर हो।

3. यह विवरणी जब पहली बार पेश की जा रही हो तब इस भाग के खंड (i) में दिये गये प्रश्नों के उत्तर ब्यौरेवार दिए जाने चाहिएं; उसके बाद यदि कोई परिवर्तन किया गया हो या कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो केवल उसका उल्लेख किया जाए।

4. ऐसी किसी कंपनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी हो परंतु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती हो किराया खरीद के लेन-देनों या ऐसे ऋणों को जिन्हें चिट फंड की आस्तियों के रूप में माना जाता हो, शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड (i)

प्रश्नावली

(कृपया उपर्युक्त अनुदेश 3 देखें)

(अ) प्रश्न	(आ) उत्तर
1. क्या आपकी कंपनी किसी निर्माण कंपनी की सहायक कंपनी है या अन्यथा किसी निर्माण या व्यापार प्रतिष्ठान से संबद्ध है? यदि ऐसी हो तो अत्यंत संक्षेप में ऐसी कंपनी के आवश्यक विवरण दिए जाएं।	
2. आपकी कंपनी किराया-खरीद के आधार पर जिस माल का लेन-देन करती हो उसके स्थूल प्रकारों का उल्लेख किया जाय (अर्थात् मोटरगाड़ियां, टिकाऊ घरेलू वस्तुएं आदि)।	
3. (क) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋणों के लिए आपकी कंपनी द्वारा सामान्यतः लिये जाने वाले एक सी (फ्लैट) ब्याज* (प्रतिशत वार्षिक) की दर (एक समान) क्या है? (ख) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋणों के लिए आपके द्वारा ली जानेवाली वास्तविक ब्याज दर** (प्रतिशत वार्षिक) क्या है? (ग) क्या आप किराया-खरीद ऋण का वितरण ब्याज के लिए कोई अग्रिम कटौती किये बिना करते हैं? (घ) किन समयांतरों में आप ब्याज की वसूली करते हैं?	
4. माल के किराया-खरीद संबंधी बिक्री में ब्याज के अलावा और कौन-से प्रमुख प्रभार शामिल किये जाते हैं? (किराया-खरीद करने वालों के साथ किये गये करार के फार्म की एक प्रतिलिपि यदि इसके पूर्व पेश न की गयी हो तो अब हमारे पास भेजी जाए)।	
5. आपकी कंपनी किस आधार पर किराया-खरीद करने वाले की तत्काल अदायगी की राशि या नकदी जमाराशि निर्धारित करती है? यदि वह सम्बन्धित माल के बिक्री मूल्य का कोई निर्धारित प्रतिशत हो तो कृपया उस प्रतिशत का उल्लेख करें।	
6. क्या आप किराया-खरीद करने वालों से ली गयी नकदी जमा-राशि या तत्काल अदायगी पर ब्याज अदा करते हैं? यदि हां, तो कृपया दिये जाने वाले ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक) का उल्लेख करें।	
7. पूंजी और प्रारक्षित निधि और किराया-खरीदारों की जमा-राशियों के अलावा आपके कारोबार की निधियों के दूसरे स्रोत क्या हैं?	

*ब्याज की एक सी (फ्लैट) दर का अर्थ वह दर है जो मंजूर की गयी किराया-खरीद की पूरी राशि पर लगाई गयी हो, न कि देय रहने वाली घटती हुई बकाया राशि पर लगाई गयी ब्याज-दर है।

**ब्याज की सही दर का अर्थ समय-समय पर बकाया रहने वाले ऋण की वास्तविक राशि पर लगायी गयी ब्याज की दर है।

खंड (ii)

31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के लिए किराया-खरीद कारोबार

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें)

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	किराया खरीद के माल	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के दौरान मंजूर किया गया नया ऋण		31 मार्च 197 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के अंत में बकाया ऋण	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष की दो छमाहियों के दौरान प्राप्त किस्तें		31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के अंत में बकाया ऋण	(कृपया अनुदेश 2 देखें)
		राशि	करार की अवधि	राशि	30 सितंबर	31 मार्च	राशि	
					राशि	राशि		
	(क) मोटर गाड़ियां							
01	(i) ट्रक और लारियां							
02	(ii) कार							
03	(iii) स्कूटर							
04	(iv) अन्य							
	(ख) टिकाऊ घरेलू वस्तुएं :							
001	(i) रेडियो रिसीवर							
002	(ii) पंखे							
003	(iii) रेफ्रीजरेटर							
004	(iv) सिलाई की मशीनें							
005	(v) अन्य							
010	(ग) कृषि-उपकरण : (ट्रैक्टर, बुलडोजर, आदि)							
020	(घ) औद्योगिक मशीनें या औजार या उद्योग के काम आने वाले उपकरण							
030	(ङ) अन्य सभी							
040	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)							

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :—यह प्रमाणित किया जाता है कि खंड (i) और (ii) के अन्तर्गत कंपनी के किराया-खरीद कारोबार के जो आंकड़े दिए गए हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ II देखें।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :

तारीख :

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत संख्या देने वाले का नाम
जांच करने वाले का नाम
पंच करने वाले का नाम
सत्यापन करने वाले का नाम

गोपनीय

फार्म—आर० पी० एफ०

चौथी अनुसूची

(कृपया तारीख 29 अक्टूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 1/ई० डी० (एस०) -66 का पैराग्राफ 13 देखें।)

(जो गृहनिर्माण वित्त कम्पनियां और पारस्परिक हित वाली वित्तीय कम्पनियों घरों के अधिग्रहण या निर्माण के वित्तपोषण का कार्य, जिसमें उसके संबंध में भूमिखंडों के अधिग्रहण या विकास का वित्तपोषण शामिल है, अपने प्रमुख कारोबार के रूप में करती हैं उन सभी कम्पनियों को इसे भरना चाहिए।)

भाग 1

31 मार्च 197 को गृहनिर्माण वित्त कम्पनियों के पास रहने वाली जमा राशियां

संकेत सं० (1) कम्पनी का नाम.....

——————— (2) पूरा पता

(क) पंजीकृत कार्यालय.....

.....

.....

(ख)* प्रधान/प्रशासी कार्यालय.....

——————— (3) किस राज्य में कम्पनी पंजीकृत है:.....

——————— (4) हैसियत* : निजी/सार्वजनिक सीमित कम्पनी/
विदेशी कम्पनी की शाखा

(5) कम्पनी की पंजीकरण संख्या.....

(6) (क) निगमन की तारीख.....

(ख) कारोबार प्रारंभ होने की तारीख.....

(7) कम्पनी का वित्तीय वर्ष .....

(8) कम्पनी के बैंकर (रों) का (के) नाम और पता.....

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट:—इस विवरणी को भरने के बाद मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 15, नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता के पास भेज दिया जाए।

फार्म के भाग I को भरने के लिए अनुदेश

1. 31 मार्च तक की कम्पनी की स्थिति के संबंध में इस भाग को विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देना/समाप्त करना जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं होना चाहिए। कम्पनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए।

3. किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी है, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, चिट या कुरी करारों के अधीन अभिदानों के रूप में प्राप्त राशि को जमा राशि के रूप में नहीं समझा जाएगा ; देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 2(1)(च) का खंड (vii)।

4. तारीख 29 अक्टूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 1/ई० डी० (एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1)(च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों को छोड़कर गैर जमानती उधारों को जमाराशियों के रूप में माना जाता है।

5. भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों को जमाराशियों के रूप में माना जाता है। यदि उपर्युक्त गैर जमानती ऋणों को अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) में उल्लिखित और इस भाग के खंड (i) के संकेत सं० 1 के अधीन वर्गीकृत जमाराशियों के रूप में स्वीकार करना है तो उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:—

(क) ऋणकर्ता कम्पनी को वचनपत्रों द्वारा या ऋण करारों को प्रमाणित करने वाले पत्राचारों द्वारा उन्हें प्रमाणित करना चाहिए,

(ख) कम्पनी के भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा, यदि कोई हों, अपनी वैयक्तिक हैसियत से इन ऋणों की वापसी अदायगी के लिए गारंटी दी जानी चाहिए, और

(ग) इन ऋणों को कम्पनी की बहियों में सावधि ऋण लेखों में रखना चाहिए। ऋणों की आंशिक वापसी अदायगी की जा सकती है; किन्तु नये ऋणों की राशि उसी लेखे में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

यदि उपर्युक्त कोई गैर जमानती ऋण उक्त तीन मानदंडों में से किसी की पूर्ति न करे तो उसे अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि के रूप में माना जाए और इस कारण उसे यथास्थिति इस भाग के खंड (i) में संकेत सं० 6 या 7 के अधीन वर्गीकृत किया जाए।

6. फिलहाल लागू रहने वाली किसी साहूकारी विधि के अधीन पंजीकृत व्यक्ति से स्वीकृत ऋणों को यदि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 के (क) और (ग) में उल्लिखित मानदंडों की पूर्ति करें तो 'जमाराशि' की परिभाषा से छूट दी जाती है।

7. लेखों की संख्या वास्तविक अंकों में दी जानी चाहिए और जमाराशि का उल्लेख हजार रुपयों में किया जाना चाहिए। राशि को निकटतम हजार में पूर्णांकित करना चाहिए और तीन शून्यों को हटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए रु० 4,560 को 5 के रूप में दिखाना चाहिए, न कि 4.6 या 5,000 के रूप में।

8. विवरणी के इस भाग के खंड (iii) में जमा राशि प्राप्त करने के लिए अदा की गयी दलाली को ब्याज-दर में जोड़ना नहीं चाहिए, किन्तु सारणी के अंत में पाद टिप्पणी में उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

9. प्राप्त की गयी कोई ऐसी राशि जिसे विशिष्ट रूप से तारीख 29 अक्तूबर 1966 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 1/ई० डी० (एस०)-66 के पैराग्राफ 2(1)(च) के उपखंड (i) से लेकर (xiii) तक में उल्लिखित 'जमाराशि' से अलग किया गया है, विवरणी के इस भाग के खंड (i), (ii) और (iii) की मद III के अन्तर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के अधीन वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्याय के रूप में प्राप्ति राशि, माल की सप्लाई या सेवाओं के लिए प्राप्त पेशगी रकम, ठेकेदारों से प्राप्त जमानत राशि और अन्य छूट प्राप्त राशियों को विवरणी के इस भाग के खंड (i) में सं० 10 से 17 तक के संकेतों में से किसी भी संकेत के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता; किन्तु उन्हें उसी खंड के संकेत सं० 18 के अन्तर्गत दिखाया जाए।

10. विवरणी के इस भाग के खंड (ii) में उल्लिखित जमाराशियों का अवधिवार वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार जिनके लिए वे मूलतः प्राप्त की गयी हैं/पहले नवीकृत की गयी हैं और न कि उन अवधियों के अनुसार जहां तक उन्हें 31 मार्च अर्थात् विवरणी की तारीख से जारी रहना चाहिए, मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। जिन राशियों की समाप्ति की अवधि निर्दिष्ट नहीं हो या जो राशियां किस्तों में चुकायी जानी हो, उन्हें उपर्युक्त मदों के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1 और 10 के अन्तर्गत दिखाना चाहिए और तत्संबंधी परिस्थिति की उचित व्याख्या पाद टिप्पणियों में दी जानी चाहिए।

11. जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और ब्याजरहित प्राप्तियों को इस भाग के खंड (iii) में यथास्थिति मद I, II और III के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1, 8 और 10 के अन्तर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।

12. केवल उन्हीं प्रारक्षित राशियों को जिन्हें कंपनी के तुलन पत्र में इस प्रकार दिखाया या प्रकाशित किया गया हो कि किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रख लिया जाता है, 'अबाध प्रारक्षित निधियों' के रूप में माना जाए और विवरणी के इस भाग के खंड (iv) और (v) में दिखाया जाए। किसी ऐसी दूसरी प्रारक्षित निधि को जिसे लेखा परीक्षित तुलन पत्र में इस प्रकार दिखाया गया हो कि उसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है, हिसाब में नहीं लेना चाहिए चाहे उसके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो। निम्नलिखित प्रारक्षित निधियों को सामान्यतः अबाध प्रारक्षित निधियों के रूप में माना जाता है:

(i) सामान्य प्रारक्षित निधि
(ii) पूंजीगत प्रारक्षित निधि
(iii) पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि
(iv) आकस्मिक प्रारक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट प्रारक्षित निधि या विकास छूट प्रारक्षित निधि
(vi) शेयर प्रीमियम लेखे में जमा
(vii) सामान्य प्रारक्षित निधि के रूप में विद्यमान अधिशेष।

13. अधिसूचना के पैराग्राफ 13(2)(i) की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के प्रमुख अधिकारियों के नामों और पदनामों तथा निदेशकों के नामों और पतों की सूची संलग्न की जानी चाहिए यदि उक्त सूची अब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भेजी नहीं गयी हो।

14. जब तक अन्यथा कोई संकेत न दिया जाए, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 में दी गयी परिभाषाएं, जहां तक वे संगत हों, लागू होंगी।

15. विवरणी पर (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में दी हुई परिभाषा के अनुसार) प्रबंधक को हस्ताक्षर करने चाहिए और यदि कोई ऐसे प्रबन्धक न हों तो उस पर प्रबंध निदेशक द्वारा या कम्पनी के किसी ऐसे अधिकारी को जिसे निदेशक बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो और जिसके नमूना हस्ताक्षर रिजर्व बैंक को पेश किये गये हों, हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में नहीं दिये गये हों तो विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर कर सकते हैं और उनके नमूना हस्ताक्षर अलग से पेश किये जा सकते हैं।

16. यदि, विवरणी के किसी भाग/अनुभाग में कोई भी सूचना नहीं देनी है तो उसमें 'कुछ नहीं' लिखा जाना चाहिए और उसके साथ जोड़े गये प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर यथाविधि हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

खंड (I)

बकाया जमाराशियां, आदि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०		जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
1		2	3	4
	I.	अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(च)(i) में उल्लिखित जमाराशि वर्ग		
1	(क)	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां		
2	(ख)	गैर जमानती डिबेंचर		
3	(ग)	सदस्यों* (जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां		
4	(घ)	निदेशकों द्वारा अपनी निजी हैसियत में गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां		
5	(ङ)	जोड़ (क+ख+ग+घ)		
	II.	अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित जमा राशि वर्ग		
6	(च)	सावधि जमा राशियां		
	(चच)	सहयोगी सदस्यों से प्राप्त जमाराशियां£		
7	(छ)	कोई दूसरी जमा राशियां		
8	(ज)	जोड़ (च+छ)		
9	(i)	(I)+(II) का जोड़		
	III.	छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियों जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता [अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च)(i) से (xiii) तक देखें]		
10	(झ)	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, से प्राप्त राशि		
11	(ञ)	निदेशकों से प्राप्त राशि*		
12	(ट)	निजी सीमित कम्पनी के मामले में सदस्यों** से प्राप्त राशि		
13	(ठ)	कर्मचारियों से प्राप्त जमानत राशि		
14	(ड)	क्रय, विक्रय या अन्य एजेन्टों से कारोबार के उद्देश्य के लिए प्राप्त राशि		
15	(ढ)	मिश्रित पूंजी कम्पनियां (उसी वर्ग की कम्पनियों को मिलाकर) प्राप्त-राशि		
16	(ण)	जमानत उधार और बैंकों और अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से प्राप्त उधार		
17	(त)	विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि		
18	(थ)	अन्य छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमा-राशियों के रूप में नहीं माना जाता		

1	2	3	4
19	(द) जोड़ (ह से थ तक)		
20	IV उपर्युक्त I, और III का जोड़		

*यहां प्रयुक्त किये गये शब्द 'सदस्य' से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कम्पनी के शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत हो।

**कृपया ध्यान दें कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या जमा राशि स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से प्राप्त राशि को छूट नहीं दी जाती (अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1)(च)(ix) देखें)। उसकी राशि को इस वर्ग में जोड़ने के पहले कम्पनी को उस व्यक्ति के इस आशय की एक घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए।

£परस्पर लाभवाली वित्तीय कम्पनियों के मामले में ही लागू होगा।

खंड (ii)

जमाराशियों, आदि की अवधि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट प्राप्त ऋणों और प्राप्तियों की अवधि (अनुदेश सं० 10 देखें)।	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
1	2		3		4
	1 भूतपूर्व प्रबंध ऐजेंटों या सचिव और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटिकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां, गैर-जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर-जमानती ऋणों सहित जमा राशियां और निदेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमा राशियां	1	मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 3 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		2	3 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		3	6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम कम अविधि में प्रतिदेय।		
		4	12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		5	24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रति-देय		
		6	36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		7	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		8	1 से 7 तक का जोड़ [(नोट सं० (i) देखें)]		

1	2	3	4
00 II	जमाराशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	9 अति देय और/या अदावी	
		10 मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय; इनमें उपर्युक्त संकेत सं० 9 में उल्लिखित जमा राशियां शामिल नहीं हैं।	
		11 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		12 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		13 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		14 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		15 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय	
		16 9 से 15 तक का जोड़ (नोट सं० ii देखें)	
000 III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमा-राशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों से—यदि कोई हों—जमानत के रूप में कर्मचारियों से, क्रय, विक्रय या दूसरे एजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और प्राप्तियां	17 मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		18 मांग पर या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		19 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		20 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	
		21 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय	

1	2	3	4
		22 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय	
		23 17 से 22 तक का जोड़ (नोट सं० iii देखें)	
0000 IV,	I II और III का जोड़	(नोट सं० IV देखें)	

(i) संकेत सं० 8 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(ii) संकेत सं० 16 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 8 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।
(iii) संकेत सं० 23 के जोड़ को खंड (i) के संकेत सं० 19 से मेल खाना चाहिए।
(iv) खंड (ii) की मद IV के जोड़ को खंड (i) की मद IV के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

खंड (iii)

जमाराशियों, आदि पर ब्याज दरें (दलाली शामिल नहीं हैं) 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमा राशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	ब्याज दर	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
0 I	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियां, गैर जमानती डिबेंचर, सदस्यों (जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य नहीं होते) से प्राप्त गैर जमानती ऋणों सहित जमाराशियां और निदेशकों द्वारा गारंटीकृत गैर जमानती ऋणों सहित जमाराशियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
		7	1 से 6 तक का जोड़	
00 II	जमाराशियां अर्थात् सावधि जमा राशियां और कोई दूसरी जमा राशियां	8	5% और उससे कम	
		9	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		10	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	
		11	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		12	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		13	12% या उससे अधिक	
		14	8 से 13 तक का जोड़	
000 III	छूट प्राप्त ऋण और ऐसी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता; अर्थात् निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियां या निदेशकों या भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और	15	5% और उससे कम	
		16	5% से अधिक, परन्तु 7% से कम	
		17	7% या उससे अधिक, परन्तु 9% से कम	

1	2	3	4	5
	कोषपालों से—यदि कोई हों,—जमानत के रूप में कर्मचारियों से, क्रय, विक्रय या दूसरे एजेंटों से प्राप्त उक्त ऋण और राशियों या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त ऋण और अन्य सभी ऋण और राशियां	18	9% या उससे अधिक, परन्तु 10% से कम	
		19	10% या उससे अधिक, परन्तु 12% से कम	
		20	12% या उससे अधिक	
		21	15 से 20 तक जोड़	
0006 IV I, II और III का जोड़				

नोट: (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ को खंड (i) के क्रमशः संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

(ii) खंड (iii) की मद IV के जोड़ को खंड (i) की मद IV के जोड़ से मेल खाना चाहिए।

खंड (IV)

अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ)(i) में उल्लिखित और मांग पर या नोटिस पर या 6 महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय जमाराशि वर्गों के नियमन को दर्शानेवाला विवरण

(राशि हजार रुपयों में)

———को कारोबार समाप्त होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त जमाराशियों की कुल रकम (अर्थात् खंड (ii) के संकेत सं० 1 और 2 का जोड़)	शुद्ध स्वाधिकृत निधियों का 25% शुद्ध स्वाधिकृत निधियां याने (चुकता पूंजी और अबाध प्रारक्षित निधि, यदि कोई हानि हुई हो तो उसके शेषांश को घटाकर)	*कृपया बताइए कि क्या ऐसी जमा राशियों को अधिसूचना के पैराग्राफ 4(3) के अनुसार नियमित कर दिया गया है। यदि नहीं दिया गया है तो ऐसा न करने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
1	2	3	4
31 दिसम्बर 1971			
31 मार्च 1973			
31 मार्च 1974			
31 मार्च 1975			

नोट: *(i) यदि कुल अनियमित जमाराशियां कम्पनी की स्वाधिकृत निधियों के 25% से अधिक नहीं हैं तो ऐसी जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर देना चाहिए।

(ii) यदि कुल अनियमित जमाराशियां कम्पनी की स्वाधिकृत निधियों के 25% से अधिक हैं तो उन्हें निम्न प्रकार नियमित किया जाए: (क) कम से कम शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के 25% के बराबर की जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले, (ख) कम से कम शेष अंश के अर्धांश को 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश को 1-4-1975 के पहले।

खंड (V)

कम्पनी के लेखा परिक्षित तुलनपत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख की कम्पनी की तुलनात्मक स्थिति

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	——के तुलनपत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 की विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट-बढ़ हुई हो तो उसके कारण स्थूल रूप से दिए जाएं
1	2	3	4
अ-देयताएं			
1. चुकता पूंजी			
2. अबाध प्रारक्षित निधियां			
3. हानि का शेष यदि कोई हो			
4. जमाराशियां*	@		
5. छूट प्राप्त ऋण/प्राप्तियां	£		
आ—आस्तियां			
6. ऋण और अग्रिम			
7. शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों (बही मूल्य) में निवेश			
8. किराया खरीद अग्रिम			
9. भूमि या मकानों की खरीद की वित्तीय सहायता करने के लिये ऋण			
10. आय का मुख्य स्रोत (विवरणों सहित)			

*31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल अधिकतम जमाराशि और सम्बन्धित तारीख नीचे दी जाए:

(i) वर्ष के दौरान अधिकतम जमाराशियां (हजार रुपयों में) ——————

(ii) किस तारीख को उपर्युक्त अधिकतम राशि थी ——————

@खंड (i) के संकेत सं० 9 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

£खंड (i) के संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाए।

प्रबंधक/प्रबंध/निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र:

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में दी गयी जमाराशियां कम्पनी की कारोबार संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त की गयी या नवीकृत की गयी।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(i)(च)(ix) के परन्तुक के अनुसार निदेशकों और सदस्यों** से लिखित रूप में ये घोषणाएं प्राप्त की गयी हैं कि उन्होंने कम्पनी को किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लकर या जमाराशियां स्वीकार कर प्राप्त की गयी निधियों से रकम नहीं दी है।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने जमाराशियों की अभ्यर्थना करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ 5(1) के उपबंधों का पालन किया है।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्धारित प्रणाली से 1 जनवरी 1973 को या उसके पहले जमाराशियां स्वीकार की गयी हैं, नवीकृत की गयी हैं या परिवर्ति की गयी हैं।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(6) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में बतायी गयी प्रणाली से जमाराशियों की बहियां रखी गयी है।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में पेश किये गये विवरणों/जानकारी का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

(जो प्रमाणपत्र लागू न हो उसे काट दें)

तारीख

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर——————

नाम——————

पदनाम——————

विवरणी के अनुलग्नक:

यदि निम्नलिखित दस्तावेज पहले ही भेजे न गये हों तो उन्हें विवरणी के साथ पेश किया जाए। संलग्न दस्तावेज के लिए संबंधित मद के सामने चौकोर में निशान लगा दें और अन्य मामलों में पेश किये जाने की तारीख का उल्लेख करें।

(1) इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे की प्रतिलिपि

(2) नमूना हस्ताक्षर कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदनपत्र की प्रतिलिपी

(4) 31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान यदि कोई विज्ञापन जारी किये गये हों तो उनमें से प्रत्येक की प्रतिलिपि

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश 13 देखें)

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य
			संकेत सं० देनेवाले का नाम जांच करने वाले का नाम पंच करनेवाले का नाम सत्यापन करनवाले का नाम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**केवल निजी सीमित कम्पनियों के मामले में लागू है।

भाग II

गृह निर्माण वित्त संबंधी कारोबार के विवरण

खंड (i)

प्रश्नावली

(जब यह विवरणी पहली बार पेश की जा रही हो, तब प्रश्नावली का ब्योरेवार उत्तर दिया जाए। उसके बाद यदि स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो उसका संकेत किया जाए और यदि पहले सूचित की गयी स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाए।)

(अ) प्रश्न	(आ) उत्तर
1. क्या आप ब्याज के अलावा, कई अन्य फीस, अर्थात् हकों की छानबीन करने की फीस, कानूनी प्रभार, मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण और आर्किटेक्ट की फीस या अन्य खर्चों के लिए कोई राशि लेते हैं या वसूल करते हैं? यदि हों तो इन प्रभारों के स्वरूप को संक्षेप में बताएं।	
2. क्या आप नियत तारीखों को ऋणों की वापसी अदायगी होने में विलम्ब होने पर दण्ड स्वरूप ब्याज लेते हैं?	
3. यदि ऋणकर्ता मंजूर किये गये ऋण का समय पर उपयोग न करे तो क्या आप कोई वायदा फीस या ब्याज लेते हैं?	
4. ऋण मंजूर करने के पहले आप कौन-सी (क) प्रधान और (ख) समर्थक जमानत लेते हैं और भूमि/संपत्ति के मूल्य पर कौन-सा नियमित या साधारणतम मार्जिन रख लेते हैं? कृपया ऋण संबंधी करार के अपने मानक फार्म की एक प्रतिलिपि संलग्न करें।	

खंड (ii)

भूमि या मकान खरीदने के लिए दिये गये ऋणों की बकाया राशि

31 मार्च 197 को

संकेत सं०	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)	इस वर्ग में लिये जाने-वाले ब्याज की न्यूनतम और उच्च-तम दरें।
(1) सदस्यों को दिये गये ऋण			
रु० 5,000 तक			
रु० 5,001 से रु० 10,000 तक			
रु० 10,001 से रु० 15,000 तक			
रु० 15,001 से रु० 25,000 तक			
रु० 25,001 से रु० 50,000 तक			
रु० 50,001 से रु० 1,00,000 तक			
रु० 1,00,000 से अधिक			
(2) गैर सदस्यों को दिये गय ऋण			
रु० 5,000 तक			
रु० 5,001 से रु० 10,000 तक			
रु० 10,001 से रु० 15,000 तक			
रु० 15,000 से रु० 25,000 तक			
रु० 25,001 से रु० 50,000 तक			
रु० 50,001 से रु० 1,00,000 तक			
रु० 1,00,000 से अधिक			
(3) (1)+(2) का जोड़			

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खंड (i) और (ii) में कम्पनी के गृहनिर्माण वित्तीय कारोबार संबंधी जो आंकड़े दिये गए हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और संपूर्ण हैं।

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

तारीख : पदनाम :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य	संकेत सं० देनेवाले का नाम, जांच करने-वाले का नाम, पंच करने वाले का नाम, सत्यापन करनेवाले का नाम।

भाग III

ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों के विवरण

(फार्म का यह भाग भरने के पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अनुदेश

1. कम्पनी की 31 मार्च तक की स्थिति के संबंध में इस भाग की विवरणी साल में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए चाहे कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कुछ भी क्यों न हो।

2. वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने/समाप्त करने जैसे कारणों से विवरणी को पेश करने में, विलंब नहीं होना चाहिए कम्पनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरणी का संकलन किया जाना चाहिए।

3. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए किसी वर्ग से वही अर्थ लिया जाता है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप धारा (ii) में दिया गया है।

4. बही उधारों को खंड (i) में दर्शाना नहीं चाहिए जब तक बही उधार के रूप में किया गया लेनदेन प्रारंभ से ही ऋण के रूप में न हो।

5. खंड (i) के (IV) (6) में 'अन्य' के अन्तर्गत उन पार्टियों के संबंध में अलग विवरण दिये जाने चाहिएं जिन्हें कम्पनी की अभिदत्त पंजी के 10% से अधिक ऋण या अग्रिम प्रदान किये गये हों और वे बकाया हों।

6. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से वे प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो सरकारी ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2(2) के अन्तर्गत "सरकारी प्रतिभूति" की परीभाषा में शामिल की गयी हैं।

7. किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करनी हो, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फंड का कारोबार भी करती हो, इनाम प्राप्त चिट अभिदाताओं से प्राप्त होनेवाली इनाम की राशि और चिट कारोबार को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए चिट फंडों के रजिस्ट्रारों को प्रभारित प्रतिभूतियों में निवेश की गयी राशि की सूचना विवरणी के इस भाग में देने की आवश्यकता नहीं है।

8. सभी शेयरों, डिबेंचरों और निवेश लेखे में या व्यापार स्टाक के रूप में रखी हुई अन्य प्रतिभूतियों के विवरण दिये जाने चाहिए।

खंड (i)

बकाया ऋण और अग्रिम
(ऋणकर्ताओं के वर्गों के अनुसार वर्गीकृत) 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	पार्टी का नाम	राशि (हजार रुपयों में)
I	एक ही वर्ग की कम्पनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
II	कम्पनियां जो एक ही वर्ग की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
III	कुल कम्पनियां (I+II)	
IV	कम्पनियों से भिन्न पार्टियां	
	1. निदेशक	
	2. भूतपूर्व प्रबंध एजेंट और भूतपूर्व सचिव तथा कोषपाल	
	3. सदस्य	
	4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी	
	5. खरीदनेवाले, विक्रय करनेवाले और दूसरे एजेंट	
	6. अन्य (कृपया अनुदेश सं० 5 देखिए)	
V	1 से 6 तक का जोड़	
VI	कुल जोड़ (III+V)	

*कृपया व्यक्तिगत कम्पनियों के नाम तथा उनसे प्राप्त राशि का उल्लेख निर्दिष्ट स्तंभ में कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज संलग्न किया जाय।

खंड (ii)

बकाया निवेश

(कम्पनी की हैसियत के अनुसार वर्गीकृत अर्थात् वे एक ही वर्ग की हैं या एक ही वर्ग की नहीं हैं।)

31 मार्च 197 को

संकेत संख्या	विवरण	राशि (हजार रुपयों में)£
	I एक ही वर्ग की कम्पनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
	II कम्पनियां जो एक ही वर्ग की नहीं है*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
	III कम्पनियों का जोड़	
	IV सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियां	
	V अन्य निवेश (बैंकों के पास रहनेवाली सावधि जमाराशियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश आदि)	
	VI कुल जोड़ (III+IV+V)	

*कृपया व्यक्तिगत कम्पनियों के नामों और उनमें लगायी गयी राशियों का निर्दिष्ट स्तंभ में उल्लेख कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक पृथक कागज संलग्न किया जाय।

£कृपया बही मूल्य दिखायें।

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि खंड (i) और (ii) में ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों के जो विवरण दिये गये हैं उनका सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से सही और पूर्ण हैं।

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/**प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर————
नाम ————————
पदनाम ————————

**जो लागू न हो उसे काट दें।

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

संकेत सं० देनेवाले का नाम, जांच करने वाले का नाम, पंच करने-वाले का नाम, सत्यापन करने वाले का नाम

भाग IV

(1) जमाराशियों और (2) नकदी आस्तियों के विवरण

(जमाराशियों और नकदी आस्तियों अर्थात् निम्नलिखित (1) और (2) के विवरणों के अधीन उस वर्ष के जिसके लिए विवरणी पेश की जाती हो, 31 मार्च को समाप्त हुए 12 महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक महीने के अंत में रहने वाले आंकड़े दिये जाएं ।)

(राशि हजार रुपये में)

संकेत संख्या		पिछले वर्ष						वर्तमान वर्ष		
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
001	(1) जमाराशियां (अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च) में परिभाषित अर्थात् भाग I के खंड (I) के संकेत सं० 9 का जोड़												
	(2) *नकदी आस्तियां												
1	(क) नकदी में												
2	(ख) अनुसूचित बैंकों के चालू या किसी अन्य जमा लेखे में, जो किसी प्रभार या गहन से मुक्त हो।												
3	(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों की भारमुक्त प्रतिभूतियों में या दूसरी ऐसी भारमुक्त प्रतिभूतियों में जिनमें कोई न्यासी न्यास धन का निवेश करने के लिए हकदार हो।												

**प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों और नकदी आस्तियों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और यह पाया गया है कि वे सभी दृष्टियों से संपूर्ण हैं।

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ 10 देखें।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

**प्रबंधक/प्रबंधनिदेशक/प्राधिकृत अधिकारी

के हस्ताक्षर———————

नाम :———————

पदनाम : ———————

तारीख :

गोपनीय

पांचवीं अनुसूची

फार्म एम० एफ०

(कृपया अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी० 1/ई०डी० (एस०)—66 तारीख 29 अक्तूबर 1966 का पैराग्राफ 13 देखें)

(यह फार्म उन कंपनियों को छोड़कर जो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में विवरणियां पेश करती हैं, शेष सभी विविध वित्तीय कंपनियों और सभी पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों द्वारा भरा जाए ।)

भाग—1

31 मार्च 197 को विविध वित्तीय कंपनियों की जमाराशियां

संकेत सं०

(1) कंपनी का नाम———

(2) पूरा पता :

(क) रजिस्टर्ड कार्यालय ———

(ख) *मुख्य/प्रशासकीय कार्यालय———

(3) कंपनी की रजिस्ट्री किस राज्य में हुई है :———

(4) *हैसियत (स्टेंट्स) : निजी/सार्वजनिक सीमित कंपनी/विदेशी कंपनी की शाखा

(5) कंपनी की रजिस्ट्री संख्या———

(6) (क) निगमन की तारीख ———

(ख) कारोबार शुरू करने की तारीख———

(7) कंपनी का वित्तीय वर्ष———

(8) कंपनी के बैंकर (रों) का नाम और पता ———

*जो लागू न हो, उसे काट दें ।

नोट : यह विवरणी तैयार करने के बाद, मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 15 नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता—1 को भेजी जानी चाहिए ।

फार्म का भाग I भरने के लिए अनुदेश

31 मार्च को कंपनी की जो स्थिति हो उसके सिलसिले में इस भाग की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए ; भले ही कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कोई भी क्यों न हो ।

2. किसी भी कारण से इस विवरणी को पेश करने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए; इन कारणों में वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना/की लेखा परीक्षा समाप्त भी शामिल है । विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

3. जिस कंपनी के लिए यह विवरणी पेश करना आवश्यक है परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, उसके मामले में चिट या कुड़ी करारों के अधीन अभिदान के रूप में प्राप्त राशियां, जमा राशियां नहीं गिनी जाएंगी । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेशावली; 1966 के पैराग्राफ 2(i)(च) का खंड (vii) देखें ।

4. अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी० 1/ई०डी० (एस०)—66 तारीख 29 अक्तूबर 1966 के पैराग्राफ 2(1) (च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों के साथ बे-जमानती (अनसिक्यूर्ड) उधारों को जमाराशियां माना जाता है ।

5. पहले के प्रबन्ध एजेंटों (मनेजिंग एजन्ट्स) या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत बे-जमानती ऋणों को जमाराशियां माना जाता है । उपर्युक्त बे-जमानती ऋणों को उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां मानी जाने और इस भाग के अनुभाग (i) के संकेत सं० 1 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के योग्य होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए ।

(क) उनके साक्ष्य के रूप में या तो उधार लेनेवाली कंपनी द्वारा निष्पादित वचनपत्र या ऋण के करार के साक्ष्य के लिए उनके और कंपनी के बीच आदान प्रदान किये गये पत्र होने चाहिये,

(ख) यदि कंपनी के पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा इन ऋणों की वापसी अदायगी (रिपेमेंट) की गारंटी दी गई हो तो वह उनकी व्यक्तिगत हैसियत से दी जानी चाहिए, और

(ग) ये ऋण कंपनी की बहियों में मियादी ऋण लेखों के रूप में रखे गये दिखाये जाने चाहिए । उनकी आंशिक वापसी अदायगियों के लिए अनुमति है परन्तु नयी राशियां उसी लेखे में ऋणों के रूप में नहीं ली जानी चाहिए ।

यदि ऊपर उल्लेख किये गये प्रकार का बे-जमानती ऋण उपर्युक्त तीनों मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं करता तो ऐसे मामलों में उसे उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशि माना जाना चाहिये और उसे इस भाग के अनुभाग (i) में, यथास्थिति, संकेत सं० 6 या 7 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

6. साहूकारी से संबंधित जो विधि फिलहाल लागू हो उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त ऋणों को 'जमाराशि' पद (टर्म) से छूट दी गई है बशर्ते कि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 के (क) और (ग) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरे करते हों।

7. लेखों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि जमाराशियों की रकमें हजार रुपयों में दी जानी चाहिए। राशि का निकटतम हजार में पूर्णांकन (राउंडेड आफ) किया जाना चाहिये और तीन शून्यों को छोड़ दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 4,560 रुपयों की राशि 5 लिखी जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,000।

8. इस विवरणी के इस भाग के अनुभाग (iii) में जमाराशियां प्राप्त करने के लिए अदा की गयी दलाली ब्याज की दर में शामिल नहीं की जानी चाहिए परन्तु वह सारणी के अंत में पाद-टिप्पणी में दर्शायी जानी चाहिए।

9. प्राप्त हुई कोई भी ऐसी राशि जो अधिसूचना सं० डी०एन०बी०सी० 1/ई०डी० (एस०)–66 तारीख 29 अक्तूबर 1966 के पैराग्राफ 2(1)(च) के उपखण्ड (i) से (xiii) के 'जमाराशि' पद में विशेष रूप से शामिल न की गयी हो वह इस विवरणी के इस भाग के अनुभाग (i), (ii) और (iii) में मद III के अंतर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के सामने वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्यास के रूप में प्राप्त जमाराशियां, माल या सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम राशियां ठेकेदारों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां और छूट दी गयी ऐसी प्राप्त जमाराशियां जो उक्त विवरणी के इस भाग के अनुभाग (i) में संकेत सं० 10 से 17 में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकती, वे उसी अनुभाग के संकेत सं० 18 के सामने दर्शायी जानी चाहिए।

10. उक्त विवरणी के इस भाग के अनुभाग (ii) में दर्शायी जानेवाली जमाराशियों का अवधि के अनुसार वर्गीकरण मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अंतर्गत उन अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मूल रूप से प्राप्त हुई हों/उनका अन्तिम बार नवीकरण किया गया हो और न कि उन अवधियों के अनुसार जो 31 मार्च अर्थात् उक्त विवरणी की तारीख से उनके जारी रहने के लिए बकाया हों। उन राशियों को उपर्युक्त मदों के अंतर्गत क्रमशः संकेत सं० 1 और 10 के सामने दर्शाया जाना चाहिए जिनकी पुगाई (मेच्योरिटी) की अवधि निर्दिष्ट न हों या जिनकी वापसी अदायगी किस्तों में की जानी हो और स्थिति का समुचित स्पष्टीकरण पाद-टिप्पणियों मे दिया जाना चाहिए।

11. जमाराशियों और छूट-प्राप्त उधारों और जिन प्राप्तियों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता उन्हें, इस भाग के अनुभाग (III) में, यथा-स्थिति मद i, ii और iii के अधीन क्रमशः संकेत सं० 1, 8 और 15 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

12. केवल उन रक्षित निधियों को 'मुक्त रक्षित निधियां' माना जाना चाहिए जिनको कंपनी के तुलन-पत्र में किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो और उक्त निधियों को विवरणी के इस भाग के अनुभाग (iv) और (vi) में दर्शाया जाना चाहिए। जिस किसी अन्य रक्षित निधि की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र में दी गयी नामावली से यह संकेत मिलता है कि उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है उसे हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए भले ही उसके निर्मित किये जाने का वास्तविक प्रयोजन कुछ भी क्यों न हो।

निम्नलिखित रक्षित निधियों को सामान्यतः मुक्त रक्षित निधियां माना जाता है :

(i) सामान्य रक्षित निधि
(ii) पूंजी रक्षित निधि
(iii) पूंजी प्रतिदान (रिडेम्पशन) रक्षित निधि
(iv) फुटकर व्यय की रक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट (रिबेट) की रक्षित निधि या विकास छूट (अलाउंस) की रक्षित निधि
(vi) शेयर अधिमूल्य (प्रीमियम) लेखे में बकाया राशि
(vii) सामान्य रक्षित निधि के स्वरूप वाला अधिशेष

13. जैसा कि इस अधिसूचना के पैराग्राफ 13(2)(क) के अनुसार आवश्यक है, यदि कंपनी के प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके आधिकारिक पदनाम तथा कंपनी के निदेशकों के नाम और पते दर्शानेवाली सूची अब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया को न भेजी गई हो तो वह इसके साथ नत्थी की जानी चाहिए।

14. जब तक इसके प्रतिकूल कोई संकेत न हो तब तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 में निर्दिष्ट परि-भाषाएं, वहां तक लागू होंगी जहां तक वे संबद्ध हों।

15. इस विवरणी पर प्रबन्धक (जिसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में की गयी है) को हस्ताक्षर करना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबन्धक न हो तो उस पर प्रबन्ध निदेशक या कंपनी के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए जिसे निदेशक बोर्ड ने यथाविधि प्राधिकृत किया हो और इस प्रयोजन के लिए जिसके नमूने के हस्ताक्षर रिजर्व बैंक को भेज दिये गये हों। यदि नमूने के हस्ताक्षर निर्धारित फार्म में न भेजे गये हों तो इस विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूने के हस्ताक्षर अलग से भेजे जाने चाहिए।

16. यदि, विवरणी के किसी भाग/अनुभाग में कोई भी सूचना नहीं देनी है तो उसमें 'कुछ नहीं' लिखा जाना चाहिए और उसके साथ जोड़े गये प्रबन्धक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर यथाविधि हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

अनुभाग (I)

बकाया जमाराशियां आदि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की राशि (हजार संख्या रुपयों में)
	I. अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1) (घ) और 3(1) (घ) (i) में उल्लिखित जमाराशियों के प्रकार	
1.	(क) पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों द्वारा गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त जमाराशियां	
2.	(ख) बेजमानती डिबेंचर	
3.	(ग) जमाराशियां जिनमें सदस्यों *(जो निजी सीमित कंपनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं।	
4.	(घ) जमाराशियां जिनमें निवेशकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से गारंटी दिये गये बेजमानती ऋण शामिल हैं।	
5.	(ङ) जोड़ (क+ख+ग+घ)	
	II. अधिसूचना के पैराग्राफ़ 3(1)(घ) (ii) में उल्लिखित जमाराशियों के प्रकार	
6.	(च) मीयादी जमाराशियां	
	(चच) सहयोगी सदस्यों से प्राप्त जमाराशियां †	
7.	(छ) अन्य कोई जमाराशियां	
8.	(ज) जोड़ (च+छ)	
9.	(झ) (I)+(II) का जोड़	
	III. छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं गिना जाता [अधिसूचना के पैराग्राफ़ 2(1)(च)(i) से (xiii) तक देखें] :	
10.	(ञ) पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हो, से प्राप्त रकम	
11.	(ट) निदेशकों** से प्राप्त रकम	
12.	(ठ) निजी सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों** से प्राप्त रकम	
13.	(ड) कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां	
14.	(ढ) खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से कारोबार के उद्देश्यों के लिए प्राप्त रकम	
15.	(ण) मिश्रित पूंजी कंपनियों से प्राप्त रकम (इनमें एक ही समूह की कंपनियां शामिल हैं)	
16.	(त) जमानती उधार और बैंकों तथा अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से लिये गये उधार	
17.	(थ) विदेशी स्रोतों से प्राप्त रकम	
18.	(द) अन्य छूटप्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं गिना जाता	
19.	(ध) जोड़ (ञ से द)	
20.	VI उपर्युक्त I, II और III का जोड़	

*यहां प्रयुक्त 'सदस्य' अभिव्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कंपनी में शेयरधारी के रूप में रजिस्टर है।

**कृपया यह नोट कर लें कि ऐसे व्यक्ति से प्राप्त ऐसी रकमें छूट-प्राप्त नहीं है जो उसने अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयीं निधियों में से दी हों। [अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1)(च) (ix) देखें]। उसकी रकम इस प्रकार में शामिल करने के पहले कंपनी को चाहिये कि वह उससे इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त कर ले।

†परस्पर लाभवाली वित्तीय कंपनियों के मामले में ही लागू होगा।

खंड (ii)

जमाराशियां आदि की अवधि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (कृपया अनुदेश सं० 10 देखें)	लेखों की संख्या	राशियां (हजार रुपयों में)
0 I	पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हो, द्वारा गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियां, बेजमानती डिबेंचर जमाराशियां जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कंपनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल है और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारंटी किये हुये बेजमानती ऋण शामिल हैं)।	1	3 महीनो से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय (रिपेएबल)।		
		2	3 महीने या उससे अधिक परन्तु 6 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		3	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनो से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		4	12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		5	24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियो के प्रकार	संकेत	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (कृपया अनुदेश सं० 10 देखे)	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
		6	36 महीने या उससे अधिक परंतु 60 महिनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		7	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		8	1 से 7 का जोड़ [नोट सं० (i) देखें]		
00 II	जमाराशियां अर्थात् मियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशियां	9	कालातीत और/या अदावी (अनक्लेम्ड)		
		10	उपर्युक्त संकेत सं० 9 के सामने उल्लिखित जमारशियों को छोड़कर 6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय।		
		11	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		12	12 महीने या उससे अधिक परंतु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		13	24 महीने या उससे अधिक परंतु 36 महीनो से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		14	36 महीने या उससे अधिक परंतु 60 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		

1	2	3	4	5	6
		15	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय ।		
		16	9 से 15 का जोड़ (नोट सं० ii देखें)		
000	III छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात् निजी सीमित कंपनियों के मामले में सदस्यों से या निदेशकों से या पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, से प्राप्त जमाराशियां कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां, खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कंपनियों से लिये गये उधार और अन्य सभी छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां ।	17	6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय ।		
		18	6 महीने या उससे अधिक परंतु 12 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		19	12 महीने या उससे अधिक परंतु 24 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय ।		
		20	24 महीने या उससे अधिक परंतु 36 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय ।		
		21	36 महीने या उससे अधिक परंतु 60 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय ।		
		22	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय ।		
		23	17 से 22 का जोड़ (नोट सं० iii देखें)		
0000	IV I, II और III का जोड़ (नोट सं० iv देखें)				

नोट :— (i) संकेत सं० 8 का जोड़ अनुभाग (i) के संकेत सं० 5 के जोड़ से मिलना चाहिए ।
(ii) संकेत सं० 16 का जोड़ अनुभाग (i) के संकेत सं० 8 के जोड़ से मिलना चाहिए ।
(iii) संकेत सं० 23 का जोड़ अनुभाग (i) के संकेत सं० 19 के जोड़ से मिलना चाहिए ।
(iv) अनुभाग (ii) की मदIV का जोड़ अनुभाग (i) की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए ।

अनुभाग (iii)

जमाराशियों आदि पर ब्याज (दलाली कोछोड कर) की दरें 31मार्च 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	ब्याज की दर	राशि (हजार रुपयों में)
0 I	पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी किये गये ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियां, बेजमानती डिबेंचर,	1	5 प्रतिशत और उससे कम	
		2	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम ।	
		3	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9	

1	2	3	4	5
	जमाराशियां, जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कंपनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारंटी किये हुए बेजमानती ऋण शामिल हैं।		प्रतिशत से कम	
			9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम।	
		5	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम।	
		6	12 प्रतिशत या उससे अधिक।	
		7	1 से 6 का जोड़।	
00 II	जमाराशियां अर्थात् मियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशियां	8	5 प्रतिशत और उससे कम।	
		9	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम।	
		10	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम।	
		11	9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम।	
		12	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम।	
		13	12 प्रतिशत या उससे अधिक।	
		14	8 से 13 का जोड़।	
000 III	छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात् निजी सीमित कंपनियों के मामले में सदस्यों से या निदेशकों से या पहले के प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, से प्राप्त, कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां, खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कंपनियों से लिये गये उधार और अन्य सभी छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां।	15	5 प्रतिशत और उससे कम।	
		16	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम।	
		17	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम।	
		18	9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम।	
		19	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम।	
		20	12 प्रतिशत या उससे अधिक	
		21	15 से 20 का जोड़	
0000	IV I, II और III का जोड़			

नोट : (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ अनुभाग (i) के क्रमशः संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ों से मिलना चाहिए।

(ii) अनुभाग (iii) की मद IV का जोड़ अनुभाग (i) की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए।

अनुभाग (iv)

(क) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ) और 3(1)(घ)(i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियों और उनकी निर्धारित उच्चतम सीमा

(राशियां हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	ऊपर उल्लेख किये गये प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात् अनुभाग (i) के संकेत सं० 5 का जोड़	स्वामित्व की निधियां				उच्चतम सीमा (अर्थात् स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25 प्रतिशत	यदि उच्चतम सीमा से अधिक कोई जमाराशियां हो तो वे (2—7)	*कृपया यह उल्लेख करें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4 (1) के अनुसार अधिक जमाराशियों का समायोजन किया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो इसका पालन न किये जाने का कारण दिये जायें।
		चुकता पूंजी	मुक्त रक्षित निधियां	यदि घाटे की कोई बकाया राशि हो तो वह	स्वामित्व की शुद्ध निधियां (3+4)—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 दिसंबर 1971								
31 मार्च, 1973								
31 मार्च, 1974								
31 मार्च, 1975								

नोट :— *31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हों उनके कम से कम एक-तिहाई अंश को 1-3-1973 के पहले घटा देना होगा—

31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हों उनके दूसरे एक-तिहाई अंश को 1-4-1974 है और यदि उक्त अधिक राशि की कोई बकाया राशि हो तो उसे 1-4-1975 के पहले घटा देना होगा ?

(ख) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(1)(घ)(ii) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां और उनकी उच्चतम सीमा

31 मार्च, 197 (अर्थात् विवरणी की तारीख) को स्थिति

ऊपर उल्लेख किये गये प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात् अनुभाग (i) के संकेत सं० 8 का जोड़	उच्चतम सीमा (अर्थात् स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25 प्रतिशत)	यदि उच्चतम सीमा से अधिक कोई जमाराशियां हों तो वे (1)—(2)	अभ्युक्ति (रिमार्क्स)
1	2	3	4

अनुभाग (v)

अधिसूचना के पराग्राफ 3(1)(घ), और 3(1)(ध)(i) में उल्लिखित प्रकारों की जो जमाराशियां मांग या नोटिस पर या 6 महीने से कम अवधि के बाद प्रतिदेय है, उसका नियमन दर्शाने वाला विवरण (राशियाँ हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त प्रकारों की जमा-राशियों की कुल रकम [अर्थात् अनुभाग (ii) के संकेत संख्या 1 और 2 का जोड़]	स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25 प्रतिशत अनुभाग (iv) क का स्तंभ (कालम) 7 देखें	*कृपया यह उल्लेख करें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4(3) के अनुसार ऐसी जमाराशियों का नियमन किया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो उसका पालन न किए जाने के कारण दिए जाएं
1	2	3	4
31 दिसंबर 1971			
31 मार्च 1973			
31 मार्च 1974			
31 मार्च 1975			

नोट : *(i) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी के स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक न हो तो ऐसी जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर ली जानी चाहिए।

(ii) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कंपनी के स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उसे नीचे लिखे प्रकार से नियमित किया जाए : (क) स्वामित्व की शुद्ध निधियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर की ऐसी जमाराशियों की रकम 1-4-1973 के पहले; (ख) शेष राशि की कम से कम आधी रकम 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश 1-4-1975 के पहले।

अनुभाग (vi)

कंपनी के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख को उसकी तुलनात्मक स्थिति

राशि (हजार रुपयों में)

विवरण	——————को तुलन-पत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 के विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट बढ़ हो तो उसके लिए मोटे तौर पर कारण दिए जाएं
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. चुकता पूंजी			
2. मुक्त रक्षित निधियां			
3. यदि घाटे की कोई बकाया हो तो वह			
4. जमा राशियां*		@	
5. छूट प्राप्त उधार/प्राप्तियां		£	
ख. आस्तियां			
6. ऋण और अग्रिम			
7. शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (बही मूल्य)			
8. किराया खरीद अग्रिम			
9. भूमि या मकानों की खरीद के वित्तपोषण के लिए ऋण			
10. आय का प्रमुख स्रोत (ब्योरे के साथ)			

*31 मार्च, 197 को समाप्त हुए वर्ष में अधिकतम कुल जमाराशियां और संबंधित तारीख नीचे दर्शायी जाएं :

(i) वर्ष में जमाराशियों की अधिकतम राशि (हजार रुपयों में) _____

(ii) उपर्युक्त अधिकतम राशि किस तारीख को पाई गई _____

@अनुभाग (i) को संकेत सं० 9 का जोड़ यहां दर्शाया जाना चाहिए ।

£अनुभाग (i) को संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाना चाहिए ।

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी के इस भाग में सूचित (रिपोर्ट) की गयी जमाराशियां कंपनी के कारोबार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त या नवीकृत की गई हैं ।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1)(च)(i) के परन्तु क** की शर्तों के अनुसार निदेशकों और सदस्यों से इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त कर ली गई है कि उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयी निधियों में से कंपनी को रकम नहीं दी गयी है ।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने जमाराशियों के लिए याचना (सालिसिट) करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ के 5(1) के उपबन्धों का पालन किया है ।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियां 1 जनवरी 1973 को या उसके बाद अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार की गई है, नवीकृत की गई हैं अथवा परिवर्तित की गई हैं ।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है ।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों के रजिस्टर इस अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में दर्शाये गये तरीके के अनुसार रखे जाते हैं ।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी के इस भाग में दिये गये विवरण/दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है और वह हर तरह से सही और पूरे पाये गये हैं ।

(जो प्रमाण पत्र लागू न हो उसे काट दें)

तारीख :

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी

के हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

पदनाम : _____

विवरण के अनुलग्नक (इन्क्लोजर्स)

यदि नीचे लिखे दस्तावेज पहले ही न भेजे गये हों तो वे विवरणी के साथ भेजे जाने चाहिए । कृपया दस्तावेज की मद के सामने के चौखाने (बाक्स) में अनुलग्न दस्तावेज के लिए सही का निशान लगा दें और अन्य मामलों में उसे पेश करने की तारीख का उल्लेख करें ।

(1) इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख तक का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखे की एक प्रति

(2) नमूने के हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदन-पत्र की एक प्रति

(4) यदि 31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई विज्ञापन जारी किये गये हों तो उनकी एक प्रति

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश सं० 13 देखें)

(रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा काम में लाई जानेवाली जगह)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

_____ के द्वारा संकेतबद्ध किया गया ।

_____ के द्वारा जांच की गयी ।

_____ के द्वारा पंच किया गया ।

_____ के द्वारा सत्यापत किया गया ।

*जो भाग लागू न हो उसे काट दें ।

**यह केवल निजी सीमित कंपनियों के मामले में ही लागू होता है ।

भाग II

ऋणों और अग्रिमों और निवेशों का विवरण

(इस फार्म के इस भाग को भरने के पहले कृपया निम्नलिखित अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।)

अनुदेश

1. 31 मार्च को कंपनी की जो स्थिति हो उसके सिलसिले में इस भाग की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए ; भले ही कम्पनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कोई भी क्यों न हो

2. किसी भी कारण से इस विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इन कारणों में वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने/की लेखा परीक्षा समाप्ति भी शामिल है। विवरणी का संकलन कंपनी की बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. इस विवरणी के उद्देश्यों के लिए 'समूह' से वही तात्पर्य है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 373 की उपधारा (11) में है।

4. बही ऋणों को अनुभाग (i) में तब तक न दर्शाया जाए जब तक कि उक्त बही ऋण संबंधित लेन देन की शुरुआत से ही ऋण के स्वरूप का न रहा हो।

5. अनुभाग (i) के (iv) (6) में 'अन्य' के अधीन उन पार्टियों के संबंध में अलग अलग विवरण दिये जाएं जिन का कंपनी की अभिदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ऋण और अग्रिम प्रदान किये गये हों और वे बकाया हों।

6. इस विवरणी के प्रयोजन के लिए सरकारी प्रतिभूतियां वे ही हैं जो सरकारी ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2(2) के अधीन 'सरकारी प्रतिभूति' की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

7. जिस किसी कंपनी के लिए यह विवरणी पेश करना जरूरी है परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट फंड कारोबार करती है, उसके मामले में पुरस्कृत (प्राइज्ड) चिट अभिदाताओं से प्राप्त होने वाली पुरुस्कार (प्राइज) राशियों और ऐसी प्रतिभूतियों में लगाई गई राशियों की सूचना विवरणी के इस भाग में देने की आवश्यकता नहीं है जो चिट कारोबार के सुरक्षित संचालन के लिए चिटों के रजिस्ट्रार के नाम धारित की गयी हों।

8. सभी शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए भले ही वे निवेश लेखे में या व्यापारगत स्टाक (स्टाक इन ट्रेड में धारण किये गये हों।

9. कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में किये गये निवेशों को संबंधित कम्पनी के प्रधान कारोबार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

10. अंशतः चुकता शेयरों का अंकित मूल्य वह रकम होगी जो संबंधित वर्ष के मार्च की 31 तारीख को चुकता की गयी हो। यदि शेयर बाजार में किन्हीं शेयरों का मूल्य न लगाया जाता हो तो 'बाजार मूल्य' के स्तंभ के अधीन उस मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए जो प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। दलालों के करारों में दर्शाये गये खरीद मूल्य या बिक्री आगम (अंतरण फीस, स्टाम्प शुल्क और दलाली को छोड़कर) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तुलन पत्र के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिए गये मूल्य ह्रास या किये गये निवेशों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन किया जाना चाहिए परन्तु उन्हें विवरणी के अन्त में अलग से पाद-टिप्पणी में दर्शाया जाना चाहिए।

ऋण और अग्रिम

अनु भाग (i)

बकाया ऋण और अग्रिम 31 मार्च 197 को

(उधार कर्ताओं के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत)

संकेत सं0	पार्टी का नाम	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3
I	कंपनियां जो एक ही समूह की हैं*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	
II	कंपनियां जो एक ही समूह की नहीं हैं*	
	1.	
	2.	

1	2	3
	3.	
	4.	
	आदि	
III	कंपनियों का जोड़ (I+II)	
IV	कंपनियों को छोड़कर अन्य पार्टियां	
	1. निदेशक	
	2. पहले के प्रबंध एजेंट, सचिव और कोषाध्यक्ष	
	3. सदस्य	
	4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी	
	5. खरीद, बिक्री या अन्य एजेंट	
	6. अन्य (कृपया अनुदेश सं० 5 देखें)	
V	1 से 6 तक का जोड़	
VI	कुल जोड़ (III+V)	

(अनुभाग (ii)

बकाया ऋणों और अग्रिमों का प्रतिभूतियों के अनुसार वर्गीकरण 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमानत	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3
I	खाद्य वस्तुएं	
	1. धान और चावल	
	2. गेंहू	
	3. दूसरे अनाज	
	4. चीनी	
	5. गुड़	
	6. वनस्पति तेल	
	7. अन्य सभी खाद्य वस्तुएं	
II	औद्योगिक कच्ची सामग्री	
	8. मूंगफली	
	9. दूसरे तिलहन	
	10. रूई और कपास	
	11. कच्चा पटसन	
	12. अन्य सभी औद्योगिक कच्ची सामग्री	
III	बागान उत्पादन	
	13. चाय	
	14. काफी, काजू और दूसरे बागान उत्पादन	
IV	निर्मित वस्तुएं और खनिज पदार्थ	
	15. सूती वस्त्र	
	16. जूट के वस्त्र	
	17. दूसरे वस्त्र	
	18. कोयला	
	19. लोहा और इस्पात और इंजीनियरी वस्तुएं	
	20. अन्य सभी निर्मित वस्तुएं	

V	दूसरी प्रतिभूतियां
	21. स्थावर सम्पत्ति
	22. सोना और चांदी के बुलियन और गहने
	23. बैंकों में मियादी जमा राशियां
	24. सरकारी और दूसरी न्यासी प्रतिभूतियां
	25. मिश्रित पूंजी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर
	26. अन्य सभी जमानती ऋण और अग्रिम
VI	I से लेकर V तक का जोड़
VII	बेजमानती ऋण और अग्रिम
VIII	ऊपर के VI और VII का जोड़

*जिन कंपनियों पर राशियां बकाया हैं कृपया उनके अलग-अलग नाम और प्रत्येक पर बकाया रकमों का उल्लेख इस प्रयोजन के लिए दिये गये स्तंभों (कालमों) में कीजिए।

यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से एक कागज जोड़ लिया जाना चाहिए।

अनुभाग (III)

बकाया ऋणों और अग्रिमों का उद्देश्यवार वर्गीकरण 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	उद्देश्य	राशि (हजार रुपयों में)
I	उद्योग अर्थात पैराग्राफ 21(ख) में परिभाषित औद्योगिक संस्था को	
II	वाणिज्य अर्थात थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, फसलों और वस्तुओं की आवाजाही और परिवहन	
III	कृषि तथा अनाज, दालें और दूसरे कृषि पण्य	
IV	व्यावसायिक ऋण, अर्थात व्यावसायिक कार्यकलापों या कारोबार की वित्तीय सहायता के लिए दिये गए ऋण	
V	व्यक्तिगत ऋण	
VI	अन्य सभी ऋण और अग्रिम	
VII	I से VI तक का जोड़	

नोट : अनुभाग (ii) की मद VIII और अनुभाग (iii) की मद VII का जोड़ अनुभाग (i) की मद VI के साथ मेल खाना चाहिए।

निवेश

अनुभाग (iv)

बकाया निवेश

(कंपनियों की हैसियत के अनुसार वर्गीकृत अर्थात वे उसी समूह की हैं या उसी समूह की नहीं हैं)

31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	विवरण	राशि (हजार रुपयों में)
I	एक ही समूह की कंपनियां*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	आदि	

II कंपनियां जो एक ही समूह की नहीं हैं*

1.

2.

3.

4.

आदि

III कंपनियों का जोड़** (I+II)

IV **दूसरे निवेश (जैसे सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों में मियादी जमाराशियां और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों में निवेश)

V **कुल जोड़ (III+IV)

*जिन व्यक्तिगत कंपनियों में निवेश किया गया है कृपया उनके अलग-अलग नाम और प्रत्येक में निवेश की गयी रकमों का उल्लेख इस प्रयोजन के लिए दिये गए स्तम्भों (कालमों) में कीजिए। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से एक कागज जोड़ लिया जाना चाहिए।

IV **अनुभाग (IV) की मद संख्या III, और V का जोड़ अनुभाग (V) की क्रमशः संकेत संख्या 320, 410+500 और 600 के साथ मेल खाना चाहिए।

अनुभाग (V)

शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में बकाया निवेश 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	क. कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश जिन्हें उनके प्रधान कारोबार के अनुसार वर्गीकृत किया गया हो	राशि (हजार रुपयों में)		
		*अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजर मूल्य
100	1. वस्त्र			
101	(क) सूती वस्त्र			
102	(ख) जूट के वस्त्र			
103	(ग) रेशमी, रेयान और दूसरे कृत्रिम रेशे			
104	(घ) ऊनी वस्त्र			
105	(ङ) अन्य			
120	2. चीनी			
130	3. लोहा और इस्पात			
140	4. अलोह वस्तु			
150	5. बिजली उत्पादन और सप्लाई			
160	6. इंजीनियरी			
170	7. मोटर गाड़ियां और सहायक उपकरण			
180	8. बिजली की मशीनें			
190	9. परिवहन और बिजली को छोड़कर दूसरी मशीनें			
200	10. परिवहन उपकरण			
210	11. रासायनिक पदार्थ :			
211	(क) मूल्य औद्योगिक रासायनिक पदार्थ			
212	(ख) अंग्रेजी दवाईयां और औषधीय निर्माण			
213	(ग) दूसरे रासायनिक पदार्थ			
220	12. खनन :			
221	(क) कोयला खनन			

222	(ख) अन्य खनन
230	13. कागज और कागज से बनी वस्तुएं
240	14. सीमेंट
250	15. खनिज तेल
260	16. माचिस
270	17. बागान
271	(क) चाय
272	(ख) काफी
273	(ग) रबड़
274	(घ) दूसरे पदार्थ
280	18. वित्तीय कम्पनियां
281	(क) बैंक
282	(ख) बीमा कंपनियां
283	(ग) निवेश न्यास
284	(घ) दूसरी संस्थाएं
290	19. व्यापार
300	20. जहाजरानी और अन्य परिवहन
310	21. निर्माण
	21. क. कोई अन्य कम्पनी
320	22. क का जोड़

संकेत सं०	ख. सरकारी और दूसरी न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	राशि (हजार रुपयों में) *अंकित मूल्य	*बही मूल्य	*बाजार मूल्य
401	(i) केन्द्रीय सरकार के ऋण			
402	(ii) राज्य सरकारों के ऋण			
403	(iii) सरकारी बचत या वार्षिकी प्रमाणपत्र और दूसरे दायित्व			
404	(iv) नगरपालिका ऋण और डिबेंचर			
405	(v) पत्तन न्यास के ऋण और डिबेंचर			
406	(vi) दूसरे			
410	ख का जोड़			
500	ग. दूसरे निवेश (जैसे बैंकों में मीयादी जमाराशियां और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों में निवेश)			
600	क+ख+ग का जोड़			

*कृपया भाग II का अनुदेश सं० 10 देखें

**मैनेजर/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : प्रमाणित किया जाता है कि अनुभाग (i) से (v) तक के ऋणों, अग्रिमों और निवेशों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनका सत्यापन किया गया है और वे सत्यापन के बाद हर तरह से सही और पूर्ण पाए गए हैं।

**मैनेजर/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :—

नाम :

पदनाम :

तारीख :

**जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए जगह)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

---के द्वारा संकेतबद्ध किया गया
---के द्वारा जांच की गयी
---के द्वारा पंच किया गया
---के द्वारा सत्यापित किया गया

भाग III

किराया-खरीद कारोबार के विवरण

(कृपया फ़ार्म के इस भाग को भरने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लें)

अनुदेश

1. 31 मार्च को कंपनी की स्थिति के सिलसिले में इस भाग की धारा (ii) की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए। यदि कंपनी का वित्तीय वर्ष भिन्न हो तो 31 मार्च की निकटतम तारीख को समाप्त होने वाले कंपनी के वित्तीय वर्ष के सिलसिले में केवल धारा (ii) की विवरणी पेश की जानी चाहिए और सम्बन्धित वर्ष की दो छमाहियों को पहली छमाही और दूसरी छमाही माना जाना चाहिए (या छमाही को निदेशों में परिभाषा की गई छमाही के समान ही माना जाना चाहिए)। इस प्रकार जिस कंपनी को 31 मार्च 1973 को अपनी विवरणी पेश करनी है और जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर 1972 को समाप्त होता है, उसे अपने उक्त वित्तीय वर्ष के सिलसिले में (31 मार्च 1973 की निकटतम तारीख के समाप्त होने तक के लिए ही) इस अनुभाग को संकलित करना चाहिए न कि 31 मार्च 1973 के लिए। इसके इलावा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अन्त में बकाया ऋणों का संबंध क्रमशः 31 मार्च 1973 और 31 मार्च 1972 के बजाय 31 दिसम्बर 1972 और 31 दिसम्बर 1971 तक की स्थिति से होना चाहिए और नये मंजूर किये गए ऋण 1 जनवरी 1972 से लेकर 31 दिसम्बर 1972 तक की सारी अवधि के लिए दिये जाने चाहिए। दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों का संबंध 30 जून 1972 और 31 दिसम्बर 1972 तक की स्थिति से होना चाहिए।

2. चालू वर्ष के बकाया ऋण की राशि पिछले वर्ष के अन्त के बकाया ऋणों और चालू वर्ष के दौरान मंजूर किये गए नये ऋणों की राशि में से दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तों को घटाने के बाद निकलने वाली संख्या से मेल खानी चाहिए।

3. जब इस विवरणी को पहली बार पेश किया जा रहा हो, इस भाग के अनुभाग (i) के 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न का ब्यौरेवार उत्तर दिया जाना चाहिए। उसके बाद, यदि कोई परिवर्तन हुआ हो या अतिरिक्त सूचना देनी हो तो उसे सूचित किया जाना चाहिए।

4. किसी ऐसी कंपनी के लिए जिसे यह विवरणी पेश करना जरूरी हो परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट-फण्ड कारोबार भी करती है, किराया-खरीद के लेन-देन या यदि किन्हीं ऐसी ऋणों का कारोबार करती हो जिन्हें चिट-फण्ड की आस्तियों के रूप में माना जाता है, उन्हें इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुभाग (i)

प्रश्नावली

(कृपया ऊपर का अनुदेश सं० 3 देखिए।)

(क) प्रश्न	(ख) उत्तर
1. क्या आपकी कंपनी किसी निर्माता कंपनी की सहायक कंपनी है या वह अन्यथा किसी निर्माता या व्यापारी प्रतिष्ठान से संबद्ध है? यदि ऐसा है तो ऐसी कंपनी के आवश्यक विवरणों का अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख कीजिए।	
2. आप किराया-खरीद के आधार पर जिस माल का व्यापार करते हैं उसके प्रकारों का मोटे तौर पर उल्लेख किया जाए (अर्थात मोटर गाड़ियां, टिकाऊ घरेलू वस्तुएं, आदि।)	
3. (क) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋण के लिए आपकी सामान्यतः एकसी (फ्लैट) ब्याज-दर* (प्रतिशत वार्षिक) क्या है?	
(ख) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋण के लिए आप कितनी वास्तविक ब्याज-दर** से (प्रतिशत वार्षिक) ब्याज लगाते हैं?	
(ग) क्या आप मंजूर किए गये किराया-खरीद ऋण में से ब्याज की रकम पहले ही काटे बिना उसका संवितरण कर देते हैं?	
(घ) आप कितनी अवधियों (इंटरवल्स) के लिए ब्याज वसूल करते हैं?	

4. किराया-खरीद के आधार पर की गई माल की बिक्री के बिक्री मूल्य में ब्याज के अलावा प्रभार की और कौन-कौन सी मुख्य मदें शामिल की जाती हैं?
(यदि इसके पहले किराया-खरीद करनेवालो के साथ किये गये करार के फ़ार्म की एक प्रतिलिपि न पेश की गयी हो तो उसे हमारे पास भेजने की कृपा करें।)
5. आप किस आधार पर किराया-खरीद करने वाले की तत्काल अदायगी (डाउन पेमेंट) की राशि या नकदी जमाराशि निर्धारित करते हैं? यदि वह संबंधित माल के बिक्री मूल्य का कोई निर्धारित प्रतिशत हो तो कृपया उस प्रतिशत का उल्लेख करें।
6. क्या आप किराया-खरीद करने वालों से ली गयी नकदी जमाराशि या तत्काल अदायगी की राशि पर ब्याज अदा करते हैं? यदि हां हो तो उसकी ब्याज-दर (प्रतिशत वार्षिक) का उल्लेख किया जाए।
7. पूंजी, आरक्षित निधि और किराया-खरीद करने वालों की जमा राशि के अलावा आपकी कंपनी के कारोबार की निधियों के अन्य स्त्रोत क्या हैं?

---

*ब्याज की एक सी (फ्लैट) दर का अर्थ वह दर है जो मंजूर की गयी किराया-खरीद की पूरी राशि पर लगायी गयी हो, न कि देय रहने वाली घटती हुई बकाया राशि पर लगाई गयी ब्याज दर है।

**ब्याज की सही दर का अर्थ समय-समय पर बकाया रहनेवाले ऋण की वास्तविक राशि पर लगायी गयी ब्याज की दर है।

अनुभाग (ii)

31 मार्च 197 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किराया-खरीद कारोबार

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें) (राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	किराये की वस्तु	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालु वर्ष में मंजूर किये गये नये ऋण		31 मार्च 197 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में बकाया ऋण	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष की दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गयी किस्तें*		31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के अन्त में बकाया ऋण (कृपया अनुदेश सं० 2 देखें)
		राशि	करार की अवधि	राशि	30 सितम्बर राशि	31 मार्च राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) मोटरगाड़ियां						
01	(i) ट्रक और लारियां						
02	(ii) कार						
03	(iii) स्कूटर						
04	(iv) अन्य						
	(ख) टिकाऊ घरेलू वस्तुएं						
001	(i) रेडियो रिसीवर						
002	(ii) पंखे						
003	(iii) रेफ्रीजरेटर						
004	(iv) सिलाई मशीनें						
005	(v) अन्य						
010	(ग) कृषि संबंधी उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)						

020	(घ) उद्योग में उपयोग के लिए औद्योगिक मशीनें औजार या उपकरण	
030	(ङ) दूसरे अन्य उपकरण	
040	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र : प्रमाणित किया जाता है कि धारा (i) और (ii) के अधीन दर्शाये गये कम्पनी के किराया-खरीद कारोबार में संबंधित आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और वे सत्यापन के बाद हर तरह से सही और पूरे पाये गये हैं ।

**प्रबन्धक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

तारीख :

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ 11 देखें ।

**जो लागू न हो उसे काट दें ।

(रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के उपयोग के लिए जगह)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

—के द्वारा संकेतबद्ध किया गया
—के द्वारा पांच की गयी
—के द्वारा पांच किया गया ।
—के द्वारा सत्यापित किया गया

संदर्भ सं० डी०एन० बी० सी० 17/डी० जी० (एस०)-72—रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 की 45ञ, 45ट और 45ठ धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए उसे समर्थ बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 में 1 जनवरी 1973 से निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किये जाएं अर्थात् :—

पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के —

1. खण्ड (क) को निकाल दिया जाए;
2. खण्ड (च) के उप खण्ड (i) में जहां कहीं "ऋण" शब्द आता है वहां उसके स्थान पर "रकम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए;
3. खण्ड (च) के उप खण्ड (ii) में आने वाले कोई ऋण जो ऐसी शर्तों पर प्राप्त किया गया हो, शब्दों के स्थान पर "कोई रकम जिसकी वापसी अदायगी के लिए निम्नलिखित प्रकार से जमानत ले ली गई हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं ;
4. खण्ड (च) के उप खण्ड (iii) में शब्द "किसी" के बाद आनेवाले "ऋण" शब्द के स्थान पर "रकम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और उपखण्ड में आनेवाले तथा तथा "प्राप्त कोई ऋण" ये शब्द, "या" और "किसी पंजीकृत व्यक्ति से" शब्दों के बीच "कोई प्राप्त ऋण" शब्द जोड़ दिये जाएं ;
5. खण्ड (च) के उप खण्ड (v) को निकाल दिया जाए ;
6. खण्ज (च) के उपखण्ड (vi) में आए "रकम" शब्द के स्थान पर "ऋण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और उसमें जहां कहीं "सरकार" शब्द आता हो तो वहां उसे निकाल दिया जाए ;
7. खण्ड (च) के उप खण्ड (vii) में जहां कहीं "ऋण" शब्द आता है उसके स्थान पर "रकम" प्रतिस्थापित किया जाए और कंपनी के सचिवों तथा कोषाध्यक्षों" शब्दों के बाद "या किसी निजी कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त कोई रकम" शब्द जोड़ दिये जाएं ;
8. खड (च) के उप खण्ड (viii) के बाद निम्नलिखित उपबन्ध जोड़े जाएं :

"परन्तु, जनवरी 1973 की पहली तारीख को या उसके बाद प्राप्त किसी रकम के संबंध में, जिस व्यक्ति से वह रकम प्राप्त हुई हो उसने कंपनी द्वारा रकम प्राप्त किये जाते समय लिखित रूप में यह घोषणा कर दी हो कि उक्त व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या या जमा राशियां स्वीकार करके अर्जित की गई निधियों में से वह रकम नहीं दी गई है।"

9. खण्ड (च) के उपखण्ड (x) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(xi) किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बाण्डों या डिबेंचरों (ऐसे बाण्ड या डिबेंचर कंपनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार की जमानत पर जारी किये गए हों) में किये गए अभिदान के रूप में प्राप्त तब तक कोई रकम जब तक कि उक्त शेयरों, स्टाक, बाण्डों या डिबेंचरों का नियतन न हो जाए ; और"

10. खण्ड (च) के उपखण्ड (xi) के बाद खंड (चच) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"(चच) "जमाकर्ता" में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसने कोई ऋण दिया हो" ;

11. खण्ड (छ) में "या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा (3)" शब्दों के बाद "या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 33क की उपधारा (3) के अंतर्गत विकास छूट के लिए निर्मित कोई रक्षित निधि" शब्द जोड़ दिये जाएं।

12. खण्ड (ड) में "कोई ऋण या अग्रिम के रूप में" शब्दों के पहले आने वाले शब्द "वित्तीय सहायता" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय व्यवस्था" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं और उसमें "ऋण या अग्रिम या अन्यथा" शब्दों के बाद आनेवाले "व्यापार, उद्योग, वाणिज्य या कृषि" शब्दों को निकाल दिया जाए ;

13. खण्ड (ढ) में "आवास वित्त" शब्दों के बाद आनेवाला "बीमा" शब्द और उसमें "स्टाक एक्सचेंज या स्टाक दलाल कम्पनी" शब्दों के पहले आने वाले "पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी" शब्द निकाल दिये जाएं ;

14. खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ण)" "पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कम्पनी" से ऐसी कोई कम्पनी अभिप्रेत है जिसका प्रधान कारोबार अपने सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार करना हो और जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो" ;

15. खण्ड (न) के उपखण्ड (ii) में "कम्पनी के मैनेजर" शब्दों के पहले "निदेशक बोर्ड या प्रबंध निदेशक या" शब्द जोड़ दिये जाएं ;

II पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

3. गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनियों द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति

(1) 1 जनवरी 1973 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी मांग या नोटिस पर अदा की जाने वाली या ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों से कम अवधि के बाद अदा की जाने वाली कोई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी या इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद उसके द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमाराशि का तब तक नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि नवीकरण की गई जमाराशि उसके नवीकरण किये जाने की तारीख से छः महीनों के पहले प्रतिदेय न हो।

परन्तु कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी निधियों की अपनी मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ के खण्ड (i) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां यथास्थिति कंपनी की मुक्त रक्षित निधियों तथा चुकता पूंजी के औसत के दस प्रतिशत तक प्राप्त कर सकती है, उनका या उनका नवीकरण कर सकती है बशर्ते कि वह उक्त खण्ड में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो और ऐसी जमाराशियां यथास्थिति उनकी प्राप्ति या नवीकरण की तारीख से तीन महीने के पहले प्रतिदेय न हो।

(2) 1 जनवरी 1973 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी ऐसी कोई जमाराशि किसी ऐसी अन्य जमाराशि सहित स्वीकार नहीं करेगी जो उसी वर्ग (इसके बाद निर्दिष्ट वर्ग) के अंतर्गत आती हो और जो पहले ही प्राप्त की गई हो और जो कंपनी की बहियों में बकाया रहती हो और इस पैराग्राफ के खण्ड (i) में उल्लिखित वर्ग में आने वाली जमाराशि ऐसे व्यक्तियों से ऋण के रूप में गारंटी की गई बकाया जमाराशियों सहित, जो गारंटी प्रदान करते समय कम्पनी के प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष के निम्नलिखित वर्ग की जमाराशियों के प्रत्येक अलग-अलग वर्ग के लिए निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने के मामले में उसे स्वीकार नहीं करेगी अर्थात्

(i) गैर जमानती डिबेंचर या किसी सदस्य से प्राप्त जमाराशि (जो किसी गैर सरकारी कंपनी द्वारा उसके सदस्यों से पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ (1) के खण्ड (च) के उपखण्ड (vii) में उल्लिखित घोषणा पर प्राप्त जमाराशि नहीं है) या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत जमाराशि जो गारंटी देते समय निदेशक हो, कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त रक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत ;

(ii) किसी दूसरी जमाराशि के मामले में, कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त रक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत।

III पैराग्राफ 4 के —

1. उप पैराग्राफ (1), और (2) में आने वाले "जनवरी 1972 को" शब्दों के पहले "कारोबार शुरू होने के समय" शब्द जोड़ दिये जाएं।

2. उप पैराग्राफ (3) के "1 जनवरी 1972 को" शब्दों के पहले कारोबार शुरू होने के समय पर" शब्द जोड़ दिए जाएं।

3. उप पैराग्राफ (3) में आने वाले "पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (2) के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रकार" शब्दों के स्थान पर "उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित चार प्रकारों में से एक या उससे अधिक प्रकार" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं;

4. उप पैराग्राफ (3) में जहां कहीं "बारह" शब्द आता है उसके स्थान पर "छः" शब्द प्रतिस्थापित किये जाए;

5. उप पैराग्राफ (3) में जहां कहीं "ऐसी प्राप्ति की तारीख" शब्दों के बाद आने वाले शब्द "जमाराशि" के स्थान पर "जमाराशियां" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

IV. 1. पैराग्राफ 5 के वर्तमान परन्तुक के सामने नई संख्या डालकर उसे उप पैराग्राफ (1) बना दिया जाए; इस प्रकार संख्या डाले गये उप पैराग्राफ (1) में दो स्थानों पर आनेवाले "कंपनी के मैनेजर" शब्दों और "मैनेजर ने विज्ञापन का मजबून मंजर किया हो" शब्दों के पहले "निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक या" शब्द जोड़ दिये जाए;

2. पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:

"(2) 1 अप्रैल 1973 को और इसी तारीख से कोई भी गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनी किसी भी जमाराशि को तब तक स्वीकार, नवीकृत या परिवर्तित नहीं करेगी जब तक कि जमाकर्ता ने कंपनी द्वारा सप्लाई किये जानेवाले उस फार्म पर लिखित आवेदन न किया हो जिसमें इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट सभी विवरण दिये जाने चाहिएं।

V. पैराग्राफ 6 के वर्तमान उपपैराग्राफ (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"(ii) उक्त रसीद पर कोई ऐसा अधिकारी विधिवत् हस्ताक्षर करेगा जो कम्पनी की ओर से यह कार्य करने का हकदार हो और वह इस रसीद पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम और जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई रकम का अक्षरों और अंकों में बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा और साथ ही उस पर देय ब्याज की दर और उसके प्रतिदेय होने की तारीख का भी बहुत ही स्पष्ट उल्लेख करेगा।"

VI. पैराग्राफ 7 के उपपैराग्राफ (i) में खण्ड (खख) में निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाए—

(खख) प्रत्येक जमाराशि की अवधि तथा नियत तारीख;

VII. पैराग्राफ 8 के उपपैराग्राफ (ii) में "10 लाख रुपए" शब्दों और अंक के स्थान पर "5 लाख रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

VIII. पैराग्राफ 9 के—

1. पैराग्राफ (क) में आनेवाले "बारह" शब्द के स्थान पर "छः" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए,

2. उपपैराग्राफ (ख) के (v) और (vi) खण्डों को निकाल दिया जाए।

IX पैराग्राफ 12 में वर्तमान परन्तुक के सामने संख्या डालकर उसे उप पैराग्राफ (1) बना दिया जाए और उसके बाद उप पैराग्राफ (2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:

"(2) (i) प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी, इस परन्तुक के लागू होने की तारीख को या कारोबार शुरु करने की तारीख में से जो भी तारीख बाद में आती हो उसके बाद एक महीने के भीतर रिजर्व बैंक को एक निम्नलिखित सूची देते हुए एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगी;

(क) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम और अधिकृत पदनाम;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम और रिहायशी पते; और

(ग) उप पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट विवरणि पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर।

इस उप पैराग्राफ के उप खण्ड (i) में उल्लिखित सूची में यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उसकी सूचना ऐसा परिवर्तन किये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर रिजर्व बैंक को दी जाए।

X. पैराग्राफ 13 में "कलकत्ता-1" शब्दों के बाद "या उक्त विभाग के किसी कार्यालय, जिसको उन्हें भेजने का निदेश दिया गया हो, ×××××" शब्द जोड़ दिया जाएं;

XI. पहली और दूसरी अनुसूचियों के स्थान पर यहां दी ××××× गई सम्बन्धित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएं।

एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर।

गोपनीय फार्म डी

पहली अनुसुची

(कृपया अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 2/ई० डी० (एस०)-66 तारीख 29 अक्तूबर 1966 का पैराग्राफ 12 देखें)

वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य गैर बैंकिंग कंपनियों के पास 31 मार्च 197 को रहनेवाली जमाराशियां

(यह फार्म भरने के पहले अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लें)

संकेत (कोड) सं०

———— (1) कंपनी का नाम ————

———— (2) पूरा पता ————

———— (क) रजिस्टर्ड कार्यालय : ————

(ख) *मुख्य/प्रशासकीय कार्यालय ————

————

———— (3) कंपनी की रजिस्ट्री किस राज्य में हुई है ————

(4) *हैसियत (स्टेटस) : निजी/सार्वजनिक समिति कंपनी/विदेशी कंपनी की शाखा ————

————

(5) कंपनी की रजिस्ट्री संख्या ————

(6) (क) निगमन की तारीख : ————

(ख) कारोबार शुरू करने की तारीख ————

(7) कंपनी का वित्तीय वर्ष :————

———— (8) मुख्य व्यापार *—निर्माण/व्यापार/कृषि/बागान/अन्य व्यापार————

(कृपया निर्दिष्ट किया जाए)

———— (9) उद्योग के प्रकार : (सुती वस्त्र, चीनी, इंजीनियरी आदि ————)

————

(10) कंपनी के बैंकरों का नाम और पता ————

————

————

*जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

नोट :—यह विवरणी पूरी करने के बाद, मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 15, नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता–1 को भेजी जानी चाहिए।

फार्म भरने के लिए अनुदेश

1. 31 मार्च को कंपनी की जो स्थिति हो उसके सिलसिले में इस भाग की विवरणी को वर्ष में एक बार 30 जून के पहले पेश की जानी चाहिए; भले ही कंपनी के वित्तीय वर्ष की तारीख कोई भी क्यों न हो।

2. किसी भी कारण से इस विवरणी को पेश करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए; इन कारणों में वार्षिक लेखे की लेखा परीक्षा समाप्ति भी शामिल है। विवरणी का संकलन कंपनी की बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. जिस कंपनी के लिए यह विवरणी को पेश करना आवश्यक है परन्तु जो अग्रणी के रूप में चिट फंड कारोबार भी करती है, उसके मामले में चिट का कुड़ी करारों के अधीन अभिदान के रूप में प्राप्त राशियां जमाराशियां नहीं मानी जाएंगी।

4. अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 2/ई० डी० (एस०)-66, तारीख 29 अक्तूबर, 1966 के पैराग्राफ 2 (1) (च) में उल्लिखित कतिपय अपवादों के साथ बे जमानती (अनसिक्यूर्ड) उधारों को जमाराशियां माना जाता है।

5. पहले के प्रबंध एजेंटों (मैनेजिंग एजेन्ट्स) या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत बेजमानती ऋण को जमाराशियां माना जाता है। उपर्युक्त गैर जमानती ऋणों को उक्त अधिसुचना के पैराग्राफ 3 (2) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां मानी जाने और इस भाग के संकेत सं० 1 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के योग्य होने के लिए उन्हें निम्न मानदंड पूरे करना चाहिए :—

(क) उनके साक्ष्य के रूप में या तो उधार लेने वाली कंपनी द्वारा निष्पादित वचनपत्र या ऋण के करार के साक्ष्य के लिए उनके और कंपनी के बीच आदान प्रदान किये गये पत्र होने चाहिए,

(ख) यदि कंपनी के पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा इन ऋणों की वापसी अदायगी (रिपेमेंट) की गारंटी दी गई हो तो वह उनकी व्यक्तिगत हैसियत से दी जानी चाहिए, और

(ग) ये ऋण कंपनी की बहियों में मियादी ऋण लेखों के रूप में रखे गये दिखाये जाने चाहिए। इनकी आंशिक वापसी अदायगियों के लिए अनुमति है परन्तु नयी राशियां एक ही लेखे के ऋणों के रूप में नहीं ली जानी चाहिए।

यदि ऊपर उल्लेख किये गये प्रकार का बेजमानती ऋण उपर्युक्त तीनों मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं करता तो ऐसे मामले में उसे उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (2) (ii) में उल्लिखित प्रकार की जमाराशियां माना जाना चाहिए और उसे भाग क में, यथास्थिति, संकेत सं० 6 या 7 के सामने वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

6. साहूकारी से संबंधित जो विधि फिलहाल लागू हो उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त ऋणों को 'जमाराशि' पद (टर्म) से छूट दी गई है बशर्ते कि वे उपर्युक्त अनुदेश सं० 5 में (क) और (ग) में निर्दिष्ट मापदंडों को पूरे करते हों।

7. लेखों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि जमाराशियों की रकमें हजार रुपयों में दी जानी चाहिए। राशि का निकटतम हजार में पूर्णांकन (राउंडेड आफ) किया जाना चाहिए और तीन शून्यों को छोड़ दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, 4,560 रुपयों की राशि 5 लिखी जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,000।

8. इस विवरणी के भाग (ग) में जमाराशियां प्राप्त करने के लिए अदा की गयी दलाली ब्याज की दर में शामिल नहीं की जानी चाहिए परन्तु वह सारणी के अंत में पाद-टिप्पणी में दर्शायी जानी चाहिए।

9. प्राप्त हुई कोई भी ऐसी राशी जो अधिसुचना सं० डी० एन० बी० सी०-2 (ई० डी० (एस०)-66, तारीख 29 अक्तूबर 1966 के पैराग्राफ 2 (1) (घ) के उपखंड (i) से (xi) के 'जमाराशि' पद में विशेष रूप से शामिल नहीं की गयी है, उसे उक्त विवरणी के भाग क, ख और ग में मद III के अंतर्गत विभिन्न संकेत संख्याओं के सामने वर्गीकृत की जानी चाहिए।

न्यास के रूप में प्राप्त राशियां, माल या सेवाओं की पूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम, ठेकेदारों से जमानत के रूप में प्राप्त जमाराशियां और अन्य छूट दी गई ऐसी प्राप्त जमाराशियां जो उक्त विवरणी के भाग क में संकेत सं० 10 से 17 में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जा सकतीं, वे उसी भाग क में संकेत सं० 18 के सामने दर्शायी जानी चाहिए।

10. उक्त विवरणी के भाग ख में दर्शायी जानेवाली जमाराशियों की अवधि के अनुसार वर्गीकरण मद I और II के अधीन विभिन्न संकेत संख्याओं के अंतर्गत उन अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनके लिए मूल रूप से प्राप्त हुई हो/उनका अंतिम बार नवीकरण किया गया हो और न कि उन अवधियों के अनुसार जो 31 मार्च अर्थात् उक्त विवरणी की तारीख से उनके जारी रहने के लिए बकाया हों। इन राशियों को उपर्युक्त मदों के अंतर्गत क्रमशः संकेत सं० 1 और 10 के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए जिनकी चुकाई (मेच्योरिटी) की अवधि निर्दिष्ट न हों या जिनकी वापसी अदायगी किश्तों में की जानी हों और स्थिति का समुचित स्पष्टीकरण पाद-टिप्पणियों में दिया जाना चाहिए।

11. जमाराशियों और छूट प्राप्त उधारों और जिन प्राप्तियों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता उन्हें भाग ग में, यथास्थिति, मद I, II, और III के अधीन क्रमशः सं० 1, 8 और 15 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

12. केवल उन रक्षित निधियों को 'मुक्त रक्षित निधियां' माना जाना चाहिए जिनको कंपनी के तुलनपत्र में किसी सामान्य या अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया दर्शाया या प्रकाशित किया गया हो और उक्त निधियों को विवरणी के भाग घ और च में दर्शाया जाना चाहिए। जिस किसी अन्य रक्षित निधि की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र में दी गई नामावली से यह संकेत मिलता है कि उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है उसे हिसाब में नही लिया जाना चाहिए भले ही उसके निर्मित किये जाने का वास्तविक प्रयोजन कुछ भी क्यों न हो। निम्नलिखित रक्षित निधियों को सामान्यतः मुक्त रक्षित निधियां माना जाता है।

(i) सामान्य रक्षित निधि
(ii) पूंजी रक्षित निधि।
(iii) पूंजी प्रतिदान (रिडेम्पशन) रक्षित निधि
(iv) फुटकर व्यय की रक्षित निधि
(v) सांविधिक विकास छूट (रिबेट) की रक्षित निधि या विकास छूट (एलाउंस) की रक्षित निधि
(vi) शेयर अधिमूल्य (प्रीमियम) लेखे में बकाया राशि
(vii) सामान्य रक्षित निधि के स्वरूपवाला अधिशेष

13. जैसा कि उक्त अधिसुचना के पैराग्राफ 12 (2) (i) के अनुसार आवश्यक है, यदि कंपनी के प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके अधिकारिक पदनाम तथा कंपनी के निदेशकों के नाम और पते दर्शानेवाली सुची यदि अब तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया को न भेजी गई हो तो वह इसके साथ नत्थी की जानी चाहिए।

14. जब तक इसके प्रतिकूल कोई संकेत न हो तब तक गैर बैंकिंग वित्तेतर कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 में निर्दिष्ट परिभाषाएं, वहां तक लागू होंगी जहां तक वे संबद्ध हों।

15. इस विवरणी पर प्रबन्धक (जिसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में की गयी है) को हस्ताक्षर करना चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबन्ध न हो तो प्रबन्ध निदेशक या कंपनी के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को हस्ताक्षर करना चाहिए जिसे निदेशक बोर्ड ने यथाविधि प्राधिकृत किया हो और इस प्रयोजन के लिए जिसके नमूने के हस्ताक्षर रिजर्व बैंक को भेज दिये गये हों। यदि नमूने के हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में न भेजे गये हों तो इस विवरणी पर प्राधिकृत अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नमूने के हस्ताक्षर अलग से भेजे जाने चाहिए।

16. यदि विवरणी के किसी भाग में कोई भी सूचना (रिपोर्ट) नहीं देनी है, तो उसमें 'कुछ नहीं' लिखा जाना चाहिए।

भाग क

बकाया जमाराशियां आदि 31 मार्च, 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
	I. अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (2) और 3 (2) (i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां :		
1.	(क) पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों द्वारा गारन्टी किए गए ऋणों के रूप में प्राप्त जमाराशियां		
2	(ख) बेजमानती डिबेंचर		
3	(ग) जमाराशियां जिनमें सदस्यों* (जो निजी सीमित कम्पनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं		
4	(घ) जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से गारन्टी दिये गये बेजमानती ऋण शामिल हैं।		
5	(ङ) जोड़ (क+ख+ग+घ)		
	II अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (2) (ii) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां		
6	(च) मियादी जमाराशियां		
7	(छ) अन्य कोई जमाराशियां		
8	(ज) जोड़ (च+छ)		
9	(झ) (1)+(11) का जोड़		
	III छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं माना जाता [अधिसूचना के पैराग्राफ 2 (1) (घ) (i) से (xi) तक देखें]		
10	(ञ) पूर्ववर्ती प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों यदि कोई हों, से प्राप्त रकम		
11	(ट) **निदेशकों से प्राप्त रकम		
12	(ठ) निजी सीमित कम्पनी के मामले में सदस्यों** से प्राप्त रकम		
13	(ड) कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियां		
14	(ढ) खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से कारोबार के उद्देश्यों के लिए प्राप्त रकम		
15	(ण) मिश्रित पूंजी कम्पनियों से प्राप्त रकम (इनमें एक ही समूह की कम्पनियां भी शामिल हैं)		
16	(त) जमानती उधार और बैंकों तथा अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं से लिए गए उधार		
17	(थ) विदेशी स्रोतों से प्राप्त रकम		
18	(द) अन्य छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियां नहीं गिना जाता		
19	(ध) जोड़ (ञ से द)		
20	IV ऊपर के I, II और III का जोड़		

*यहां प्रयुक्त 'सदस्य' अभिव्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कम्पनी में शेयरधारी के रूप में रजिस्टर है।

**कृपया यह नोट कर लें कि ऐसे व्यक्ति से प्राप्त ऐसी रकमें छूट-प्राप्त नहीं हैं जो उसने अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयी निधियों में से दी हों। [अधिसूचना का पैराग्राफ 2(1) (च) (vii) देखें] उसकी रकम इस प्रकार में शामिल करने के पहले कम्पनी को चाहिए कि उसने उससे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया हो।

भाग ख

जमाराशियों की अवधि आदि 31 मार्च 197 को

संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत सं०	जमाराशियों, छूट-प्राप्त उधारों और प्राप्तियों की अवधि (कृपया अनुदेश संख्या 10 देखें)	लेखों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	I. पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी किए गए ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियां, बे-जमानती डिबेंचर, जमाराशियां जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कम्पनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारन्टी किए हुए बेजमानती ऋण शामिल है।	1	3 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय (रिपेयेबल)		
		2	3 महीनों या उससे अधिक परन्तु 6 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		3	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		4	12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		5	24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		6	36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		7	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		8	1 से 7 का जोड़ (नोट सं० (i) देखें)		
00	II. जमाराशियां अर्थात् मियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशियां	9	कालातीत/या अदावी (अनक्लेम्ड)		
		10	उपर्युक्त संकेत सं० 9 के सामने उल्लिखित जमाराशियों को छोड़कर 6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना (नोटिस) पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		11	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		12	12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय।		
		13	24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		14	36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद प्रतिदेय		
		15	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय		
		16	9 से 15 का जोड़ (नोट सं ii देखें)		
000	III. छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात् निजी सीमित कम्पनियों के मामले में सदस्यों से या निदेशकों से या यदि पहले के प्रबन्ध एजेंटों	17	6 महीनों से कम अवधि में मांग या सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		18	6 महीने या उससे अधिक परन्तु 12 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	निदेशकों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, से प्राप्त, कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमा-राशियां, खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से लिए गए उधार और अन्य सभी छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां	19	12 महीने या उससे अधिक परन्तु 24 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		20	24 महीने या उससे अधिक परन्तु 36 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		21	36 महीने या उससे अधिक परन्तु 60 महीनों से कम अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
		22	60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद सूचना पर या अन्यथा प्रतिदेय		
000	IV	23	17 से 22 का जोड़ (नोट सं० iii देखें)		

नोट : (i) संकेत संख्या 8 का जोड़ भाग क के संकेत सं० 5 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(ii) संकेत सं० 16 का जोड़ भाग क के संकेत सं० 8 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(iii) संकेत सं० 23 का जोड़ भाग क के संकेत सं० 19 के जोड़ से मिलना चाहिए।
(iv) भाग ख की मद IV का जोड़ भाग क की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए।

भाग ग

जमाराशियों आदि पर ब्याज (दलाली को छोड़कर) की दरें 31 मार्च 197 को

संकेत	जमाराशियों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	संकेत संख्या	ब्याज की दर	राशि (हजार रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	यदि पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी किए गए ऋणों के रूप में प्राप्त कोई जमाराशियां, बेजमानती डिबेंचर, जमाराशियां जिनमें सदस्यों (जो किसी निजी सीमित कम्पनी के सदस्य न हों) से प्राप्त बेजमानती ऋण शामिल हैं और जमाराशियां जिनमें निदेशकों द्वारा गारन्टी किए हुए बेजमानती ऋण शामिल हैं।	1	5 प्रतिशत और उससे कम	
		2	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम	
		3	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम	
		4	9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम।	
00 II.	जमाराशियां अर्थात् मियादी जमाराशियां और अन्य कोई जमाराशि	5	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम	
		6	12 प्रतिशत या उससे अधिक	
		7	1 से 6 का जोड़	
		8	5 प्रतिशत और उससे कम	
		9	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम	
		10	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम	
		11	9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम	
		12	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम	
		13	12 प्रतिशत या उससे अधिक	
		14	8 से 13 का जोड़	
000 III.	छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों में नहीं गिना जाता अर्थात निजी सीमित कम्पनियों के मामले में	15	5 प्रतिशत और उससे कम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सदस्यों से या निदेशकों या पहले के प्रबन्ध एजेंटों या सचिवों और कोषाध्यक्षों, यदि कोई हों, से प्राप्त, कर्मचारियों से प्राप्त जमानत की जमाराशियों, और खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्राप्त या मिश्रित पूंजी कम्पनियों से लिये गये उधार और अन्य सभी छूट-प्राप्त उधार और प्राप्तियां	16	5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7 प्रतिशत से कम	
		17	7 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम	
		18	9 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 10 प्रतिशत से कम	
		19	10 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम	
		20	12 प्रतिशत या उससे अधिक	
		21	15 से 20 का जोड़	
0000 IV	I, II और III का जोड़			

नोट : (i) संकेत सं० 7, 14 और 21 के जोड़ भाग क क्रमशः संकेत सं० 5, 8 और 19 के जोड़ों से मिलना चाहिए ।

(ii) भाग ग की मद IV का जोड़ भाग क की मद IV के जोड़ से मिलना चाहिए ।

भाग घ

उच्चतम सीमाओं की तुलना में जमाराशियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(i) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(2) और 3(2) (i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां और उनकी निर्धारित उच्चतम सीमा

(राशियां हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	ऊपर उल्लेख किए गए प्रकारों की कुल जमा-राशियां अर्थात भाग क के संकेत सं० 5 का जोड़	स्वामित्व की निधियां					यदि उच्चतम सीमा से अधिक जमाराशियां कोई हों तो वह (2—7)	*कृपया यह उल्लेख करें कि क्या अधिसूचना के पैराग्राफ 4(1) के अनुसार अधिक जमाराशियों का समायोजन किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो इसका पालन न किए जाने के कारण दिए जाएं
		चुकता पूंजी	मुक्त रक्षित निधियां	यदि घाटे की कोई बकाया राशि हो तो वह	स्वामित्व की शुद्ध निधियां (3+4) —5	उच्चतम सीमा (अर्थात् स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 दिसम्बर 1971								
31 मार्च 1973								
31 मार्च 1974								
31 मार्च 1975								

नोट : 31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हों उनके कम से कम एक तिहाई अंश को 1-4-1973 के पहले घटा देना होगा। 31-12-1971 को जो जमाराशियां अधिक हो उनके दूसरे एक तिहाई अंश को 1-4-1974 के पहले और यदि उक्त अधिक राशि की कोई बकाया राशि हो तो उसे 1-4-1975 के पहले घटा देना होगा।

(ii) अधिसूचना के पैराग्राफ 3(2) (ii) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां और उनकी उच्चतम सीमा

31 मार्च 197 (अर्थात् विवरणी की तारीख) को स्थिति

ऊपर उल्लेख किए गए प्रकारों की कुल जमाराशियां अर्थात् भाग क के संकेत सं० 8 का जोड़	उच्चतम सीमा (अर्थात् स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25%)	यदि उच्चतम सीमा से अधिक कोई जमाराशियां हों तो वे (1)—(2)	अभ्युक्ति (रिमार्कस)
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग ङ

6 महीने से कम अवधि में मांग या सूचना पर प्रतिदेय जमाराशियों का विनियमन दर्शानेवाला विवरण

इस अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (2) और 3 (2) (i) में उल्लिखित प्रकारों की जमाराशियां (राशियां हजार रुपयों में)

निम्नलिखित तारीख को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति	उपर्युक्त प्रकारों की जमाराशियों की कुल रकम (अर्थात् भाग ख के संकेत सं० 1 और 2 का जोड़)	कुल स्वामित्व की निधियों के 10% की ऐसी जमाराशियों (जो इस अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (2) (i) में उल्लिखित प्रकार की हों) की रकम जो तीन महीने के बाद ही प्रतिदेय हों [पैराग्राफ 3 (1) का परन्तुक देखें]	अनियमित जमाराशियां (अर्थात् स्तम्भ 2 में से 3 घटाकर जोड़	स्वामित्व की शुद्ध निधियों का 25 प्रतिशत [भाग घ के अनुभाग (i) के स्तम्भ 7 देखें]	*कृपया यह उल्लेख करें कि उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 4 (3) के अनुसार ऐसी जमाराशियों का विनियमन किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो उसका पालन न किए जाने के कारण दिए जाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 दिसम्बर 1971					
31 मार्च 1973					
31 मार्च 1974					
31 मार्च 1975					

नोट : (i) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कम्पनी के स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक न हो तो ऐसी जमाराशियों को 1-4-1973 के पहले नियमित कर ली जानी चाहिए।

(ii) यदि अनियमित जमाराशियों की कुल राशि कम्पनी स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो वह नीचे लिखे प्रकार से नियमित की जाए। (क) स्वामित्व की शुद्ध निधियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर की ऐसी जमाराशियों की रकम 1-4-1973 के पहले, (ख) शेष राशि की कम से कम आधी रकम 1-4-1974 के पहले और (ग) शेष अंश 1-4-1975 के पहले ।

महत्वपूर्ण: इस बात को नोट किया जाए कि उपर्युक्त स्तम्भ 3 में उल्लिखित जमाराशियों कम्पनी की निधियों की मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से ही प्राप्त करने दी गई है । अधिसूचना के पैराग्राफ 3 (1) का परन्तुक देखें।

भाग च

कम्पनी के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख को उसकी तुलनात्मक स्थिति

(रकम हजार रुपयों में)

विवरण	————को तुलन-पत्र के अनुसार स्थिति	31-3-197 को विवरणी के अनुसार स्थिति	यदि कोई घट बढ़ हो तो उसके लिए मोटे तौर पर कारण दिए जाएं
1	2	3	4
1. चुकता पूंजी			
2. मुक्त रक्षित निधियां			
3. यदि घाटे की कोई बकाया हो तो वह			
4. जमाराशियां*		@	
5. छूट-प्राप्त उधार/प्राप्तियां		£	

*31 मार्च 197 को समाप्त हुए वर्ष में अधिकतम कुल जमाराशियां और संबंधित तारीख नीचे दर्शायी जाए :

(i) वर्ष में जमाराशियों की अधिकतम राशि (हजार रुपयों में) ————————

(ii) उपर्युक्त अधिकतम राशि किस तारीख को पाई गई ————————

@भाग क के संकेत सं० 9 का जोड़ यहां दर्शाया जाना चाहिए।

£भाग क के संकेत सं० 19 का जोड़ यहां दर्शाया जाना चाहिए।

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र :

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी के इस भाग में सूचित (रिपोर्ट) की गयी जमाराशियां कम्पनी के कारोबार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त या नवीकृत की गई थी।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना के पैराग्राफ 2(1) (च) (vii) के परन्तुक की शर्तों के अनुसार निदेशकों और सदस्यों£ से इस आशय की लिखित घोषणाएं प्राप्त कर ली गयी हैं कि उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या जमाराशियां स्वीकार कर अर्जित की गयी निधियों में से कम्पनी को रकम नहीं दी गयी है।

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने जमाराशियों के लिए याचना (सांलिसिट) करते समय अधिसूचना के पैराग्राफ 5(1) और (ii) के उपबन्धों का पालन किया है।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियां 1 जनवरी 1973 को या उसके बाद इस अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ 2 में निर्धारित प्रकार से स्वीकार की गई हैं, नवीकृत की गई हैं अथवा परिवर्तित की गई हैं।

(5) यह प्रमाणित किया जाता है कि कम्पनी ने अधिसूचना के पैराग्राफ 6 की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि जमाराशियों के रजिस्टर इस अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में दर्शाए गये तरीके के अनुसार रखे जाते हैं।

(7) यह प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी में दिये गये विवरण/दी गई सूचना का सत्यापन कर लिया गया है और वे हर तरह से सही और पूरे पाये गए हैं।

(जो प्रमाण-पत्र लागू न हो उसे काट दें)।

तारीख :

*प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

विवरणी के अनलग्नक (इन्कलोजर्स)

यदि नीचे लिखे दस्तावेज पहले ही न भेजे गए हों तो विवरणी के साथ भेजे जाने चाहिएं। कृपया दस्तावेज की मद के सामने के चौखाने (बाक्स) में अनुलग्न दस्तावेज के लिए सही का निशान लगा दें और अन्य मामलों में उसे पेश करने की तारीख का उल्लेख करें।

(1) इस विवरणी की तारीख की निकटतम तारीख तक का लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ हानि लेखे की एक प्रति

(2) नमूने के हस्ताक्षर का कार्ड (कृपया अनुदेश सं० 15 देखें)

(3) अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (2) में उल्लिखित आवेदन पत्र की एक प्रति

(4) यदि 31 मार्च 197 के समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई विज्ञापन जारी किए गये हों तो उनकी एक एक प्रति

(5) अधिकारियों और निदेशकों की सूची (कृपया अनुदेश सं० 13 देखें)

(रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा काम में लाई जानेवाली जगह)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

———— के द्वारा संकेत-बद्ध किया गया

———— के द्वारा जांच की गयी

———— के द्वारा पत्र किया गया

———— के द्वारा सत्यापित किया गया

*जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

£यह केवल निजी सीमित कम्पनियों के मामले में ही लागू है।

गोपनीय दूसरी अनुसूची प्रपत्र आई० एच० पी०

[कृपया अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 2/ई० डी० (एस)-66 तारीख 29 अक्तूबर, 1966 का पैराग्राफ 12 देखें]

(गैर वित्तीय कम्पनियों के किराया-खरीद कारोबार का विवरण)

(कृपया फार्म को भरने के पहले निम्नलिखित अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लें)

संकेत सं० (1) कम्पनी का नाम ————————

———— (2) पूरा पता (क) रजिस्टर्ड कार्यालय ————————

(ख) *मुख्य/प्रशासकीय कार्यालय ————————

———— (3) कम्पनी की रजिस्ट्री किस राज्य में हुई है : ————————

———— (4) हैसियत* : निजी/सार्वजनिक सीमित कम्पनी/विदेशी कम्पनी की शाखा

(5) कम्पनी की रजिस्ट्री संख्या : ————————

(6) (क) नियमन की तारीख:————————

(ख) कारोबार शुरू करने की तारीख : ————————

(7) कम्पनी का वित्तीय वर्ष ————————

(8) मुख्य कारोबार* : निर्माण/व्यापार/कृषि/बागान/अन्य कारोबार (कृपया निर्दिष्ट करें)

(9) उद्योग का प्रकार : (सूती कपड़े, चीनी, इंजीनियरी आदि)

(10) कम्पनी के बैंकर (रों) का (के) ————————

नाम और पता ————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट : यह विवरणी तैयार करने के बाद, मुख्य अधिकारी, गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग, रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया, 15 नेताजी सुभाष रोड, पोस्ट बाक्स सं० 571, कलकत्ता-1 को भेजी जानी चाहिए।

अनुदेश

1. 31 मार्च की कम्पनी की स्थिति के सिलसिले में खंड (ii) की विवरणी वर्ष में एक बार 30 जून, के पहले पेश की जानी चाहिए। यदि कम्पनी का वित्तीय वर्ष भिन्न हो तो 31 मार्च की निकटतम तारीख को समाप्त होने वाले कम्पनी के वित्तीय वर्ष के सिलसिले में केवल खंड (ii) की विवरणी पेश की जानी चाहिए और संबंधित वर्ष की दो छमाहियों को पहली छमाही और दूसरी छमाही (या निदेशों में परिभाषित छमाही) माना जाना चाहिए। इस प्रकार जिस कम्पनी को 31 मार्च 1973 तक की अपनी विवरणी पेश करनी है और जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होता है, उसे अपने उक्त वित्तीय वर्ष के सिलसिले में (31 मार्च 1973 की निकटतम तारीख तक के लिए ही) इस खंड का संकलन करना चाहिए। न कि 31 मार्च 1973 के लिए। इसके अलावा, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अन्त में बकाया ऋणों का सम्बन्ध क्रमशः 31 मार्च, 1973 और 31 मार्च 1972 के बजाय 31 दिसम्बर 1972 और 31 दिसम्बर 1971 से होना चाहिए और मंजूर किए गए नए ऋण 1 जनवरी 1972 से लेकर 31 दिसम्बर 1972 तक की अवधि से संबंधित होने चाहिएं। दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गई किस्तों का सम्बन्ध 30 जून, 1972 और 31 दिसम्बर, 1972 तक की स्थिति से होना चाहिए।

2. चालू वर्ष के अन्त में बकाया ऋण की राशि पिछले वर्ष के अन्त के बकाया ऋणों और चालू वर्ष के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की राशि में से छमाहियों के दौरान प्राप्त की गई किस्तों को घटाने के बाद निकलनेवाली संख्या से मेल खानी चाहिए।

3. जब इस विवरणी को पहली बार पेश किया जा रहा हो, खंड (i) के 1 से 7 तक के प्रश्नों का ब्यौरेवार उत्तर दिया जाना चाहिए। उसके बाद, यदि कोई परिवर्तन हुआ या अतिरिक्त सूचना देनी हो तो केवल उसे सूचित करना चाहिए।

4. किसी ऐसी कम्पनी के मामले में जिसे यह विवरणी पेश करने हो, किन्तु जो प्रवर्तक के रूप में चिट फण्ड कारोबार भी करती हो, किराया-खरीद के लेन-देनों या उन ऋणों को—यदि कोई हों—जिन्हें चिट-फण्ड की आस्तियों के रूप में माना जाता है, शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड (1)

प्रश्नावली

(कृपया ऊपर का अनुदेश सं० 3 देखिए)

(क) प्रश्न	(ख) उत्तर
1. क्या आपकी कम्पनी किसी निर्माता कम्पनी की सहायक कम्पनी है या अन्यथा किसी निर्माता या व्यापारी प्रतिष्ठान से सम्बद्ध है? यदि ऐसा है तो ऐसी कम्पनी के आवश्यक विवरणों का अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख कीजिए।	
2. आप किराया-खरीद के आधार पर जिस माल का व्यापार करते है उसके प्रकारों का मोटे तौर पर उल्लेख किया जाय (अर्थात् मोटर गाड़ियों, टिकाऊ घरेलू वस्तुएं आदि।)	
3. (क) अधिकांश लेखों के किराया खरीद ऋण के लिए आपकी सामान्यतः एकसी (फ्लेट) ब्याज-दर *(प्रतिशत वार्षिक) क्या है?	
(ख) अधिकांश लेखों के किराया-खरीद ऋण के लिए आप कितनी वास्तविक ब्याज-दर **से (प्रतिशत वार्षिक) ब्याज लगाते हैं?	
(ग) क्या आप मंजूर किए गए किराया-खरीद ऋण में से ब्याज की रकम पहले ही काटे बिना उसका संवितरण कर देते हैं?	
(घ) आप कितने समयान्तर पर ब्याज वसूल करते हैं?	
4. किराया-खरीद के आधार पर की गई माल की बिक्री के मूल्य में ब्याज के अलावा प्रभार की और कौन-कौन-सी मदें शामिल की जाती हैं? (किराया-खरीदारों के साथ किए गए करार के फार्म की प्रतिलिपि यदि पहले ही हमारे पास भेजी नहीं गयी हो तो कृपया भेजें।)	
5. आप किस आधार पर किराया-खरीद करनेवाले की तत्काल अदायगी की राशि या नकदी जमाराशि निर्धारित करते है? यदि वह संबंधित माल के बिक्री मूल्य का कोई निर्धारित प्रतिशत हो तो कृपया उस प्रतिशत का उल्लेख करें।	
6. क्या आप किराया-खरीद करनेवालों से ली गयी नकदी जमाराशि या तत्काल अदायगी की राशि पर ब्याज अदा करते हैं? यदि हां तो उसकी ब्याज-दर (प्रतिशत वार्षिक) का उल्लेख किया जाए।	
7. पूंजी, आरक्षित निधि और किराया-खरीद करनेवालों की जमाराशि के अलावा आपकी अपनी कम्पनी के कारोबार की निधियों के अन्य स्रोत क्या हैं?	

*ब्याज की एक सी (फ्लैट) दर का अर्थ वह दर है जो मंजूर की गयी किराया-खरीद की पूरी राशि पर लगायी गयी हो, न कि देय रहनेवाली घटती हुई राशि पर लगाई गयी ब्याज दर है।

**ब्याज की सही दर का अर्थ समय-समय पर बकाया रहनेवाले ऋण की वास्तविक राशि पर लगायी गयी ब्याज की दर है।

खंड (ii)

31 मार्च 197 को समाप्त हुई वर्ष के लिए किराया-खरीद कारोबार

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें)

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	किराये की वस्तु	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के दौरान मंजूर किए गए नए ऋण		31 मार्च 197 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के अंत में बकाया ऋण	31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष की दो छमाहियों के दौरान प्राप्त की गई किस्तें*		31 मार्च 197 को समाप्त हुए चालू वर्ष के अन्त में बकाया ऋण (कृपया अनुदेश सं० 2 देखें)
				30 सितंबर/31 मार्च			
		राशि	करार की अवधि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) मोटर गाड़ियां						
01	(i) ट्रक और लारियां						
02	(ii) कार						
03	(iii) स्कूटर						
04	(iv) अन्य						
	(ख) टिकाऊ घरेलू वस्तुएं						
001	(i) रेडियो रिसीवर						
002	(ii) पंखे						
003	(iii) रेफ्रीजरेटर						
004	(iv) सिलाई मशीनें						
005	(v) अन्य						
010	(ग) कृषि सम्बन्धी उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)						
020	(घ) उद्योग के उपयोग के लिए औद्योगिक मशीनरी, या औजार या उपस्कर						
030	(ङ) अन्य सभी वस्तुएं						
040	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)						

प्रमाणपत्र :

**प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि खंड (i) और (ii) के अधीन दिए गए कम्पनी की किराया-खरीद से संबंधित विवरणों का सत्यापन किया गया है और उक्त विवरण हर तरह से सही और पूर्ण पाए गए हैं।

*कृपया अधिसूचना का पैराग्राफ 10 देखें।

**जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

**प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख

(रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के उपयोग के लिए स्थान)

अवधि	हैसियत	कारोबार	राज्य

———— के द्वारा संकेतबद्ध किया गया।

———— के द्वारा जांच की गयी।

———— के द्वारा पंच किया गया।

———— के द्वारा सत्यापित किया गया।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 फरवरी 1973

सं० 50-एस० ए०(91) 52—सर्टिफाइड आडीटर्स रूल्स, 1961 के रूल 4 (3) के अनुसरण में सामान्य सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया की कौंसिल ने सर्टिफाइड आडीटर्स के रजिस्टर में से इस प्राप्त सूचना के आधार पर कि उनकी मृत्यु 30 दिसम्बर 1972 को हो गई, सर्टिफाइड आडीटर्स सार्टिफिकेट सं० 91 के धारक श्री बी० माधव राव, 2003/1 श्री रामपेट, मैसूर-1 का नाम 31 दिसम्बर 1972 से हटा दिया है ।

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 फरवरी 1973

सं० 8 सी० ए० (1)/15/72-73—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम, 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतत द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्न-लिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	1147	श्री सर्व प्रकाश सूरी, एफ०सी०ए० 92, फैन्डस कालौनी, नई दिल्ली-14	1-2-73 से 30-6-73
2.	1846	श्री मगनलाल कल्याणजी नायक, ए० सी० ए०, भवीरी मंजिल, नियर एल०आई०सी० मुगलीसारा, मेन रोड, सूरत ।	24-8-72 से 30-6-73
3.	12556	श्री बद्रीरेड्डी नरसिम्हाराव, ए० सी० ए० द्वारा हिन्दुस्तान मिल्क फूट मैन्यूफैक्चर्स लि० (हारलिक्स फैक्टरी), वोमूरू, राजमुन्द्री (जि० ई० गोदावरी)	1-1-73 से 30-6-73
4.	13693	श्री बृजेन्द्र महाजन, ए० सी० ए०, ए-7ए/14, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-7	1-2-73 से 30-6-73

दिनांक 20 फरवरी 1973

सं० 5 सी० ए० (1)/26/72-73—इस संस्थान की अधि-सूचना सं० 4 सी० ए० (1)/17/71-72 दिनांक 18-12-71, 4 सी०-ए० (1)/16/72/-73, दिनांक 16-12-72, 4 सी० ए० (1)/19/72-73, दिनांक 17-1-73, 4 सी० ए० (1)/10/69-70, दिनांक 3-9-69, 4 सी० ए० (21)/72-73, दिनांक 19-1-73, के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 27 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है।

क्र०सं०	सं०	नाम व पता	तिथि
1.	11835	श्री श्रीकान्त एम० गुप्ते, ए०सी०ए० 24 महन्त मार्ग, शर्मा निवास, विले-पैरिल, बम्बई-57. (ए० एस०) ।	3-2-73
2.	10779	श्री ए० के० सरकार, ए०सी०ए०, 67, गोरीबारी लेन, कलकत्ता-4 ।	6-2-73
3.	1448	श्री रतिन्द्रानाथ बासु, ए०सी० ए०, 7-सैन्ट्रल मार्ग, कलकत्ता-32 ।	15-2-73
4.	4297	श्री पिलुतला रामानाधाशास्त्री, ए० सी०ए०, चीफ एकाउन्टस आफीसर, इन्डियन ड्रगस एव फार्मेस्यूटिकलस लि० एन० 13-साउथ एकसटैन्सन, पार्ट 1, नई दिल्ली-49 ।	17-2-73
5.	11239	श्री पी० टी० नारायणनय्यर, ए०सी०ए० हार्षड्रे प्राईवेट लि०, जीजी हाउस, रेलवे लाइन मार्ग, बम्बई ।	

सी० बालकृष्णन, सचिव

दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्सस् आफ इन्डिया

(कास्ट एक्काउन्टेन्टस्)

कलकत्ता, दिनांक 7 फरवरी 1973

11—सी० डब्ल्यू० आर० (24)/73—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि श्री सोहन लाल बुगर, एम० काम, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 72 सेक्टर 27 ए, चण्डीगढ़ (सदस्यता संख्या 1512) के अभ्यास करने का प्रमाण-पत्र 30 जनवरी, 1973 से लेकर 30 जून, 1973 तक के लिए रद्द किया जाता है ।

एस० एन० घोष, सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1973

सं० 23(2)/72-खान 4—लौह अयस्क बोर्ड को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (पंजाब संशोधन) 1957 के अधीन 20 जनवरी, 1973 को सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है । लौह अयस्क बोर्ड में अध्यक्ष और उतनी संख्या में सदस्य होंगे, जितनी संख्या, लेकिन 15 से अनधिक, सरकार आवश्यक समझेगी ।

2. सरकार ने विनिश्चय किया है कि इस समय लौह अयस्क बोर्ड की संरचना अगले आदेशों तक निम्न प्रकार से होगी :

पूर्ण कालिक सदस्य

1. श्री आर० सी० दत्त, अध्यक्ष
2. सदस्य-सचिव

अंशकालिक सदस्य

3. श्री एम० ए० बावूद खां, सचिव, भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) नई दिल्ली ।
4. श्री बी० बी० लाल, सचिव, भारत सरकार, विदेश व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. श्री एम० जी० पिम्पुतकर, सचिव, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. श्री एस० के० गुहा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ।
7. श्री जी० रामनाथन्, अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद ।
8. श्री एस० रामचन्द्रन, अध्यक्ष, खनिज और धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली ।

सी० बी० राव,
उपसचिव

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1973

सं० 22(2)/72-खान-4—इस मंत्रालय की समसंख्याक अधिसूचना तारीख 23 जनवरी, 1973 के अनुक्रम में, सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि श्री एम० आर० आर्डी, वित्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, अगले आदेशों तक लौह अयस्क बोर्ड के अंश कालिक सदस्य होंगे ।

(सी० बी० राव)
निदेशक

केन्द्रीय भाण्डागार निगम
(एक भारत सरकारी उद्यम)

नई दिल्ली-49, दिनांक 27 फरवरी 1973

सं० सी० डब्ल्यू० सी०/III-8/73-बी०पी०—केन्द्रीय भाण्डागार निगम नियम, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) और (एफ) के अन्तर्गत 18-3-1973 से रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति के लिए सम्बद्ध वर्ग के अंशधारियों द्वारा 27-2-1973 को विधिवत चुने गये निदेशकों के नाम तथा पते नीचे अधिसूचित किये जाते हैं :—

अंशधारियों का वर्ग	निदेशकों का नाम तथा पता
1. अनुसूचित बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अतिरिक्त) ।	श्री बी० के बोरा, उप महा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।
2. बीमा कम्पनियां, नियोजन न्यास तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, प्रस्वीकृत मंडल तथा कृषि उत्पादन अथवा अधिसूचित पण्यों का व्यापार करने वाली कम्पनियां ।	श्री सी० आर० ठाकुर, द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, योग क्षेत्र, मैडम, कामा रोड, बम्बई-20 ।

राजेन्द्र सिंह,
प्रबन्ध निदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 29 फरवरी 1973

संदर्भ सं० 7 (77)/72/प्र०×II/85 आदेश सं० 7 (77)/72/प्र०-11/15, दिनांक 5-1-1973, जिसकी नकलें श्री सी० के० इसमाइल को उनके ज्ञात पते से भेजी गई थी, अवितरित लौट आने पर, नीचे प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

दिनांक 5 जनवरी 1973

संदर्भ सं० 7(77)/72प्र०-11/15—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियमावली, 1965 के नियम, 5 के उपनियम, (1) की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए, मैं इसके द्वारा श्री सी० के० इसमाइल, ट्रेडसमैन 'ए', परिवहन अनुरक्षण एकक, की सेवाएं तत्काल समाप्त करता हूं । श्री इसमाइल (नोटिस काल के बदले में) एक महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि के दावे के हकदार होंगे और इसका हिसाब उसी दर से किया जाएगा जिसका वह आहरण कर रहे हैं जब उन्हें यह आदेश मिला अथवा, जैसी स्थिति हो, उन्हें यह आदेश दिया गया ।

टी० बी० रंगराजन,
प्रधान, कार्मिक प्रभाग

कृषि पुनर्वित्त निगम

बम्बई, दिनांक 2 फरवरी 1973

सं० जी० एस० आर०—कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम का बोर्ड रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया की पूर्व अनुमति से कृषि पुनर्वित्त निगम (कर्मचारी) विनियमावली, 1964 में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करता है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम (कर्मचारी) विनियमावली, 1964 के परिशिष्ट I की धारा 1 के खंड 1(क)—वेतन क्रम, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय, अर्थात् :—

"(क) प्रबन्ध निदेशक : रु० 2,000-100-2,400 (परन्तु यदि रिज़र्व बैंक का कोई सीनियर स्टाफ आफ़ीसर ग्रेड-II प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तो उसका वेतन 1,650-75-2,100 रु० होगा उस स्थिति में उसे उतनी राशि का विशेष वेतन दिया जाएगा जो रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।)"

एम० ए० चिदम्बरम, प्रबन्ध निदेशक

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बम्बई-2, दिनांक 18 दिसम्बर 1972

सं० सी० एस० बी०-18(172)/70-ई० एस०—केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली 1955 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये विदेश व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 25011/8/72-टेक्स (एफ०), दिनांक 23-10-1972 के अनुसार बोर्ड श्री बी० वी० सत्यनारायण राव, सहायक अधीक्षक, केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था, मैसूर को 13-11-1972 (पूर्वाह्न) से रु० 400-400-450-30-600-35-670-ई०रो०-35-950 के वेतनमान पर उसी ही संस्था में प्रशासन अधिकारी के रूप में पदोन्नत करता है ।

इन्दर जे० मल्होत्रा, अध्यक्ष

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

Department of Non-Banking Companies

Calcutta-1, the 18th November 1972

Ref. No. DNBC.16/DG(S)-72.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966 shall, with effect from the 1st January 1973, be amended in the following manner, namely :—

I. In sub-paagraph (1) of paragraph 2—

1. clause (a) shall be deleted;

2. the word "money" shall be substituted for the word "loan" wherever it occurs in sub-clause (i) of clause (f);

3. the words "any loan raised on terms involving the creation of any" appearing in sub-clause (ii) of clause (f) shall be substituted by the words "any money, the repayment of which is secured by";

4. the word "loan" occurring after the word "any" in sub-clause (iii) of clause (f) shall be substituted by the word "money" and the words "any loan received" shall be inserted between the words "or" and the words "from any person registered" occurring in the sub-clause;

5. Sub-clause (v) of clause (f) shall be deleted;

6. the word "loan" shall be substituted by the word "money" in sub-clause (vi) of clause (f) and the word "Government" wherever it occurs therein shall be deleted;

7. the words "and in the case of a stock exchange or stock-broking company, any money received in connection with the purchase or sale of securities" occurring towards the end of the sub-clause (vii) of clause (f) shall be deleted;

8. the words "or associate members by way of fixed, recurring, occasional or other deposits" occurring in sub-clause (viii) of clause (f) shall be deleted;

9. the word "loan" wherever it occurs in sub-clause (ix) of clause (f) shall be substituted by the word "money" and the words "or any money received by a private company from its members" shall be added after the words "secretaries and treasurers of the company;"

10. the following proviso shall be added after sub-clause (ix) of clause (f) :

"provided that, in the case of any money received on or after the 1st day of January 1973, the persons from whom the money is received, has furnished to the company at the time when the money is received, a declaration by such person, in writing, that the money has not been given by such person out of funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person;"

11. sub-clause (xii) of clause (f) shall be substituted by the following :

"(xii) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures (such bonds or debentures being secured by a charge on or lien on the assets of the company) pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and";

12. the following shall be added as clause (ff) after sub-clause (xiii) of clause (f) :

"(ff) "depositor" includes any person who has given a loan";

13. the words "or any reserve for development allowance created under sub-section (3) of section 33A of the Income-tax Act, 1961" shall be inserted in clause (g) after the words "or sub-section (3) of section 34 of the Income-tax Act, 1961";

14. the word "financing" appearing before the words "whether by making loans" in clause (m) shall be substituted by the words "providing of finance" and the words "of trade, industry, commerce or agriculture", occurring after the words "loans or advances or otherwise", therein shall be deleted;

15. th word "insurance", occurring in clause (n) after the words "housing finance", and the words "stock exchange or stock-broking company", appearing after the words ["mutual benefit financial"] therein shall be deleted;

16. clause (o) shall be substituted by the following :

"(o) "mutual benefit financial company" means any company, not being a banking company, the principal business of which is the acceptance of deposits from its members and which is notified by the Central Government under section 620A of the Companies Act, 1956;"

17. the words "Board of Directors or the Managing Director or the" shall be inserted in sub-clause (ii) of clause (t) before the words "manager of the company".

II. For paragraph 3, the following shall be substituted :

"3. *Acceptance of deposits by non-banking financial companies* :

(1) On and from the 1st January 1973—

(a) no mutual benefit financial company shall accept deposits except from its members,

(b) no non-banking financial company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than six months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than six months from the date of such renewal,

(c) * * * *

(d) no non-banking financial company not being a hire-purchase finance company or a housing finance company shall receive any deposit which together with any other deposits falling under the same category (as specified hereinafter), already received and outstanding on the books of the company and in the case of a deposit in the category referred to in sub-clause (i) of this clause, together also with the outstanding deposits in the form of loans guaranteed by persons, who were, at the time of giving of the guarantee, managing agents or secretaries and treasurers of the company, is in excess of the limits hereinafter specified in respect of each of the following categories of deposits, namely—

(i) in the case of a deposit received against an unsecured debenture, or from a member [not being a deposit received by a private company from its member on a declaration as is referred to in sub-clause (ix) of clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2] or deposit guaranteed by a person, who, at the time of the giving of the guarantee, is a director, twenty five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the Company;

(ii) in the case of any other deposit, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company.

(2) For the avoidance of any doubt, it is hereby declared that a mutual benefit financial company may accept deposits from its members for any periods specified in any contracts, written or implied, between the said members and the company.

"Explanation : For the purpose of this paragraph the expression "member" shall mean only a person who is registered as a holder of shares in the company."

III. In paragraph 4—

1. the words "at the commencement of business" shall be inserted before the words "on the 1st January 1972," occurring in sub-paragraphs (1) and (2);

2. in sub-paragraph (3), the words "as at the commencement of business" shall be inserted before the words "on the 1st January 1972";

3. the words "one or more of the four kinds referred to in sub-paragraph (1)" shall be substituted in sub-paragraph (3) for the words "the kind referred to in sub-clause (i) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3";

4. the words "or twelve months, as the case may be" wherever they occur in sub-paragraph (3) shall be deleted;

5. in the Explanation, the word "and" appearing between the words "this sub-paragraph" and the words "paragraph 3(1)(d)" shall be substituted by a comma, and the words "and the following paragraph 4A" shall be inserted before the words "there shall be deducted", occurring therein.

IV. After paragraph 4, the following shall be inserted as paragraph 4A :

"4A. *Special provision in respect of mutual benefit financial companies* :—

Where as at the commencement of business on the 1st January 1973, solely as a result of the amendment of sub-clause (viii) of clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of these directions, the amount of deposits of the kind referred to in sub-clause ii) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the directions, held by a mutual benefit financial company is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company, such company shall secure that such excess is before the 1st January 1974, reduced by repayment of the deposits as and when they mature for payment or in any other manner as may be necessary for complying with this provision."

V. 1. The existing provision in paragraph 5 shall be re-numbered as sub-paragraph (1); in the said re-numbered sub-paragraph (1), the words "Board of Directors or the Managing Director or the" shall be inserted at two places, namely before the words "manager of the company" and before the words "manager has approved";

2. the following shall be inserted as sub-paragraph (2) in paragraph 5 :

"(2) On and from the 1st April 1973, no non-banking financial company shall accept, renew or convert any deposit, except on a written application by the depositor on the form to be supplied by the company, which form should contain all the particulars specified in sub-paragraph (1) of this paragraph."

VI. The following shall be substituted for the existing sub-paragraph (ii) of paragraph 6 :

"(ii) The said receipt shall be duly signed by an officer entitled to act for the company in this behalf and shall state quite clearly the date of deposit, the name of the depositor, the amount received by the company by way of deposit, in words and figures, the rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable."

VII. The following shall be inserted as clause (bb) in sub-paragraph (i) of paragraph 7 :

"(bb) duration and the due date of each deposit;".

VIII. In sub-paragraph (ii) of paragraph 8, the words and figures "Rs. 10 lakhs" shall be substituted by the words and figures "rupees 5 lakhs".

IX. In paragraph 9—

1. a comma shall be inserted after the words "receipt of such deposit" occurring in sub-paragraph (a) and the words "in the case of hire-purchase finance companies and twelve months from the date of receipt of such deposits in the case of other financial companies," appealing before the words "pay interest at any rate" shall be deleted;

2. in sub-paragraph (b), clauses (v) and (vi) shall be deleted.

X. In paragraph 10, the words "free from any charge or lien" shall be inserted after the words "scheduled bank".

XI. The existing provision in paragraph 13 shall be re-numbered as sub-paragraph (1) and the following shall be inserted thereafter as sub-paragraph (2) :

"(2) (i) Every non-banking financial company shall, not later than one month from the coming into force of this provision or from the commencement of business, whichever is later, deliver to the Reserve Bank, a written statement containing a list of—

(a) the names and the official designations of its principal officers;

(b) the names and residential addresses of the directors of the company; and

(c) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) Any change in the list referred to in sub-clause (i) of this sub-paragraph shall be intimated to the Reserve Bank within one month from the occurrence of such change."

XII. In paragraph 14, the words "or any other office of the aforesaid Department to which the company may be directed" shall be added after the words "Calcutta-1."

XIII. The First, Second, Third, Fourth and Fifth Schedules shall be substituted by the respective Schedules appended hereto.

S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor

Confidential

Form—HP

FIRST SCHEDULE

[Please see paragraph 13 of the Notification No. DNBC 1/ED (S)—66 dated the 29th October, 1966.]

(All the parts of this form are to be filled in by all hire-purchase finance companies and by all mutual benefit financial companies, which carry on hire-purchase transactions or the financing of such transactions as their main business).

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES
CALCUTTA-1.

PART I

Deposits with companies carrying on or financing hire-purchase business
as on the 31st March, 197

Code No. (1) Name of the company.....

(2) Full address of the

(*a*) Registered office .....

.....

.....

(*b*)*Head/Administrative office .....

(3) State in which the company is registered.....

(4) Status* : Private/ public limited company/ branch of a foreign company.

(5) Registeration No. of the company .....

(6) Date of:—

(*a*) Incorporation .....

(*b*) Commencement of business .....

(7) Financial year of the company .....

(8) Name of the company's banker(s) and address (es) .....

*Strike of whatever is not applicable.

NOTE :—The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer , Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571 Calcutta-1.

Instructions for filling in Part I of the Form

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, ammounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as deposits vide clause (vii) of paragraph 2(1)(f) of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 2(1)(f) of Notification No. DNBC 1/ED(S)-66, dated the 29th October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d) of the Notification and classify against code No. 1 of section (i) of this Part should fulfil the following norms :

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promissory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loan contracts,

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries & treasurers, if any, of the company in their *personal capacity,* and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not be accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Notification and should, therefore, be classified against code No. 6 or 7, as the case may be, in section (i) of this Part.

6. The loans received from person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force are exempted from the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeroes omitted. For example an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000.

8. In section (ii) of this Part of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (xiii) of paragraph 2(1)(f) of *the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66* dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in section (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

Monies received in trust advance for supply of goods or services, security deposits received from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in Section (i) of this Part of the return may be shown against code No. 18 of same section.

10. The periodwise classification of deposits reported in section (ii) of this Part of the return should be made against the various code Nos. under items I & II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March *i.e.* the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code No. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing *no interest* should be classified against Code Nos. 1, 8 and 15 under items I, II and III respectively in section (iii) of this Part.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or *unspecified* purpose should be treated as 'free reserves' and shown in sections (iv) and (v) of this Part of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated as free reserves :

(i) General Reserve
(ii) Capital Reserve
(iii) Capital Redemption Reserve
(iv) Contingency Reserve
(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve
(vi) Balance in share-premium account
(vii) Surplus which is in the nature of general reserve.

13. A list containing the names and the official designations of the principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 13(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Section/Part of the return it should be marked "Nil" and the Manager's/ Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

Section (i)

Deposits, etc. outstanding *As on the 31st March, 197*

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraphs* 3(1) (*d*) *and* 3(1) (*d*) (*i*) *of the Notification:*		
1.	(*a*) Deposits received in the from of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers.		
2.	(*b*) Unsecured debentures:		
3.	(*c*) Deposits including unsecured loans received from members *(not being members of *Private* limited company).		
4.	(*d*) Deposits including unsecured loans guarnateed by directors in their personal capacity.		
5.	(*e*) Total (a+b+c+d)		
	II. *Deposits of the kinds referred to in paragraph* 3(1) (*d*) (*ii*) *of the notification.*		
6.	(*f*) Fixed deposits		
	(*ff*) Deposits received from associate members £		
7.	(*g*) Any other deposits		
8.	(*h*) Total (f+g)		
9.	(*i*) Total of (I) + (II)		
	III. *Exempted borrowings and receipts not counting as deposits* [*vide* paragraphs 2(1) (f) (i) to (xiii) of the Notification]:		
10.	(*j*) Money received from former managing agents of secretaries and treasurers, if any		
11.	(*k*) Money received from directors**		
12.	(*l*) Money received from members** in the case of a private limited company.		
13.	(*m*) Security deposits from employees.		
14.	(*n*) Money received frow purchasing, selling or other agents for the purposes of business		
15.	(*o*) Money received from joint stock companies (including companies in the same group)		
16.	(*p*) Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions		
17.	(*q*) Money received from foreign sources.		
18.	(*r*) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
19.	(*s*) Total (j to r)		
20.	IV. Total of I, II, and III above :		

*The expression "Member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.

**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another persons is *not* exempted [*vide* paragraph 2 (1) (f) (ix) of the Notification]. A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.

£Applicable in the case of mutual benefit financial companies only.

Section (ii)

Period of Deposits, etc. As on the 31st March, 197

Code No.	Types of deposits, exempetd borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see instruction No. 10)	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3	4	5	6
0 I	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months.		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		4.	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5.	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6.	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		7.	Repayable after a period of 60 months or more		
		8.	Total of 1 to 7 [See Note No. (i)]		
00 II	Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits.	9	Overdue and /or unclaimed		
		10.	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above		
		11.	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months.		
		12.	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13.	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14.	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15.	Repayable after a period of 60 months or more		
		16.	Total of 9 to 15 [See Note No. (ii)]		
000 III	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits, *i.e.* from members in the case of private limited compaines or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17.	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18.	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		19.	Repayable by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months		

1	2	3	4	5	6
			20. Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
			21. Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months		
			22. Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more		
			23. Total of 17 to 22 [See Note No. (iii)]		
0000	IV Total of I, II, and III				
			[See Note No. (iv)]		

NOTE :— (*i*) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 5 of section (i).

(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 8 of section (i).

(*iii*) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of section (i).

(*iv*) Total of Item IV of section (ii) should tally with the total of item IV of section (i).

Section (iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposite etc. — As on 31 st March, 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0	I. Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits incldluing unsecured loans guaranteed by directors.	1.	5% and below	
		2.	More than 5% but less than 7%	
		3.	7% or more but less than 9%	
		4.	9% or more but less than 10%	
		5.	10% or more but less than 12%	
		6.	12% or more	
			Total of 1 to 6	
00	II. Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits.	8.	5% and below	
		9.	More than 5% but less than 7%	
		10.	7% or more but less than 9%	
		11.	9% or more but less than 10%	
		12.	10% or more but less than 12%	
		13.	12% or more	
		14.	Total of 8 to 13	
000	III. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and re-ceipts.	15.	5% and below	
		16.	More than 5% but less than 7%	
		17.	7% or more but less than 9%	
		18.	9% or more but less than 10%	
		19.	10% or more but less than 12%	
		20.	12% or more	
		21.	Total of 15 to 20	
0000	IV. Total of I, II, and III			

NOTE :— (*i*) The totals of Code Nos. 7,14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5, 8 and 19 of section (i) respectively.

(*ii*) The total of item IV in section (iii) must tally with that of item IV of section (i).

Section (iv)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3 (1) (d) and 3 (1) (d) (i) of the Notification, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amounts in thousand of rupees)

Position as at the close of business on	Total amount of deposits of the above kinds (i.e. total of code Nos. 1 & 2 of Section (ii)	25% of the net owned funds (net owned funds mean paid-up capital plus free reserves minus balance of loss, if any)	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4(3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	3	3	4
31st December 1971			
31st March 1973			
31st March 1974			
31st March 1975			

Note : *(i) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's owned funds, such deposits should be regularised before 1-4-1973;

(ii) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner :

(a) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-4-1973,

(b) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and

(c) the remaining portion before 1-4-1975.

Section (v)

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this return.

(Amounts in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at	Position as per the return as on 31-3-197	Reasons for variations, if any, may broadly be stated
1	2	3	4
A. Liabilities			
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of loss, if any		@	
4. Deposits*		£	
5. Exempted borrowings/receipts?			
B. Assets			
6. Loan and advances ?			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			
8. Hire-purchase advances			
9. Loans for financing the purchase of land or houses			
10. Main source of income (with particulars)			

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31, 197 , and the relevant date may be stated below :

(i) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees) ————

(ii) Date on which the above maximum was accounted ————

@ The total of Code No. 9 in section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 19 in section (i) should be shown here.

*Manager's/Managing Director's Authorised Official's Certificate :

(1) Certified that the deposits as reported in this Part of the return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

(2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2 (1) (f) (ix) of the Notification from the directors and members** that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

(3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 5(1) of the Notification while soliciting deposits.

(4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

(5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

(6) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

(7) Certified that the particulars/information furnished in this Part of the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable)

Date :

Signature of* Manager/Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Enclosure to the return

The following documents shluld be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card. (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy each of the advertisements, if any, issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors
(Please see Instruction No. 13).

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State

Coded by :
Checked by :
Punched by :
Verified by :

**Strike off whatever is not applicable.

*Applicable in the case of private limited companies only.

PART II

Particulars of hire-purchase business

(Please read the following Instructious carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The returns in section (ii) of this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March. In case the company's financial year is different, the returns in Section (ii) only should be filed with reference to the financial year of the company ending on a date nearest to the 31st March, the two half-year periods within that year being deemed to be the first six months and the second six months (or the half-year period as defined in the directions). Thus a company which is required to submit its return as on the 31st March 1973 and whose financial year ends on the 31st December 1972 should compile *this section* only with reference to its above financial year (being the date nearest to the 31st March 1973) and not to 31st March 1973. Further the outstanding credit at the end of the current year and previous year should relate to the position as on the 31st December 1972 and 31st December 1971 instead of 31st March 1973 and 31st March 1972 respectively and the new credit sanctioned should cover the entire period from the 1st January 1972 to 31st December 1972. Instalments received during the two half-years should relate to the position as on 30th June 1972 and 31st December 1972

2. Outstanding credit at the end of the current year should agree with the figure arrived at after deducting the instalments received during the two half-years from the outstanding credit at the end of the previous year *plus* new credit sanctioned during the current year.

3. Answers to the Questions at 1 to 7 in section (i) of this Part should be furnished in detail, when this return is submitted for the first time. Thereafter, only changes or additional information, if any, need be indicated.

4. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, hire-purchase transactions or loans, if any, which are treated as assets of the chit funds need not be included.

Section (i)

Questionnaire

(Please see Instruction No. 3 above)

(A) *Questions*	(B) *Answers*
1. Are you a subsidiary of any manufacturing company or otherwise affiliated to any manufacturing or trading establishment ? If so, indicate very briefly the necessary details of such company.	
2 Mention the broad types of goods you deal with on a hire-purchase basis (*e.g.* automobiles, household durable goods, etc)	

3. (a) What is the usual (*flat rate*) of interest* (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?

(b) What is the *true rate* of interest** (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?

(c) Do you disburse the hire-purchase credit as sanctioned without any reduction in advance on account of interest ?

(d) At what intervals do you collect interest ?

4. What are the main items of charges, besides interest, included in the hire-purchase sale price of the goods ?

(Please send us a copy of the form of agreement made with hirers if it has not been furnished already).

5. On what basis do you fix the amount of down payment or cash deposit from the hirer If it is a fixed percentage of the sale price of the goods in question, please state the percentage.

6. Do you pay interest on the cash deposit or down payment taken from hirers ? If so, please state the rate of interest (per cent per annum) allowed.

7. Besides capital add reserve and hirers balances, what are the other sources of funds for your business ?

* Flat rate of interest means the rate of interest charged on the entire amount of the hire-purchase credit as sanctioned and not on the diminishing balances that remain due.

** True rate of interest means the rate of interest charged on the actual amount of the credit outstanding from time to time.

Section (ii)

Hire-purchase Business for the year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 1)

(Amounts in thousand of rupees)

Code No.	Goods on hire	New credit sanctioned during the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the *previous year* ended, March 31, 197	*Instalments received during the two half-years of the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the current year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 2)
		Amount	Period of contract	Amount	Sept. 30	March 31	Amount
					Amount	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(a) Automobiles :						
01	(i) Trucks and lorries						
02	(ii) Cars						
03	(iii) Scooters						
04	(*iv*) Others						
	(b) Household durables :						
001	(i) Radio receivers						
002	(ii) Fans						
003	(iii) Refrigerators						
004	(iv) Sewing machines						
005	(v) Others						
010	(c) Agricultural implements : (tractors, bulldozers, etc.)						
020	(d) Industrial machinery or tools or equipment for use in industry						
030	(e) All others						
040	Total (a+b+c+d+e)						

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's certificate : Certified that the date relating to hire-purchase business of the company shown under sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :

Date

Name :
Designation :

*Please see paragraph 11 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State

Coded by :
Checked by
Punched by :
Verified by :

Section (iii)

Particulars of (1) *Deposits and* (2) *Liquid Assets*

(Particulars relating to deposits and liquid assets, i.e. (1) and (2) below, should contain the data as *at the end of each month*, for a period of twelve months, ending on the 31st March of the year, with reference to which the return is submitted)

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.		Previous year									Current year		
		April	May	June	July	August	September	Oct.	Nov.	Dec,	January	Feb.	March
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	(1) Deposits (as defined in paragraph 2(1)(f) of the Notification) i.e. total of code No. 9 of Section (i) of Part I												
	(2) *Liquid Assets :												
1	(a) in cash												
2	(b) In Current or any other deposit account with scheduled banks free from any charge or lien.												
3	(c) in unencumbered securities of the Central Government or the State Governments or in other unencumbered securities in which a Trustee is entitled to invest trust money.												

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's certificate : Certified that the figures relating to deposits and liquid assets have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date

Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

*Please see paragraph 10 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State

Coded by :
Checked by :
Punched by
Verified by :

PART III

Particulars of loans and advances and investments

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March, *irrespective of the date of the financial year of the Company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company

3. A group for the purposes of this return has the same meaning as in sub-section (11) of section 373 of the Companies Act, 1956.

4 Book debts are not to be shown in section (i) unless a transaction represented by the book debt was, from the very beginning, in the nature of a loan.

5. Under 'Others' in (IV)(6) of section (i) separate details should be given in respect of parties to whom loans and advances in excess of 10% of the subscribed capital of the company have been granted and are outstanding.

6. Government securities for the purposes of this return are those which are included in the definition of a "Government Security" under Section 2(2) of the Public Debt Act. 1944.

7. In the case of any company which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, prize amounts due from prized chit subscribers and amounts invested in securities, charged to Registrar of chits for the safe conduct of chit business are not required to be reported in this Part of the return.

8. Details of all shares, debentures and other securities whether held on investment account or stock in trade should be given.

9. Investments in shares and debentures of companies are to be grouped according to the principal business of the company concerned.

10. The face value of partly paid shares should be the amount paid-up as on March 31 of the relevant year. In case any shares are not quoted on Stock Exchange, the value as certified by the Manager or Managing Director or any official authorised by the Board of Directors or any other competent authority should be included under the column 'Market Value'. The purchase cost or sale proceeds as shown in brokers' contracts (exclusive of transfer fees, stamp duty and brokerage) should be indicated. Depreciation allowed or revaluation of investments made for the purpose of the balance sheet should not be adjusted but shown separately in a footnote at the end of the return.

LOANS AND ADVANCES

Section (i)

Loans and Advances Outstanding — As on the 31st March 197 .

(Classified by types of borrowers)

Code No.	Name of Party	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. Total of companies (I+II)	
	IV. Parties other than companies	
	1. Directors	
	2. Former Managing Agents and former Secretaries and Treasurers	
	3. Members	
	4. Chief Executive Officer and other employees	
	5. Purchasing, Selling or other Agents	
	6. Others (Please see Instruction No. 5).	
	V. Total of 1 to 6	
	VI. Grand Total (III+V)	

*Please mention the names and amounts due from individual companies in the columns provided for the purpose In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

Section (ii)

Classification of loans and advances outstanding by security — As on the 31st March 197

Code No.	Security	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3
I.	*Food Articles*	
1.	Paddy and rice	
2.	Wheat	
3.	Other Cereals	
4.	Sugar	
5.	Gur	
6.	Vegetable Oils	
7.	All other articles	
II.	*Industrial Raw Materials*	
8.	Groundnuts	
9.	Other Oilseeds	
10.	Cotton and Kapas	
11.	Raw Jute	
12.	All other industrial raw materials	
III.	*Plantation Products*	
13.	Tea	
14.	Coffee, Cashewnuts and other plantation products	
IV.	*Manufactures and Minerals*	
15.	Cotton textiles	
16.	Jute textiles	

1	2	3
	17. Other textiles	
	18. Coal	
	19. Iron and Steel and engineering products	
	20. All other manufactured goods	
	V. *Other Securities*	
	21. Real Estate	
	22. Gold and silver bullion and ornaments	
	23. Fixed deposits in banks	
	24. Government and other trustee securities	
	25. Shares and debentures of Joint Stock Companies	
	26. All other secured loans and advances	
	VI. Total of I to V	
	VII. *Unsecured loans and advances*	
	VIII. Total of VI and VII above	

Section (iii)

Classification of loans and advances outstanding by purpose As on the 31st March 197

Code No.	Purpose	Amount (in thousands of rupees)
	I. Industry, i.e., to industrial concerns as defined in paragraph 2(1)(j)	
	II. Commerce, i.e. wholesale trade, retail trade and movement or transport of crops and goods	
	III. Agriculture, i.e. foodgrains, pulses and other agricultural commodities	
	IV. Professional loans, i.e. loans for financing, professional activities or business.	
	V. Personal loans	
	VI. All other loans and advances	
	VII. Total of I to VI	

Note :—The total of item VIII in Section (ii) and item VII in Section (iii) should agree with item VI in Section (i)

INVESTMENTS

Section (iv)

Investments Outstanding As on the 31st March, 197

(Classified by status of companies, *i.e* in the same group or not in the same group).

Code No.	Particulars	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. **Total of companies (I + II)	
	IV. **Other investments (such as investments in Government and other Trustee Securities, fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India).	
	V. **Grand Total (III+IV)	

*Please mention the names and amounts invested in individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

**The total of items III, IV & V in Section (iv) should tally with those of code Nos. 320, 410+500 and 600 respectively in Section (v).

Section (v)

Investments in shares, debentures and other securities outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	A. Investments in shares and debentures of companies classified according to their principal business	Amount (in thousands of rupees)		
		*Face value	*Book value	*Market value
100	1. Textiles :			
101	(a) Cotton Textiles			
102	(b) Jute Textiles			
103	(c) Silk, Rayon & other artificial fibres			
104	(d) Woollen Textiles			
105	(e) Others			
120	2. Sugar			
130	3. Iron and Steel			
140	4. Non-ferrous Metals			
150	5. Electricity generation and supply			
160	6. Engineering			
170	7. Automobiles and ancillaries			
180	8. Electrical Machinery			
190	9. Machinery other than transport and electrical			
200	10. Transport equipment			
210	11. Chemicals :			
211	(a) Basic Industrial Chemicals			
212	(b) Pharmaceutical & Medicinal preparations			
213	(c) Other chemicals			
220	12. Mining :			
221	(a) Coal mining			
222	(b) Other mining			
230	13. Paper and Paper products			
240	14. Cement			
250	15. Mineral Oil			
260	16. Matches			
270	17. Plantation :			
271	(a) Tea			
272	(b) Coffee			
273	(c) Rubber			
274	(d) Others			
280	18 Financial Companies :			
281	(a) Banks			
282	(b) Insurance Companies			
283	(c) Investment Trusts			
284	(d) Others			
290	19. Trading			
300	20. Shipping and other transport			
310	21. Construction			
	21A. Any other Companies			
320	22. Total of A			

Code No.	B. Investments in Government and other Trustee securities	Amount (in thousands of rupees) *Face value	*Book value	*Market value
401	(i) Central Government loans			
402	(ii) State Government loans			
403	(iii) Government Savings or Annuity Certificates and other obligations			
404	(iv) Municipal loans and debentures			
405	(v) Port Trust loans and debentures			
406	(vi) Others			
410	Total of B			
500	C. Other investments (such as fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India).			
600	Total of A+B + C			

*Please read Instruction No. 10 of Part III.

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's certificate : Certified that the figures relating to loans and advances and investments reported in Sections (i) to (v) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Date :

**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State

Coded by :
Checked by :
Punched by :
Verified by :

CONFIDENTIAL **FORM-IC**

SECOND SCHEDULE

(Please see paragraph 13 of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October, 1966)
(To be filled in by all investment companies and by all mutual benefit financial companies, whose principal business is the acquisition of securities for purposes of investment).

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES
CALCUTTA-1

PART 1

Deposits with companies acquiring securities for purposes of investment as on the 31st March, 197

Code No.

(1) Name of the company .....
(2) Full address of the
(a) Registered office .....
.....
.....
(b) *Head/Administrative office .....
(3) State in which the company is registered : .....
(4) Status* : Private/public limited company/ branch of a foreign company.
(5) Registration No. of the company : .....
(6) Date of
(a) Incorporation .....
(b) Commencement of business .....
(7) Financial year of the company .....
(8) Name of the company's banker(s) and address(es) .....

*Strike off whatever is not applicable.

Note : The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

Instructions for filling in Part I of the Form

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of acount of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, amounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as deposits vide clause (vii) of paragraph 2(1)(f) of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 2(1)(f) of Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d) of the Notification and classify against code No. 1 of section (i) of this Part should fulfil the following norms :—

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promissory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loan contracts,

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries & treasurers, if any, of the company in their *personal capacity*, and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not be accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Notification and should, therefore, be classified against code No. 6 or 7, as the case may be, in section (i) of this Part.

6. The loans received from person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force are exempted from the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,650 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5,000.

8. In section (iii) of this Part of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (xiii) of paragraph 2(1)(f) of the Notification No. DNBC 1/LD(S)-66 dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in sections (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

Monies received in trust, advances for supply of goods or services, security deposits received from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in section (i) of this Part of the return may be shown against code No. 18 of same section.

10. The periodwise clasification of deposits reported in section (ii) of this Part of the return should be made against the various code Nos. under items I & II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March *i.e.* the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayment in instalments should be shown against Code Nos. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code Nos. 1, 8 and 15 under items I, II and III respectively, in section (iii) of this Part.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or *unspecified* purpose should be treated as "free reserves' and shown in sections (iv) and (vi) of this Part of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated as free reserves :

(i) General Reserve

(ii) Capital Reserve

(iii) Capital Redemption Reserve

(iv) Contingency Reserve

(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve

(vi) Balance in share-premium account

(vii) Surplus which is in the nature of general reserve

13. A list containing the names and the official designations of the principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 13(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Section/Part of the return, it should be marked "Nil' and the Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

SECTION (i)

Deposits, etc. outstanding — As on the 31st March 197

Code No.		Types of deposits, exempted borrowings and receipts.	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
	I.	*Deposits of the kinds referred to in paragraphs* 3 (1) (*d*) *and* 3 (1) (*d*) (*i*) *of the notification* :		
1	(*a*)	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers		
2	(*b*)	Unsecured debentures		
3	(*c*)	Deposits including unsecured loans received from members* (not being members of a *private* limited company)		
4	(*d*)	Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity		
5	(*e*)	Total (a+b+c+d)		
	II.	*Deposits of the kind referred to in paragraph* 3 (1) (*d*) (*ii*) *of the Notification* :		
6	(*f*)	Fixed deposits		
	(*ff*)	Deposits received from associate members £		
7	(*g*)	Any other deposits		
8	(*h*)	Total (f+g)		
9	(*i*)	Total of (I)+(II)		
	III.	*Exempted borrowings & receipts not counting as deposits*, (vide paragraphs 2(1) (f) (i) to (xiii) of the Notification) :		
10	(*j*)	Money received from former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
11	(*k*)	Money received from directors**		
12	(*l*)	Money received from members **in the case of a private limited company		
13	(*m*)	Security deposits from employees		
14	(*n*)	Money received from purchasing, selling or other agents for the purposes of business		
15	(*o*)	Money received from joint stock companies (including companies in the same group)		
16	(*p*)	Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions		
17	(*q*)	Money received from foreign sources		
18	(*r*)	Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
19	(*s*)	Total (j to r)		
20	IV.	Total of I, II and III above :		

*The expression "member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.

**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person is *not* exempted [vide paragraph 2 (1) (f) (ix) of the Notification]. A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.

£Applicable in the case of mutual benefit financial companies only.

Section (ii)

Period of Deposits, etc. — As on the 31st March, 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts.	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 10)	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3	4	5	6
0 1	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months.		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months.		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months.		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months.		

1	2	3	4	5	6
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months.		
		7	Repayable after a period of 60 months or more.		
		8	Total of 1 to 7 [See Note No. (1)]		
00 II	Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits	9	Overdue and /or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above.		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more		
		16	Total of 9 to 15 (See Note No. ii)		
000 III	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits i.e. from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		19	Repayable by notice or otherwise after a period of 12 months or more but less than 24 month		
		20	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		21	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months.		
		22	Repayable by notice or otherwise after a period of 60 months or more.		
		23	Total of 17 to 22 (See Note No. III)		
0000IV	Total of I, II and III				
			(See Note No. IV)		

Note: (*i*) The totals of Code, No. 8 should tally with those of Code No. 5 of section (i).

(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 8 of section (i).

(*iii*) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of section (i).

(*iv*) Total of Item IV of section (*ii*) should tally with the total of item IV of section (i).

Section (iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc. As on 31st March, 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0 I	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranted by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5 % but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
00 II.	Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits.	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more	
		14	Total of 8 to 13	
000 III.	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits i.e. from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more	
			Total of 15 to 20	
0000IV.	Total of I, II and III			

Note : (*i*) The totals of Code Nos. 7, 14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5, 8 and 19 of section (*i*) respectively.
(*ii*) The total of item IV in section (*iii*) must tally with that of item IV of section (i).

Section (iv)

Statement showing the position of deposits vis-a-vis ceilings

(A) Deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(1)(d) and 3(1)(d)(i) of the Notification and the prescribed Ceiling.

(Amounts in thousands of Rupees)

Position as at the close of business on	Total deposits of the kinds referred to above i.e. total of Code No. 5 in section (i)	Owned funds				Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds)	Excess deposits, if any, over the ceiling (2—7)	*Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 4(1) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
		Paid-up capital	Free Reserves	Balance of loss if any	Net owned funds (3+4)—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31st December 1971								
31st March 1973								
31st March 1974								
31st March 1975								

*Note :—At least one-third of the excess deposits as on 31-12-1971 has to be reduced before 1-4-1973, another one-third of the excess as on 31-12-1971 before 1-4-1974 and the balance, and if any, of the said excess before 1-4-1975.

(B) Deposits of the kind reffered to in paragraph 3(1) (d) (ii) of the Notification and the ceiling.

Position as on 31st March 197 , (*i.e.* the date of the return)

Total deposits of the kind referred to above *i.e.* total of code No. 8 in section (i)	Ceiling (*i.e.* 25% of the net owned funds)	Excess deposits if any, over the ceiling (1)—(2)	Remarks
1	2	3	4

Section (v)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(1)(d) and 3(1)(d)(i) of the Notification, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total amount of deposits of the above kinds (*i.e.* total of code Nos. 1 & 2 of section (ii)	25% of the net owned funds vide column 7 of Section (ix) A	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4(3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated
1	2	3	4
31st December 1971			
31st March 1973			
31st March 1974			
31st March 1975			

NOTE : *(i) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's owned funds, such deposits should be regularised before 1-4-1973.

(ii) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner :

(a) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-4-1973,

(b) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and

(c) the remaining portion before 1-4-1975.

Section (vi)

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this return.

(Amounts in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at	Position as per the return as on 31-3-197 .	Reasons for variations, if any, may broadly be stated.
1	2	3	4
A.— *Liabilities*			
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of lose, if any		@	
4. Deposits*			
5. Exempted borrowings/receipts		£	
B.— *Assets*			
6. Loan and advances			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			
8. Hire-purchase advances			

1	2	3	4

9. Loans for financing the purchase of land or houses
10. Main source of income (with particulars)

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 3, 197 , and the relevent date may be stated below :

(*i*) Maximum amount of desposits during the year (in thousands of rupees).....

(*ii*) Date of which the above maximum was accounted.....

@The total of Code No. 9 in section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 19 in section (i) should be shown here.

*Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificates :

(1) Certified that the deposits as reported in this Part of the return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

(2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2(1)(f)(ix) of the Notification from the directors and members** that the money has not been given by them to theco mpany out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

(3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 5(1) of the Notification while soliciting deposits.

(4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January, 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

(5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

(6) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

(7) Certified that the particulars/information furnished in this Part of the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable)

Date :

Signature of *Manager/Managing Director/Authorised Official :

Name :

Designation :

Enclosures to the return

The following documents should be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy of each of the advertisements, if any, issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors (Please see Instruction No. 13)

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State
1	2	3	4

Coded by :
Checked by :
Punched by :
Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.

**Applicable in the case of private limited companies only.

PART II

Particulars of loans and advances and investments

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March, *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as non-finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. A group for the purposes of this return has the same meaning as in sub-section (11) of section 373 of the Companies Act, 1956.

4. Book debts are not to be shown in section (i) unless a transaction represented by he book debt was, from the very beginning in the nature of a loan.

5. Under 'Others' in (IV)(6) of section (i) separate details should be given in respect of parties to whom loans and advances in excess of 10% of the subscribed capital of the company have been granted and are outstanding.

6. Government securities for the purposes of this return are those which are included in the definition of a "Government Security" under Section 2(2) of the Public Debt Act, 1944.

7. In the case of any company which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman prize amounts due from prized chit subscribers and amounts invested in securities charged to Registrar of chits for the safe conduct of chit business are not required to be reported in this Part of the return.

8. Details of all shares, debentures and other securities whether held on investment account or stock in trade should be given.

9. Investments in shares and debentures of companies are to be grouped according to the principal business of the company concerned.

10. The face value of partly paid shares should be the amount paid-up as on March 31 of the relevant year. In case any shares are not quoted on Stock Exchange, the value as certified by the Manager or Managing Director or any official authorised by the Board of Directors or any other competent authority should be included under the column 'Market Value'. The purchase cost or sale proceeds as shown in brokers' contracts (exclusively of transfer fees stamp duty and brokerage) should be indicated. Depreciation allowed or revalution of investments made for the purpose of the balance sheet should not be adjusted but shown separately in a footnote at the end of the return.

LOANS AND ADVANCES

Section (i)

Loans and Advances Outstanding As on the 31st March 197

(Classified by types of borrowers)

Code No.	Name of Party	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. Total of companies (I+II)*	
	IV. Parties other than companies	
	1. Directors	
	2. Former Managing Agents and former Secretaries and Treasurers	
	3. Members	
	4. Chief Executive Officer and other employees	
	5. Purchasing, Selling or other Agents	
	6. Others (Please see Instruction No. 5)	
	V. Total of 1 to 6	
	VI. Grand Total (III+V)	

* Please mention the names and amounts due from individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

Section (ii)

Classification of loans and advances outstanding by security — As on the 31st March 197

Code No.	Security	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3
	I. *Food Articles*	
	1. Paddy and rice	
	2. Wheat	
	3. Other Cereals	
	4. Sugar	
	5. Gur	
	6. Vegetable Oils	
	7. All other articles	
	II. *Industrial Raw Materials*	
	8. Groundnuts	
	9. Other Oilseeds	
	10. Cotton and Kapas	
	11. Raw Jute	
	12. All other industrial raw materials	
	III. *Plantation Products*	
	13. Tea	
	14. Coffee, Cashewnuts and other plantation products	
	IV. *Manufactures and Minerals*	
	15. Cotton textiles	
	16. Jute textiles	
	17. Other textiles	
	18. Coal	
	19. Iron and Steel and engineering products	
	20. All other manufactured goods	
	V. *Other Securities.*	
	21. Real Estate	
	22. Gold and silver bullion and ornaments	
	23. Fixed deposits in banks	
	24. Government and other trustee securities	
	25. Shares and debentures of Joint Stock Companies	
	26. All other secured loans and advances	
	VI. Total of I to V	
	VII. *Unsecured loans and advances*	
	VIII. Total of VI and VII above	

Section (iii)

Classification of loans and advances outstanding by purpose — As on the 31st March 197

Code No.	Purpose	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3
	I. Industry, *i.e.* to industrial concerns as defined in paragraph 2(1)(j)	
	II. Commerce, *i.e.* wholesale trade, retail trade and movement or transport of crops and goods.	
	III. Agriculture, *i.e.* foodgrains, pulses and other agricultural commodities.	
	IV. Professional loans, *i.e.* loans for financing professional activities or business	
	V. Personal loans	
	VI. All other loans and advances	
	VII. Total of I to VI	

NOTE :—The total of item VIII in Section (ii) and item VII in Section (iii) should agree with item VI in Section (i).

INVESTMENTS

Section (iv)

Investments outstanding As on the 31st March 197

(Classified by status of companies, i.e. in the same group or not in the same group).

Code No.	Particulars	Amount (in thousands of rupees)
1	2	3
	I. Companies in the same group* 1. 2. 3. 4. etc.	
	II. Companies not in the same group* 1. 2. 3. 4. etc.	
	III. **Total of companies (I+II)	
	IV. **Other investments (such as investments in Government and other Trustee Securities, fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)	
	V. **Grand Total (III+IV)	

* Please mention the names and amounts invested in individual companies in the columns provided for the purposes. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

** The totals of items III,IV & V in Section (iv) should tally with those of code Nos. 320,410+500 and 600 respectively in section (v).

Section (v)

Investments in shares debentures and other securities outstanding As on the 31st March 197

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	A. Investments in shares and debentures of Companies classified according to their principal business.	Ordinary shares*			Preference shares*			Debentures*			Total*		
		Face Value	Book Value	Market Value	Face Value	Book Value	Market Value	Face Value	Book Value	Market Value	Face Value	Book Value	Market Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	1. Textiles :												
101	(*a*) Cotton Textiles												
102	(*b*) Jute Textiles												
103	(*c*) Silk, Rayon & other artificial fibres.												
104	(*d*) Woollen Textiles												
105	(*e*) Others												
120	2. Sugar												
130	3. Iron and Steel												
140	4. Non-ferrous Metals												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	5. Electricity generation and supply												
160	6. Engineering												
170	7. Automobiles and ancillaries												
180	8. Electrical Machinery												
190	9. Machinery other than transport and electrical												
200	10. Transport equipment												
210	11. Chemicals :												
211	(*a*) Basic Industrial Chemicals.												
12	(*b*) Pharmaceutical & Medicinal preparations												
213	(*c*) Other chemicals												
220	12. Mining :												
221	(*a*) Coal mining												
222	(*b*) Other mining												
230	13. Paper and Paper products												
240	14. Cement												
250	15. Mineral Oil												
260	16. Matches												
270	17. Plantation:												
271	(*a*) Tea												
272	(*b*) Coffee												
273	(*c*) Rubber												
274	(*d*) Others												
280	18. Financial Companies												
281	(*a*) Banks												
282	(*b*) Insurance Companies												
283	(*c*) Investment Trusts												
284	(*d*) Others												
290	19. Trading												
300	20. Shipping and other transport												
310	21. Construction												
	21A. Any other companies												
320	22. Total of A												

Code No.	B. Investments in Government and other Trustee securities	Amount (in thousands of rupees).		
		*Face Value	*Book Value	*Market Value
1	2	3	4	5
401	(*i*) Central Government loans			
402	(*ii*) State Government loans			
403	(*iii*) Government Savings or Annuity certificates and other obligations			
404	(*iv*) Municipal loans and debentures			
405	(*v*) Port Trust loans and debentures			
406	(*vi*) Others			
410	Total of B			
500	C. Other Investments (such as fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India).			
600	Total of A + B + C			

*Please see Instruction No. 10 of Part II.

Section (vi)

Amounts invested in stock, shares, bonds, Government securities, etc. during the year ended March 31, 197

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.		Purchase Cost	Sales and redemption proceeds	Net Investment
1	2	3	4	5
100	1. Government Securities and Treasury Bills :			(Please see Instruction No. 10)
101	(*a*) Central Government			
102	(*b*) State Governments			
103	(*c*) Government savings or other Certificates			
104	(*d*) Others			
200	2. Municipalities, Port Trusts, Improvement Trusts, State Transports, Electricity Board and other public utilities			
300	3. Shares and debentures of Joint Stock Companies			
	(*a*) Ordinary Shares			
310	(*i*) New Issues of existing companies			
0	(*x*) Rights issues			
(9)	(*y*) Other New issues			
311	(*ii*) Issues of new companies			
312	(*iii*) Others			
313	(*iv*) Total of (a)			
	(*b*) Preference Shares :			
320	(*i*) New Issues of existing companies			
91	(*x*) Rights issues			
001	(*y*) Other new issues			
321	(*ii*) Issues of new companies			
322	(*iii*) Others			
323	(*iv*) Total of (b)			
	(*c*) Debentures :			
330	(*i*) New issues of existing companies			
00	(*x*) Rights issues			
000	(*y*) Other new issues			
331	(*ii*) Issues of new companies			
332	(*iii*) Others			
333	(*iv*) Total of (c)			
400	4. Other investments			
500	5. Total of items 1 to 4			

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate : Certified that the figures relating to loans, advances and investments reported in Sections (i) to (vi) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of **Manager/Managing Director/Authorised Official.

Name :

Designation :

Date :

**Strike off whatever is not applicable

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

PART III

Particulars of hire-purchase business

(Please read the following Instructions carefully before in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The returns in section (ii) of this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March. In case the company's financial year is different, the returns in Section (ii) only should be filed with reference to the financial year of the company ending on a date nearest to the 31st March, the two half-year periods within that year being deemed to be the first six months and the second six months (or the half-year period as defined in the directions). Thus a company which is required to submit its return as on the 31st March 1973 and whose financial year ends on the 31st December 1972 should compile *this section* only with reference to its above financial year (being the date nearest to the 31st March 1973) and not to 31st March 1973. Further the outstanding credit at the end of the current year and previous year should relate to the position as on the 31st December 1972 and 31st December 1971 instead of 31st March 1973 and 31st March 1972 respectively and the new credit sanctioned should cover the entire period from the 1st January 1972 to 31st December 1972. Instalments received during the two half-years should relate to the position as on 30th June 1972 and 31st December 1972.

2. Outstanding credit at the end of the current year should agree with the figure arrived at after deducting the instalments received during the two half-years from the outstanding credit at the end of the previous year *plus* new credit sanctioned during the current year.

3. Answers to the Questions at 1 to 7 in section (1) of this Part should be furnished in detail, when this return is submitted for the first time. Thereafter, only changes or additional information, if any, need be indicated.

4. In the case of any company, which is required to submit this return, but which carries on chit fund business also as a foreman, hire-purchase transactions or loans, if any, which are treated as assets of the chit funds need not be included.

Section (i)

Questionnaire

(Please see Instruction No. 3 above)

(A) *Questions*	(B) *Answers*
1. Are you a subsidiary of any manufacturing company or otherwise affiliated to any manufacturing or trading establishment ? If so, indicate very briefly the necessary details of such company.	
2. Mention the broad types of goods you deal with on a hire-purchase basis (*e.g.* automobiles, household durable goods, etc.)	
3. (a) What is usual *flat rate* of interest* (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?	
(b) What is the *true rate* of interest** (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?	
(c) Do you disburse the hire-purchase credit as sanctioned without any reduction in advance on account of interest ?	
(d) At what intervals do you collect interest ?	
4. What are the main items of charges, besides interest, included in the hire-purchase sale price of the goods ? (Please send as a copy of the form of agreement made with hirers if it has not been furnished already).	
5. On what basis do you fix the amount of down payment or cash deposit from the hirer ? If it is a fixed percentage of the sale price of the goods in question, please state the percentage.	
6. Do you pay interest on the cash deposit or down payment taken from hirers ? If so, please state the rate of interest (per cent per annum) allowed.	
7. Besides capital and reserves and hirers' balances, what are the other sources of funds for your business ?	

* Flat rate of interest means the rate of interest charged on the entire amount of the hire-purchase credit as sanctioned and not on the diminishing balances that remain due.

** True rate of interest means the rate of interest charged on the actual amount of the credit outstanding from time to time.

Section (ii)

Hire-purchase Business for the year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 1)

(Amount in Thousands of rupees)

Code No.	Goods on hire	New credit sanctioned during the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the previous year ended March 31, 197	Instalments received during the two half-years of the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the current year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 2)
		Amount	Period of contract	Amount	Sept. 30 Amount	March 31 Amount	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
	(*a*) Automobiles :						
01	(i) Trucks and lorries						
02	(ii) Cars						
03	(iii) Scooters						
04	(iv) Others						
	(*b*) Household durables :						
001	(i) Radio receivers						
002	(ii) Fans						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
003	(iii) Refrigerators						
004	(iv) Sewing machines						
005	(v) Others						
010	(*c*) Agricultural implements : (tractors, bulldozers, etc.)						
020	(*d*) Industrial machinery or tools or equipment for use in industry						
030	(*e*) All others						
040	Total (a+b+c+d+e)						

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate :

Certified that the data relating to hire-purchase business of the company shown under Sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date :

Signature of **Manager/ Managing Director/ Authorised Official :

Name :

Designation :

*Please see paragraph 11 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	Coded by Checked by Punched by Verified by

Confidential

FORM—LC

THIRD SCHEDULE

(Please see paragraph 13 of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966)

(To be filled in by all loan companies and by all mutual benefit financial companies, which grant loans and advances as their main business).

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES

CALCUTTA-1

PART I

Deposits with companies granting loans and advances as on the 31st March 197

Code No.

1. Name of the company.....
2. Full address of the
   (*a*) Registered office.....
   .....
   .....
   (*b*) *Head/Administrative office.....
3. State in which the company is registered : .....
4. Status* : Private/Public limited company/branch of a foreign company.
5. Registration No. of the company : .....
6. Date of
   a) Incorporation .....
   b) Commencement of business .....
7. Financial year of the company .....
8. Name of the company's banker(s) and address(es) .....

*Strike off whatever is not applicable.

Note : The return after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

Instructions for filling in Part I of the Form

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the absis of the figures available in the books of account of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman amounts received by way of subscriptions under the chit fund or kuri agreements will not be treated as deposits *vide* clause (vii) of paragraph 2(1)(f) of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 2(1)(f) of Notification No. DNBC 1/ED(S)-66, dated the 29th October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d) of the Notification and classified against code No. 1 of section (i) of this Part should fulfil the following norms :—

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promisory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loan contracts,

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries & treasurers, if any, of the company in their *personal capacity*, and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not be accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Natification and should, therefore, be classified against code No. 6 or 7, as the case may be, in section (i) of this Part.

6. The loans received from person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force are exempted from the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000.

8. In section (iii) of this Part of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clause (i) to (xiii) of paragraph 2 (1)(f) of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66, dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in sections (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

Monies received in trust, advances for supply of goods or services, security deposits received from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in section (i) of this Part of the return may be shown against code No. 18 of same section.

10. The periodwise classification of deposits reported in section (ii) of this Part of the return should be made against the various code Nos. under items I & II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March i.e. the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code Nos. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code Nos. 18 and 15 under items I, II and III respectively in section (iii) of this Part.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for *any general* or *unspecified* purpose should be treated as 'free reserves' and shown in sections (iv) and (v) of this Part of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specified purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated free reserves :

(i) General Reserve
(ii) Capital Reserve
(iii) Capital Redemption Reserve
(iv) Contingency Reserve
(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve
(vi) Balance in share-premium account
(vii) Surplus which is in the nature of general reserve

13. A list containing the names and the official designations of the Principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 13(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Section/Part of the return, it should be marked "Nil" and the Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

Section (i)

Deposits, etc. outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts/	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraphs* 3(1) (*d*) *and* 3(1) (*d*) (*i*) *of the Notification :*		
1	(*a*) Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers/		
2	(*b*) Unsecured debentures		
3	(*c*) Deposits including unsecured loans received from members* (not being members of a *private* limited company)		
4	(*d*) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity/		
5	(*e*) Total (a+b+c+d)		
	II. *Deposits of the kind referred to in paragraph* *3 (1) (*d*) (*ii*) *of the Notification :*		
6	(*f*) Fixed deposits (*ff*) Deposits received from associate members£		
7	(*g*) Any other deposits		
8	(*h*) Total (f+g)		
9	(*i*) Total of (I) + (II)		
	III. *Exempted borrowings & receipts not counting as deposits* (vide paragraphs 2(1) (f)(i) to (xiii) of the Notification) :		
10	(*j*) Money received from former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
11	(*k*) Money received from directors**		
12	(*l*) Money received from members ** in the case of a private limited company/		
13	(*m*) Security deposits from employees		

1	2	3	4	5	6
14	(*n*) Money received from purchasing, selling or other agents for the purposes of business				
15	(*o*) Money received from joint stock companies (including companies in the same group)				
16	(*p*) Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions				
17	(*q*) Money received from foreign sources				
18	(*r*) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits				
19	(*s*) Total (j to r)				
20	IV. Total of I, II and III above				

*The expression "member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.

**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person is *not* exempted [*vide* paragraph 2(1)(f) (ix) of the Notification). A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.

£Applicable in the case of mutual benefit financial companies only.

Section (ii)

period of Deposits, etc. As on the 31st March, 197 .

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 10)	No. of accounts	Amount in thousands of rupees
1	2	3	4	5	6
0 I	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		7	Repayable after a period of 60 months or more		
		8	Total of 1 to 7 [See Note No. (i)]		
00 II	Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits	9	Overdue and/or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more		
		16	Total of 9 to 15 (See Note No. ii)		
000 III	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		19	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		20	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		

1	2	3	4	5	6
		21	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		22	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more		
		23	Total of 17 to 22 (See Note No. iii)		
0000 IV	Total of I, II and III				

(See Note No. IV)

Note : (*i*) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 5 of section (i).
(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 8 of section (i).
(*iii*) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of section (i).
(*iv*) Total of Item IV of section (*ii*) should tally with the total of item IV of section (*i*).

Section (iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc. As on 31st March, 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0 I	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
00 II	Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits.	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more	
		14	Total of 8 to 13	
000 III	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more	
		21	Total of 15 to 20	
0000 IV	Total of I, II and III			

Note : (*i*) The totals of Code Nos. 7, 14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5 ,8 and 19 of section (i) respectively.
(*ii*) The total of item IV in section (iii) must tally with that of item IV of section (i).

Section (iv)

Statement showing the position of deposits vis-a-vis ceilings

(A) Deposits of the kinds referred to in paragraphs 3 (1) (d) and 3 (1) (d) (i) of the Notification and the prescribed ceiling.

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total deposits of the kinds referred to above *i.e.* total of Code No. 5 in section (i)	Owned funds: Paid-up capital	Owned funds: Free Reserves	Owned funds: Balance of loss, if any	Owned funds: Net owned funds (3+4)—5	Ceiling (*i.e.* 25% of the net owned funds)	Excess deposits, if any, over the ceiling (2—7)	*Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 4(1) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31st December 1971								
31st March 1973								
31st March 1974								
31st March 1975								

Note : *At least one-third of the excess deposits as on 31-12-1971 has to be reduced before 1-4-1973, another one-third of the excess as on 31-12-1971 before 1-4-1974 and the balance, if any, of the said excess before 1-4-1975.

(B) Deposits of the kind referred to in paragraph 3 (1) (d) (ii) of the Notification and the ceiling.

Position as on 31st March 197 . (i.e. the date of the return)

Total deposits of the kind referred to above i.e. total of code No. 8 in section (i)	Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds)	Excess deposits if any, over the ceiling (1)—(2)	Remarks
1	2	3	4

Section (v)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(1) (d) and 3(1)(d) (i) of the Notification, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total amount of deposits of the above kinds [i.e. total of code Nos. 1 & 2 of section (ii)]	25% of the net owned funds vide column 7 of Section (iv) A	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4 (3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4
31st December 1971			
31st March 1973			
31st March 1974			
31st March 1975			

Note : *(*i*) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's owned funds, such deposits should be regularised before 1-4-1973.

(*ii*) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner : (a) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-4-1973, (b) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and (c) the remaining portion before 1-4-1975.

Section (vi)

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this retrun.

(Amounts in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at	Position as per the return as on 31-3-197	Reasons for variations, if any, may broadly be stated
1	2	3	4
A—*Liabilities*			
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of loss, if any			
4. Deposits*	@		
5. Exempted borrowings/receipts	£		
B—*Assets*			
6. Loan and advances			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			
8. Hire-purchase advances			
9. Loans for financing the purchase of land or houses			
10. Main source of income (with particulars)			

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31, 197 , and the relevant date may be stated below :

(*i*) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees) _____

(*ii*) Date on which the above maximum was accounted _____

@The total of Code No. 9 in section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 19 in section (i) should be shown here.

*Manager's/Managing Director's/ Authorised Official's

Certificate : (1) Certified that the deposits as reported in this Part of the return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

(2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2(1) (f) (ix) of the Notification from the directors and members **that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

(3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 5(1) of the Notification while soliciting deposits.

(4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

(5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

(6) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

(7) Certified that the particulars/information furnished in this Part of the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable)

Date :

Signature of *Manager/Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Enclosures to the return

The following documents should be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy each of the advertisements, if any, issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors (Please see Instruction No. 13)

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by :
				Checked by :
				Punched by :
				Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.
**Applicable in the case of private limited companies only.

PART II

Particulars of loans and advances and investments

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March, *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. A group for the purpose of this return has the same meaning as in sub-section (11) of section 373 of the Companies Act, 1956.

4. Book debts are not to be shown in section (i) unless a transaction represented by the book debt was, from the very beginning, in the nature of a loan.

5. Under 'Others in (IV)(6) of section (i) separate details should be given in respect of parties to whom loans and advances in excess of 10% of the subscribed capital of the company have been granted and are outstanding.

6. Government securities for the purposes of this return are those which are included in the definition of a "Government Security" under Section 2(2) of the Public Debt Act, 1944.

7. In the case of any company which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, prize amounts due from prized chit subscribers and amounts invested in securities charged to Registrar of chits for the safe conduct of chit business are not required to be reported in this Part of the return.

8. Details of all shares, debentures and other securities whether held on investment account or stock in trade should be given.

9. Investments in shares and debentures of companies are to be grouped according to the principal business of the company concerned

10. The face value of partly paid shares should be the amount paid-up as on March 31 of the relevant year. In case any shares are not quoted on Stock Exchange, the Value as certified by the Manager or Managing Director or any official authorised by the Board of Directors or any other competent authority should be included under the column 'Market Value'. The purchase cost or sale proceeds as shown in brokers' contracts (exclusive of transfer fees, stamp duty and brokerage) should be indicated. Depreciation allowed to revaluation of investments made for the purpose of the balance sheet should not be adjusted but shown separately in a footnote at the end of the return.

LOANS AND ADVANCES

Section (i)

Loans and advances Outstanding (Classified by types of borrowers) — As on the 31st March 197

Code No.	Name of Party	Amounts in (thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc	
	III. Total of companies (I+II)	
	IV. Parties other than companies	
	1. Directors	
	2. Former Managing Agents and former Secretaries and Treasurers	
	3. Members	
	4. Chief Executive Officer and other employees	
	5. Purchasing, Selling or other Agents	
	6. Others (Please see Instruction No. 5)	
	V. Total of 1 to 6	
	VI. Grand Total (III+V)	

*Please mention the names and amounts due from individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

Section (ii)

Classification of loans and advances outstanding by security — As on the 31st March 197

Code No.	Security	Amount (in thousands of rupees)
	I. *Food Articles*	
	1. Paddy and rice	
	2. Wheat	
	3. Other Cereals	
	4. Sugar	
	5. Gur	
	6. Vegetable Oils	
	7. All other articles	
	II. *Industrial Raw Materials*	
	8. Groundnuts	
	9. Other Oilseeds	
	10. Cotton and Kapas	
	11. Raw Jute	
	12. All other industrial raw materials	
	III. *Plantation Products*	
	13. Tea	
	14. Coffee, Cashewnuts and other plantation products	
	IV. *Manufactures and Minerals*	
	15. Cotton textiles	
	16. Jute textiles	
	17. Other textiles	
	18. Coal	
	19. Iron and Steel and engineering products	
	20. All other manufactured goods	
	V. *Other Securities*	
	21. Real Estate	
	22. Gold and silver bullion and ornaments	
	23. Fixed deposits in banks	
	24. Government and other trustee securities	
	25. Shares and debentures of Joint Stock Companies	
	26. All other secured loans and advances	
	VI. Total of I to V	
	VII. *Unsecured loans and advances*	
	VIII. Total of VI and VII above B	

Section (iii)

Classification of loans and advances outstanding by purpose — As on the 31st March 197

Code No.	Purpose	Amount (in thousands of rupees)
	I. Industry, i.e. to industrial concerns as defined in paragraph 2(1) (j)	
	II. Commerce, i.e. wholesale trade, retail trade and movement or transport of crops and goods	
	III. Agriculture, i.e. foodgrains, pulses and other agricultural commodities	
	IV. Professional loans, i.e. loans for financing professional activities or business	
	V. Personal loans	
	VI. All other loans and advances	
	VII. Total of I to VI	

Note : The total of item VIII in Section (ii) and item VII in Section (iii) should agree with item VI in Section (i).

INVESTMENTS

Section (iv)

Investments outstanding — As on the 31st March 197

(Classified by status of companies, i.e. in the same group or not in the same group).

Code No.	Particulars	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companes not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. **Total of companies (I+II)	
	IV. **Other investments (scuh as investments in Government and other Trustee Securities, fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)	
	V. **Grand Total (III+IV)	

*Please mention the names and amounts invested in individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

**The totals of items III, IV & V in Section (iv) should tally with those of Code Nos. 320, 410+500 and 600 respectively in section (v).

Section (v)

Investments in shares, debentures and other securities outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	A. Investments in shares and debentures of companies classified according to their principal business	Amount (in thousands of rupees)		
		*Face value	*Book value	*Market value
1	2	3	4	5
100	1. Textiles :			
101	(*a*) Cotton Textiles			
102	(*b*) Jute Textiles			
103	(*c*) Silk, Rayon & other artificial fibres			
104	(*d*) Woollen Textiles			
105	(*e*) Others			
120	2. Sugar			
130	3. Iron and Steel			
140	4. Non-ferrous Metals			
150	5. Electricity generation and .supply			
160	6. Engineering			
170	7. Automobiles and ancillaries			
180	8. Electrical Machinery			

1	2	3	4	5
190	9. Machinery other than transport and electrical			
200	10. Transport equipment			
210	11. Chemicals :			
211	(*a*) Basic Industrial Chemicals			
212	(*b*) Pharmaceutical & Medicinal preparations			
213	(*c*) Other chemicals			
220	12. Mining :			
221	(*a*) Coal mining			
222	(*b*) Other mining			
230	13. Paper and Paper products			
240	14. Cement			
250	15. Mineral Oil			
260	16. Matches			
270	17. Plantation :			
271	(*a*) Tea			
272	(*b*) Coffee			
273	(*c*) Rubber			
274	(*d*) Others			
280	18. Financial Companies :			
281	(*a*) Banks			
282	(*b*) Insurance Companies			
283	(*c*) Investment Trusts			
284	(*d*) Others			
290	19. Trading			
300	20. Shipping and other transport			
310	21. Construction			
	21A. Any other Companies			
320	22. Total of A			

Code No.	B. Investments in Government and other Trustee securites	Amount (in thousands of rupees)		
		*Face value	*Book value	*Market value
401	(*i*) Central Government loans			
402	(*ii*) State Government loans			
403	(*iii*) Government Savings or Annuity Certificates and other obligations			
404	(*iv*) Municipal loans and debentures			
405	(*v*) Port Trust loans and debentures			
406	(*vi*) Others			
410	Total of B			
500	C. Other investments (such as fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)			
600	Total of A+B+C			

*Please read Instruction No. 10 of Part II.

**Manager's/Managing Director's/ Authorised Official's Certificate :

Certified that the figures relating to loans and advances and investments reported in Sections (i) to (v) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Date :

**Strike off whatever is not applicable

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

PART III

Particulars of hire-purchase business

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form).

INSTRUCTIONS

1. The returns in section (ii) of this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March. In case the company's financial year is different, the returns in Section (ii) only should be filed with reference to the financial year of the company ending on a date nearest to the 31st March, the two half-year periods within that year being deemed to be the first six months and the second six months (or the half-year period as defined in the directions). Thus a company which is required to submit its return as on the 31st March 1973 and whose financial year ends on the 31st December 1972 should compile *this section* only with reference to its above financial year (being the date nearest to the 31st March 1973) and not to 31st March 1973. Further the outstanding credit at the end of the current year and previous year should relate to the position as on the 31st December 1972 and 31st December 1971 instead of 31st March 1973 and 31st March 1972 respectively and the new credit sanctioned should cover the entire period from the 1st January 1972 to 31st December 1972. Instalments received during the two half-years should relate to the position as on the 30th June 1972 and 31st December 1972.

2. Outstanding credit at the end of the current year should agree with the figure arrived at after deducting the instalments received during the two half-years from the outstanding credit at the end of the previous year *plus* new credit sanctioned during the current year.

3. Answers to the Questions at 1 to 7 in section (i) of this Part should be furnished in detail, when this return is submitted for the first time. Thereafter, only changes or additional information, if any, need be indicated

4. In the case of any company, which is required to subsubmit this return, but which carries on chit fund business, also is a foreman, hirepurchase transactions or loans, if any, which are treated as assets of the chit funds need not be included.

Section (i)

Questionnaire

(Please see Instruction No. 3 above)

(*A*) *Questions*	(*B*) *Answers*
2. Are you a subsidiary of any manufacturing company or otherwise affiliated to any manufacturing or trading establishment? If so, indicate very briefly the necessary details of such company.	
2. Mention the broad types of goods you deal with on a hire-purchase basis (e.g. automobiles, household durable goods, etc.)	
(a) What is the usual *flat rate* of interest (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts?	
(b) What is the *true rate* of interest** (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts?	
(c) Do you disburse the hire-purchase credit as sanctioned without any reduction in adance on account of interest?	
(d) At what intervals do you collect interest?	
3. What are the main items of charges, besides interest, included in the hire-purchase sale price of the goods?	
(Please send us a copy of the form of agreement made with hirers if it has not been furnished already).	
5. On what basis do you fix the amount of down payment or cash deposit from the hirer? If it is a fixed percentage of the sale price of the goods in question, please state the percentage.	
6. Do you pay interest on the cash deposit or down payment taken from hirers? If so, please state the rate of interest (per cent per annum) allowed.	
7. Besides capital and reserves and hirers' balances, what are the other sources of funds for your business?	

* Flat rate of interest means the rate of interest charged on the entire amount of the hire-puchase credit as sanctioned and not on the diminishing balances that remain due.

** True rate of interest means the rate of interest charged on the actual amount of the credit outstanding from time to time.

Section (ii)

Hire-purchase Business for the year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 1)

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Goods on hire	New credit sanctioned during the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the *previous year* ended March 31, 197	*Instalments received during the two half-years of the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the current year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 2)
		Amount	Period of contract	Amount	Sept. 30 Amount	March 31 Amount	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
	(*a*) Automobiles :						
01	(*i*) Trucks and lorries						
02	(*ii*) Cars						
03	(*iii*) Scooters						
04	(*iv*) Others						
	(*b*) Household durables :						
001	(*i*) Radio receivers						
002	(*ii*) Fans						
003	(*iii*) Refrigerators						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
004	(*iv*) Sewing machines						
005	(*v*) Others						
010	(*c*) Agricultural implements : (tractors, bulldozers, etc.)						
020	(*d*) Industrial machinery or tools or equipment for use in industry						
030	(*e*) All others						
040	Total (a+b+c+d+e)						

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate :

Certified that the data relating to hire-purchase business of the company shown under sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date :

Signature of **Manager/ Managing Director/ Authorised Official :
Name :
Designation :

*Please see paragraph 11 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bnak of India)

Period	Status	Business	State

Coded by
Checked by
Punched by
Verified by

Confidential

FORM—RPF

FOURTH SCHEDULE

(Please see paragraph 13 of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966)

(To be filled in by all housing finance companies and by mutual benefit financial companies carrying on as their principal business the financing of the acquisition or construction of houses, including the acquisition or development of plots of land in connection therewith

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES
CALCUTTA-1

PART I

Deposits with Housing Finance Companies as on the 31st March 197

Code No.

(1) Name of the company .....
(2) Full address of the
(*a*) Registered office .....
.....
.....
(*b*) *Head/Administrative office .....
(3) State in which the company is registered : .....
(4) Status* : Private/public limited company/branch of a foreign company.
(5) Registration No. of the company : .....
(6) Date of
(*a*) Incorporation .....
(*b*) Commencement of business .....
(7) Financial year of the company .....
(8) Name of the company's banker(s) and address(es) : .....

*Strike off whatever is not applicable.

Note : The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

Instructions for filling in Part I of the Form

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figure available in the books of accounts of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, amounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as a foreman, amounts received by way of subscriptions Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 2(1)(f) of Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and teasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d) of the Nitification and classify against code No. 1 of section (i) of this Part should fulfil the following norms :—

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promissory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loans contracts.

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries and teasurers, if any, of the company in their *personal capacity*, and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not be accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Notification and should, therefore, be classified against code No 6 or 7, as the case may be, in section (i) of this Part.

6. The loans received from persons registered under any law relating to money lending which is for the time being in force are exempted from the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000.

8. In section (iii) of this Part of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (xiii) of paragraph 2(1)(f) of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in sections (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

Monies received in trust, advances for supply of goods or services, security deposits received from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in section (i) of this Part of the return may be shown against code No. 18 of same Section.

10. The periodwise classification of deposits reported in section (ii) of this Part of the return should be made against the various code Nos. under items I and II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March *i.e.* the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code Nos. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code Nos. 1, 8 and 15 under items I, II and III respectively, in section (iii) of this Part.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or unspecified purpose should be treated as 'free reserves' and shown in sections (iv) and (v) of this Part of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated as free reserves :

(i) General Reserve
(ii) Capital Reserve
(iii) Capital Redemption Reserve
(iv) Contingency Reserve
(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve
(vi) Balance in share premium account
(vii) Surplus which is in the nature of general reserve

13. A list containing the names and the official designations of the principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 13(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956 and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Section/Part of the return, it should be marked "Nil" and the Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

Section (i)

Deposits, etc. outstanding As on the 31st March 197

Code No	Types of deposits, exempted borrowins and receipts	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraphs* 3(1)(*d*) *and* 3(1)(*d*)(*i*) *of the Notification :*		
1	(*a*) Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers		
2	(*b*) Unsecured debentures		
3	(*c*) Deposits including unsecured loans received from members* (not being members of a *private* limited company)		
4	(*d*) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity		
5	(*e*) Total (a+b+c+d)		
	II. *Deposits of the kind referred to in paragraph* 3(1)(*d*)(*ii*) *of the Notification :*		
6	(*f*) Fixed deposits (*ff*) Deposits received from associate members£		
7	(*g*) Any other deposits		
8	(*h*) Total (f+g)		
9	(*i*) Total of (I)+(II)		
	III. *Exempted borrowings & receipts not counting as deposits* [vide paragraphs 2(1)(f)(i) to (xiii) of the Notification]		
10	(*j*) Money received from former managing agents or secretaries and treasurers, if any		

(1)	(2)	(3)	(4)
11	(*k*) Money received from directors**		
12	(*l*) Money received from members **in the case of a private limited company		
13	(*m*) Security deposits from employees		
14	(*n*) Money received from purchasing, selling or other agents for the purposes of business		
15	(*o*) Money received from joint stock companies (including companies in the same group)		
16	(*p*) Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions		
17	(*q*) Money received from foreign sources		
18	(*r*) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
19	(*s*) Total (j to r)		
20	IV. Total of I, II and III above		

*The expression "member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.
**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person is *not* exempted (*vide* paragraph 2(1)(f)(ix) of the Notification). A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.
£Applicable in the case of mutual benefit financial companies only.

Section (ii)

Period of Deposits, etc. As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 10)	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	I. Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months.		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months.		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		7	Repayable after a period of 60 months or more		
		8	Total of 1 to 7 [See Note No. (i)]		
00	II. Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits.	9	Overdue and/or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16	Total of 9 to 15 [See Note No. (ii)]		
000	III. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18	Repayable by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		19	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		20	Repayable by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		21	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		22	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more		
		23	Total of 17 to 22 [See Note No. (iii)]		
0000	IV. Total of I, II and III				

(See Note No. IV)

Note : (*i*) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 5 of section (i).
(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 9 of section (i).
(*iii*) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of section (i).
(*iv*) Total of Item IV of section (ii) should tally with the total of item IV of section (i).

Section (iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc. As on 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0	I. Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
00	II. Deposits *i.e.* fixed deposits and any other deposits.	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more	
		14	Total of 8 to 13	
000	III. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more	
		21	Total of 15 to 20	
0000	IV. Total of I, II and III			

Note : (*i*) The totals of Code Nos. 7, 14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5, 8 and 19 of section (i) respectively.
(*ii*) The total of item IV in section (iii) must tally with that of item IV of section (i).

Section (iv)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(1) (d) and 3(1) (d) (i) of the Notification, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amount in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total of amount deposits of the above kinds (i.e. total of code Nos. 12 2 of section (ii)	25% of the net owned funds (net owned funds mean paid-up Capital plus free reserves minus balance of loss, if any)	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4(3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4
31st December 1971			
31st March 1973			
31st March 1974			
31st March 1975			

Note : *(*i*) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25%of the company's owned funds, such deposits should be regularised before 1-4-1973.

(*ii*) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner : (*a*) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-4-1973, (*b*) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and (*c*) the remaining portion before 1-4-1975.

Section (v)

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this return.

(Amount in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at.....	Position as per the return as on 31-3-197 .	Reasons for variations, if any, may broadly be stated
1	2	3	4
A. *Liabilities*			
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of loss, if any			
4. Deposits*		@	
5. Exempted borrowings/ receipts		£	
B. *Assets*			
6. Loan and advances			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			
8. Hire-purchase advances			
9. Loans for financing the purchase of land or houses			
10. Main source of income (with particulars)			

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31, 197 , and the relevant date may be stated below :

(*i*) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees) _____

(*ii*) Date on which the above maximum was accounted _____

@The total of Code No. 9 in section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 19 in section (i) should be shown here.

*Manager's/Managing Director's/ Authorised Official's Certificate :

1) Certified that the deposits as reported in this Part of the return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2(1) (f) (ix) of the Notification from the directors and members **that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 5(1) of the Notification while soliciting deposits.

4) Certified that deposits have been accepted renewed, or converted on or after the 1st January 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

6) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

7) Certified that the particulars/information furnished in this Part of the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable)

Date :

Signature of *Manager/Managing Director/ Authorised Official :

Name :

Designation :

Enclosures to the return

The following documents should be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy each of the advertisements, if any issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors (Please see Instruction No. 13)

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by :
				Checked by :
				Punched by :
				Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.
**Applicable in the case of private limited companies only.

PART II

Particulars of housing finance business

Section (i)

Questionnaire

(The questionnaire may be answered in detail when this return is being submitted for the first time. Thereafter, any changes in position may be indicated and if there has been no change in the position as last reported, this may be specifically stated.)

(A) Questions	(B) Answers
1. Apart from interest charges, do you levy or collect any other fees, e.g. for the investigation of titles, legal charges, stamp duty, registration and architect's fees or other expenses? If so, indicate briefly the nature of these charges.	
2. Do you levy any penal interest in the event of delay in the repayment of the loans on the due dates?	
3. Do you charge any commitment fee or interest, in case of loan, as sanctioned, is not utilised in time by the borrower?	
4. What (a) primary and (b) collateral securities do you take and what is the usual or commonest margin on the value of land/property, which you retain before sanctioning a loan? Please enclose a copy of your standard form of loan contract.	

Section (ii)

Outstanding loans for financing the purchase of land or houses

Code No.		As on the 31st March 197		
		No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)	Lowest and Highest rates of interest charged in the category.
	(1) Loans to members			
	Upto Rs. 5,000			
	From Rs. 5,001 to Rs. 10,000			
	From Rs. 10,001 to Rs. 15,000			
	From Rs. 15,001 to Rs. 25,000			
	From Rs. 25,001 to Rs. 50,000			
	From Rs. 50,001 to Rs. 1,00,000			
	More than Rs. 1,00,000			
	(2) Loans to non-members			
	Upto Rs. 5,000			
	From Rs. 5,001 to Rs. 10,000			
	From Rs. 10,000 to Rs. 15,000			
	From Rs. 15,001 to Rs. 25,000			
	From Rs. 25,001 to Rs. 50,000			
	From Rs. 50,001 to Rs. 1,00,000			
	More than Rs. 1,00,000			
	(3) Total of (1) + (2)			

*Manager's/Managing Director's/
Authorised Official's Certificate :

Certified that the data relating to housing finance business of the company shown under Sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of *Manager/Managing Director/Authorised Official :

Name :

Date :

Designation :

*Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

PART III

Particulars of loans and advances and investments

Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form

Instructions

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March, *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. A group for the purposes of this return has the same meaning as in sub-section (11) of section 373 of the Companies Act, 1956.

4. Book debts are not to be shown in section (i) unless a transaction represented by the book debt was, from the very beginning, in the nature of a loan.

5. Under 'Others' in (IV)(6) of section (i) separate details should be given in respect of parties to whom loans and advances in excess of 10% of the subscribed capital of the company have been granted and are outstanding.

6. Government securities for the purposes of this return are those which are included in the definition of a "Government Security" under Section 2(2) of the Public Debt Act, 1944.

7. In the case of any companies which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, prize amounts due from prized chit subscribers and amounts invested in securities charged to Registrar of chits for the safe conduct of chit business are not required to be reported in this Part of the return.

8. Details of all shares, debentures and other securities whether held on investment account or stock in trade should be given.

Section (i)

Loans and advances Outstanding As on the 31st March 197

(Classified by types of borrowers)

Code No.	Name of Party	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. Total of companies (I+II)	
	IV. Parties other than companies	
	1. Directors	
	2. Former Managing Agents and former Secretaries and Treasurers	
	3. Members	
	4. Chief Executive Officer and other employees	
	5. Purchasing, Selling or other Agents	
	6. Others (Please see Instruction No.5)	
	V. Total of 1 to 6	
	VI. Grand Total (III+V)	

*Please mention the names and amounts due from individual companies in the columns provided for the purpose. (In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

Section (*ii*)

Investment outstanding As on the 31st March 197
(Classified by status of companies, i.e. in the same group or not in the same group).

Code No.	Particulars	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. Total of companies (I+II)	
	IV. Govt. and other Trustee Securities	
	V. Other investments (such as fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)	
	VI. Grand Total (III+IV+V)	

*Please mention the names and amounts invested in individual companies in the columns provided for the purpose. (In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.
£Please indicate book value.

**Manager's/Managing Director's/
Authorised Official's Certificate :

Certified that the particulars of loans and advances and investments reported in Sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.
Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Date :

**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

Part IV

Particulars of (1) Deposits and (2) Liquid Assets

(Particulars relating to deposits and liquid assets, i.e. (1) and (2) below, should contain the data as *at the end of each month*, for a period of twelve months, ending on the 31st March of the year, with reference to which the return is submitted)

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.		Previous year								Current year		
		April	May	June	July	August	September	Oct.	Nov.	Dec.	January	Feb.	March
001	(1) Deposits (as defined in paragraph 2(1)(f) of the Notification) *i.e.* total of code No. 9 of Section (i) of Part I												
	(2) *Liquid Assets :												
1	(*a*) in cash												
2	(*b*) in Current or any other deposit account with scheduled banks from any charge or lien												
3	(*c*) in unencumbered securities of the Central Government or the State Governments or in other unencumbered securities in which a Trustee is entitled to invest trust money												

**Manager's/Managing Director's/
Authorised Official's Certificate :

Certified that the figures retaing to deposits and liquid assets have been verified and found to be correct and complete in all respects.
Signature of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Date :

*Please see paragraph 10 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

Confidential FORM—MF

FIFTH SCHEDULE

(Please see paragraph 13 of the Notification No. DNBC 1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966)

(This form is to be filled in by all miscellaneous financial companies and all mutual benefit financial companies other than those submitting returns in the First, Second, Third or Fourth Schedule).

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES
CALCUTTA-1

PART 1

Deposits with miscellaneous financial companies as on the 31st March 197

Code No.

(1) Name of the company .....

(2) Full address of the

(*a*) Registered office .....

.....

.....

(*b*)*Head/Administrative office .....

(3) State in which the company is registered : .....

(4) Status* : Private/Public limited company/branch of a foreign company.

(5) Registration No. of the company .....

(6) Date of

(*a*) Incorporation .....

(*b*) Commencement of business .....

(7) Financial year of the company .....

(8) Name of the company's banker(s) and address(es) .....

*Strike off whatever is not applicable.

Note : The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

Instructions for filling in Part 1 of the Form

The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, amounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as deposits vide clause (vii) of paragraph 2(1)(f) of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966.

4. Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragarph 2(1)(f) of Notification No. DNBC 1(ED(S)-66 dated the 29 October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d) of the Notification and classify against code No. 1 of section of this Part should fulfil the following norms :

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promissory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loan contracts,

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, of the company in their *personal capacity*, and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not be accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Notification and should, therefore, be classified against code No. 6 or 7, as the case may be, in section (i) of this Part.

6. The loans received from person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force are exempted fom the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amounts should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 6000.

8. In section (iii) of this Pat of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (xiii) of paragraph 2(1)(f) of the Notification No. DNBC1/ED(S)-66 dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in sections (i), (ii) and (iii) of this Part of the return.

Monies received in trust, advances for supply of goods or services, security deposits received from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in section (i) of this Part of the return may be shown against code No. 18 of same section.

10. The periodwise classification of deposits repoted in section (ii) of this Part of the return should be made against the various code Nos. under item I & II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March *i.e.* the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code Nos. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code Nos. 1, 8 and 15 under items I, II and III respectively in section (iii) of this Part.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or *unspecified* purpose should be treated as 'free reserves' and shown in section (iv) and (vi) of this Part of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created. The following reserves are generally treated as free reserves :

(i) General Reserve
(ii) Capital Reserve
(iii) Capital Redemption Reserve
(iv) Contingency Reserve

(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve.

(vi) Balance in share-premium account.

(vii) Surplus which is in the nature of general reserve.

13. A list containing the names and the official designations of the principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 13(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Section/Part of the return, it should be marked "Nil" and the Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate appended thereto should be duly signed.

Section (i)

Deposits, etc. outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	No. of accounts	Amounts (in thousands of rupees)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraphs* 3(1)(*d*) *and* 3(1)(*d*)(*i*) *of the Notification.*		
1	(*a*) Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers		
2	(*b*) Unsecured debentures		
3	(*c*) Deposits including unsecured loans received from members* (not being members of a *private* limited company)		
4	(*d*) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity		
5	(*e*) Total (a+b+c+d)		
	II. *Deposits of the kind referred to in paragraph* 3(1)(*d*)(*ii*) *of the Notification :*		
6	(*f*) Fixed deposits (*ff*) Deposits received from associate members£		
7	(*g*) Any other deposits		
8	(*h*) Total (f+g)		
9	Total of (I)+(II)		
	III. *Exempted borrowings & receipts not counting as deposits* (vide paragraphs 2(1)(f)(i) to (xiii) of the Notification)		
10	(*j*) Money received from former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
11	(*k*) Money received from directors**		
12	(*l*) Money received from members** in the case of a private limited company		
13	(*m*) Security deposits from employees		
14	(*n*) Money received from purchasing, selling of other agents for the purposes of business		
15	(*o*) Money received from joint stock companies (including companies in the same group)		
16	(*p*) Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions		
17	(*q*) Money received from foreign sources		
18	(*r*) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
19	(*s*) Total (j to r)		
20	IV. Total of I, II and III above		

*The expression "member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.

**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person is *not* exempted (vide paragraph 2(1)(f)(ix) of the Notification). A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.

£Applicable in the case of mutual benefit financial companies only.

Section (ii)

Period of Deposits, etc. As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 10)	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
0 I.	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		7	Repayable after a period of 60 months or more		
		8	Total of 1 to 7 [See Note No. (i)]		
)0 II.	Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits.	9	Overdue and/or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above.		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more		
		16	Total of 9 to 15 [See Note No. (ii)]		
000 III.	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits i.e. from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		19	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		20	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		21	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		22	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more		
		23	Total of 17 to 22 [See Note No. (iii)]		
0000 IV.	Total of I, II and III (See Note No. IV)				

Note : (*i*) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 5 of section (i).
(*ii*) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 8 of section (i).
(*iii*) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of section (i).
(*iv*) Total of Item IV of section (ii) should tally with the total of Item IV of section (i).

Section (iii)

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc. — As on 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0 I.	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
00 II.	Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits.	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more	
		14	Total of 8 to 13	
000 III.	Exempted borrowings and receipts not counting as deposits i.e. from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or, other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more	
		21	Total of 15 to 20	
0000 IV.	Total of I, II and III			

Note : (*i*) The totals of Code Nos. 7, 14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5, 8 and 19 of section (i) respectively.
(*ii*) The total of item IV in section (iii) must tally with that of item IV of section (i).

Section (iv)

Statement showing the position of deposits vis-a-vis ceilings

(A) Deposits of the kinds referred to in paragraphs 3 (1) (d) and 3(1)(d)(i) of the Notification and the prescribed ceiling.

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total deposits of the kinds referred to above i.e. total of Code No. 5 in section(i)	Owned funds				Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds)	Excess deposits, if any, over the ceiling (2—7)	*Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 4 (1) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
		Paid-up capital	Free Reserves	Balance of loss, if any	Net owned funds (3+4)—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31st Dec. 1971								
31st Mar. 1973								
31st Mar. 1974								
31st Mar. 1975								

Note : *At least one-third of the excess deposits as on 31-12-1971 has to be reduced before 1-4-1973, another one-third of the excess as on 31-12-1971 before 1-4-1974 and the balance, if any, of the said excess before 1-4-1975.

(B) Deposits of the kind referred to in paragraph 3(1)(d)(ii) of the Notification and the ceiling.

Position as on 31st March 197 (i.e. the date of the return)

Total deposits of the kind referred to above i.e. total of Code No. 8 in section (i)	Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds)	Excess deposits, if any, over the ceiling (1)—(2)	Remarks
1	2	3	4

Section (v)

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(1)(d) and 3(1)(d)(i) of the Notification, repayable on demand or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total amount of deposits of the above kinds (i.e. total of Code Nos. 1 & 2 of section (ii)	25% of the net owned funds vide column 7 of Section (iv)A	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4(3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4
31st December 1971			
31st March 1973			
31st March 1974			
31st March 1975			

Note : *(i) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's owned funds, such deposits should be regularised before 1-4-1973.

(ii) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25% of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner : (a) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 1-4-1973, (b) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and (c) the remaining portion before 1-4-1975.

Section (vi)

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this return.

(Amounts in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at.....	Position as per the return as on 31-3-197	Reasons for variations, if any, may broadly be stated
1	2	3	4
A—*Liabilities*			
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of loss, if any			
4. Deposits*		@	
5. Exempted borrowings/receipts		£	
A—Assets			
6. Loan and advances			
7. Investments in shares, debentures and other securities (Book value)			
8. Hire-purchase advances			
9. Loans for financing the purchase of land or houses			
10. Main source of income (with particulars)			

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31, 197 , and the relevant date may be stated below :

(i) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees) _____

(ii) Date on which the above maximum was accounted _____

@The total of Code No. 9 in section (i) should be shown here.

£The total of Code No. 19 in section (i) should be shown here.

*Manager's/Managing Director's/ Authorised Official's

Certificate :

1) Certified that the deposits as reported in this Part of the return have been received or renewed for meeting the genuine business requirements of the company.

2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2(1)(f)(ix) of the Notification from the directors and members **that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraph 5(1) of the Notification while soliciting deposits.

4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

6) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

7) Certified that the particulars/information furnished in this Part of the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable)

Date :

Signature of *Manager/Managing Director/ Authorised Official :

Name :

Designation :

Enclosures to the return

The following documents should be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy each of the advertisements, if any, issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors (Please see Instruction No. 13)

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Periods	Statu	Business	State

Coded by :

Checked by :

Punched by :

Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.

**Applicable in the case of private limited companies only.

PART III

Particulars of loans and advances and investments

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The return in this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March, *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. A group for the purposes oft his return has the same meaning as in sub-section (11) of section 373 of the Companies Act, 1956.

4. Book debts are not to be shown in section (i) unless a transaction represented by the book debt was, from the very beginning, in the nature of a loan.

5. Under 'Others' in (IV)(6) of section (i) separate details should be given in respect of parties to whom loans and advances in excess of 10% of the subscribed capital of the company have been granted and are outstanding.

6. Government securities for the purposes of this return are those which are included in the definition of a "Government Security" under Section 2(2) of the Public Debt Act, 1944.

7. In the case of any company which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, prize amounts due from prized chit subscribers and amounts invested in securities charged to Registrar of chits for the safe conduct of chit business are not required to be reported in this Part of the return.

8. Details of all shares, debentures and other securities whether held on investment account or stock in trade should be given.

9. Investments in shares and debentures of companies are to be grouped according to the principal business of the company concerned.

10. The face value of partly paid shares should be the amount paid-up as on March 31 of the relevant year. In case any shares are not quoted on Stock Exchange, the value as certified by the Manager or Managing Director or any official authorised by the Board of Directors or any other competent authority should be included under the column 'Market Value'. The purchase cost or sale proceeds as shown in brokers' contracts (exclusive of transfer fees, stamp duty and brokerage) should be indicated. Depreciation allowed or revaluation of investments made for the purpose of the balance sheet should not be adjusted but shown separately in a footnote at the end of the return.

LOANS AND ADVANCES

Section (i)

Loans and Advances Outstanding (Classified by types of borrowers) — As on the 31st March 197

Code No.	Name of Party	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3	
	4	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3	
	4.	
	etc.	
	III. Total of companies (I+II)	
	IV. Parties other than companies	
	1. Directors	
	2. Former Managing Agents and former Secretaries and Treasurers	
	3. Members	
	4. Chief Executive Officer and other employees	
	5. Purchasing, Selling or other Agents	
	6. Others (Please see Instruction (No. 5)	
	V. Total of 1 to 6	
	VI. Grand Total (III+V)	

*Please mention the names and amounts due from individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

Section (ii)

Classification of loans and advances outstanding by security — As on the 31st March 197

Code No.	Security	Amount (in thousands of rupees)
	I. *Food Articles*	
	1. Paddy and rice	
	2. Wheat	
	3. Other Cereals	
	4. Sugar	
	5. Gur	
	6. Vegetable Oils	
	7. All other articles	
	II. *Industrial Raw Materials*	
	8. Groundnuts	
	9. Other Oilseeds	
	10. Cotton and Kapas	
	11. Raw Jute	
	12. All other industrial raw materials	
	III. *Plantation Products*	
	13. Tea	
	14. Coffee. Cashewnuts and other plantation products	
	IV. *Manufactures and Minerals*	
	15. Cotton textiles	
	16. Jute textiles	
	17. Other textiles	
	18. Coal	
	19. Iron and Steel and engineering products	
	20. All other manufactured goods	
	V. *Other Securities*	
	21. Real Estate	
	22. Gold and silver bullion and ornaments	
	23. Fixed deposits in banks	
	24. Government and other trustee securities	
	25. Shares and debentures of Joint Stock Companies	
	26. All other secured loans and advances	
	VI. Total of I to V	
	VII. *Unsecured loans and advances*	
	VIII. Total of VI and VII above	

Section (iii)

Classification of loans and advances outstanding by purpose — As on the 31st March 197

Code No.	Purpose	Amount (in thousands of rupees)
	I. Industry, i.e. to industrial concerns as defined in paragraph 2(1)(j)	
	II. Commerce, i.e. wholesale trade, retail trade and movement or transport of crops and goods	
	III. Agriculture, i.e. foodgrains, pulses and other agricultural commodities	
	IV. Professional loans, i.e. loans for financing professional activities or business	
	V. Personal loans	
	VI. All other loans and advances	
	VII. Total of I to VI	

Note : The total of item VIII in Section (ii) and item VII in Section (iii) should agree with item VI in Section (i).

INVESTMENTS

Section (iv)

Investments outstanding

(Classified by status of companies, i.e. in the same group or not in the same group). — As on the 31st March 197

Code No.	Particulars	Amount (in thousands of rupees)
	I. Companies in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	II. Companies not in the same group*	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	etc.	
	III. **Total of companies (I+II)	
	IV. **Other investments (such as investments in Government and other Trustee Securities, fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)	
	V. **Grand Total (III+IV)	

*Please mention the names and amounts invested in individual companies in the columns provided for the purpose. In case the space is not sufficient a separate sheet should be attached.

**The totals of items III, IV & V in Section (iv) should tally with those of code Nos. 320, 410+500 and 600 respectively in section (v).

Section (v)

Investments in shares, debentures and other securities outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	A. Investments in shares and debentures of companies classified according to their principal business	Amount (in thousands of rupees		
		*Face value	*Book value	*Market value
	1. Textiles :			
101	(a) Cotton Textiles			
102	(b) Jute Textiles			
103	(c) Silk, Rayon & other artificial fibres			
104	(d) Woollen Textiles			
105	(e) Others			
120	2. Sugar			
130	3. Iron and Steel			
140	4. Non-ferrous Metals			
150	5. Electricity generation and supply			
160	6. Engineering			
170	7. Automobiles and ancillaries			
180	8. Electrical Machinery			
190	9. Machinery other than transport and electrical			
200	10. Transport equipment			
210	11. Chemicals :			
211	(a) Basic Industrial Chemicals			
212	(b) Pharmaceutical & Medical preparations			
213	(c) Other chemicals			
220	12. Mining :			
221	(a) Coal mining			
222	(b) Other mining			

230	13. Paper and Paper products			
240	14. Cement			
250	15. Mineral Oil			
260	16. Matches			
270	17. Plantation :			
271	(*a*) Tea			
272	(*b*) Coffee			
273	(*c*) Rubber			
274	(*d*) Others			
280	18. Financial Companies :	..		
281	(*a*) Banks	..	..	
282	(*b*) Iusurance Companies ..	..		
283	(*c*) Investment Trusts	..		
284	(*d*) Others ..	..	..	
290	19. Trading		..	
300	20. Shipping and other transport			
310	21. Construction			
	21A. Any other Companies			
320	22. Total of A			

Code No.	B. Investments in Government and other Trustee securities	Amount (in thousands of rupees)		
		*Face value	*Book value	*Market value
401	(*i*) Central Government loans			
402	(*ii*) State Government loans			
403	(*iii*) Government Savings or Annuity Certificates and other obligations			
404	(*iv*) Municipal loans and debentures			
405	(*v*) Port Trust loans and debentures			
406	(*vi*) Others			
410	Total of B			
500	C. Other investments (such as fixed deposits with banks and investments in units of the Unit Trust of India)			
600	Total of A+B+C			

*Please read Instruction No. 10 of Part II.

**Managers/Managing Director's/ Authorised Official's Certificate :

Certified that the figures relating to loans and advances and investments reported in Sections (i) to (v) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signatures of **Manager/
Managing Director/
Authorised Official :
Name :
Designation :

Date :

**Strike off whatever is not applicable

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

PART III

Particulars of hire-purchase business

(Please read the following Instructions carefully before filling in this Part of the Form)

INSTRUCTIONS

1. The returns in section (ii) of this Part should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March. In case the company's financial year is different, the returns in Section (ii) only should be filed with reference to the financial year of the company ending on a date nearest to the 31st March, the two half-year periods within that year being deemed to be the first six months and the second six months (or the half-year period as defined in the directions). Thus a company which is required to submit its return as on the 31st March 1972 and whose financial year ends on the 31st December 1972 should compile *this section* only with reference to its above financial year (being the date nearest to the 31st March 1973) and not to 31st March 1973. Further the outstanding credit at the end of the current year and previous year should relate to the position as on the 31st December 1972 and 31st December 1971 instead of 31st March 1973 and 31st March 1972 respectively and the new credit sanctioned should cover the entire period from the 1st January 1972 to 31st December 1972. Instalments received during the two half-years should relate to the position as on 30th June 1972 and 31st December 1972.

2. Outstanding credit at the end of the current year should agree with the figure arrived at after deducting the instalments received during the two hal-years from the outstanding credit at the end of the previous year *plus* new credit sanctioned during the current year.

3. Answers to the Questions at 1 to 7 in section (i) of this Part should be furnished in detail, when this return is submitted for the first time. Thereafter, only changes or additional information, if any, need be indicated.

4. In the case of any company, which is required to submit this return, but which carries on chit fund business also as a foreman, hire-purchase transactions or loans, if any, which are treated as assets of the chit funds need not be included.

Section (I)

Questionnaire

(Please see Instruction No. 3 above)

(A) *Questions*	(B) *Answers*
1. Are you a subsidiary of any manufacturing company or otherwise affiliated to any manufacturing or trading establishment? If so, indicate very briefly the necessary details of such company.	
2. Mention the broad types of goods you deal with on a hire-purchase basis (e.g. automobiles, household durable goods, etc.)	
3. (a) What is the usual *flat rate* of interest (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?	
(b) What is the *true rate* of interest** (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts ?	
(c) Do you disburse the hire-purchase credit as sanctioned without any reduction in advance on account of interest ?	
(d) At what intervals do wou collect interest ?	
4. What are the main items of charges, besides interest, included in the hire-purchase sale price of the goods ? (Please send us a copy of the form of agreement made with hirers if it has not been furnished already).	
5. On what basis do you fix the amount of down payment or cash deposit from the hirer ? If it is a fixed percentage of the sale price of the goods in question, please state the percentage.	
6. Do you pay interest on the cash deposit or down payment taken from hirers ? If so, please state the rate of interest (per cent per annum) allowed.	
7. Besides capital and reserves and hirers balances, what are the other sources of funds for your business ?	

* Flat rate of interest means the rate of interest charged on the entire amount of the hire-purchase credit as sanctioned and not on the diminishing balances that remain due.

** True rate of interest means the rate of interest charged on the actual amount of the credit outstanding from time to time.

Section (ii)

Hire-purchase Business for the year ended March 31, 197? (Please see Instruction No. 1)

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Goods on hire	New credit sanctioned during the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the *previous year* ended March 31, 197	*Instalments received during the two half-years of the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the current year ended March 31, 197 (Please see Instruction No. 2)
		Amount	Period of contract	Amount	Sept. 30 Amount	March 31 Amount	Amount
	(a) Automobiles :						
01	(i) Trucks and lorries						
02	(ii) Cars						
03	(iii) Scooters						
04	(iv) Others						
	(b) Household durables :						
001	(i) Radio receivers						
002	(ii) Fans						
003	(iii) Refrigerators						
004	(iv) Sewing machines						
005	(v) Others						
010	(c) Agricultural implements : (tractors, bulldozers, etc.)						
020	(d) Industrial machinery or tools or equipment for use in industry						
030	(e) All others						
040	Total (a+b+c+d+e)						

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate : Certified that the data relating to hire-purchase business of the company shown under sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date :

Signature of** Manager/
Managing Director/
Authorised Official :

Name :

Designation :

*Please see paragraph 11 of the Notification.
**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State

Coded by :
Checked by :
Punched by :
Verified by :

Ref. No. DNBC.17/DG(S)-72.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966 shall, with effect from the 1st January 1973, be amended in the following manner, namely :—

I. In sub-paragraph (1) of paragraph 2—

1. Clause (a) shall be deleted;

2. the word "money" shall be substituted for the word "loan" wherever it occurs in sub-clause (i) of clause (f);

3. the words "any loan raised on terms involving the creation of any" appearing in sub-clause (ii) of clause (f) shall be substituted by the words "any money, the repayment of which is secured by";

4. the word "loan" occurring after the word "any" in sub-clause (iii) of clause (f) shall be substituted by the word "money" and the words "any loan received" shall be inserted between the word "or" and the words "from any person registered" occurring in the said sub-clause;

5. sub-clause (v) of clause (f) shall be deleted;

6. the word "loan" shall be substituted by the word "money" in sub-clause (vi) of clause (f) and the word "Government" wherever it occurs therein, shall be deleted;

7. the word "loan" wherever it occurs in sub-clause (vii) of clause (f) shall be substituted by the word "money" and the words "or any money received by a private company from its members;" shall be added after the words "secretaries and treasurers of the company,";

8. the following proviso shall be added after sub-clause (vii) of clause (f) :

"provided that, in the case of any money received on or after the 1st day of January 1973, the person from whom the money is received has furnished to the company at the time when the money is received, a declaration by such person, in writing, that the money has not been given by such person out of funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person;"

9. Sub-clause (x) of clause (f) shall be substituted by the following :—

"(x) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures (such bonds or debentures being secured by a charge on or lien on the assets of the company) pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures; and"

10. the following shall be added as clause (ff) after sub-clause (xi) of clause (f) :

"(ff) "depositor" includes any person who has given a loan;"

11. the words "or any reserve for development allowance created under sub-section (3) of section 33A of the Income-tax Act, 1961," shall be inserted in clause (g) after the words "or sub-section (3) of section 34 of the Income-tax Act, 1961,";

12. the word "financing" appearing before the words "whether by making loans" in clause (m) shall be substituted by the words "providing of finance" and the words "of trade, industry, commerce or agriculture."; occurring after the words "loans or advances or otherwise," therein shall be deleted;

13. the words "insurance" occurring in clause (n) after the words "housing finance." and the words "stock exchange or stock-broking company," appearing after the words "mutual benefit financial," therein, shall be deleted;

14. clause (o) shall be substituted by the following :

"(o) "mutual benefit financial company" means any company, not being a banking company, the principal business of which is the acceptance of deposits from its members and which is notified by the Central Government under section 620A of the Companies Act, 1956;"

15. the words "Board of Directors or the Managing Director or the" shall be inserted in sub-clause (ii) of clause (f) before the words "manager of the company".

II. For paragraph 3 the following shall be substituted :

"3. *Acceptance of deposits by non-banking non-financial companies* :

(1) On and from the 1st January 1973, no non-banking non-financial company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than six months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than six months from the date of such renewal.

Provided that a non-banking non-financial company may, for the purpose of meeting its seasonal requirements for funds, receive or renew, as the case may be, deposits of the kinds referred to in clause (i) of sub-paragraph (2) of this paragraph, upto ten per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company, subject to the conditions laid down by the said clause being complied with and subject also to such deposits being repayable not earlier than three months from the date of receipt or renewal, as the case may be, thereof.

(2) On and from the 1st January 1973, no non-banking non-financial company shall receive any deposit, which, together with any other deposits falling under the same category (as specified hereinafter), already received and outstanding on the books of the company and in the case of a deposit in the category referred to in clause (i) of this sub-paragraph, together also with the outstanding deposits in the form of loans guaranteed by persons, who were, at the time of giving of the guarantee, managing agents or secretaries and treasurers of the company, is in excess of the limits hereinafter specified in respect of each of the following categories of deposits, namely—

(i) in the case of a deposit received against an unsecured debenture or from a member [not being a deposit received by a private company from its member on a declaration as is referred to in sub-clause (vii) of clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2] or deposit guaranteed by a person, who, at the time of the giving of the guarantee, is a director, twenty-five per cent of the aggregate of the paid up capital and free reserves of the company;

(ii) in the case of any other deposit, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company."

III. In paragraph 4—

1. the words "at the commencement of business" shall be inserted before the words "on the 1st January 1972," occurring in sub-paragraphs (1) and (2);

2. in sub-paragraph (3), the words "as at the commencement of business" shall be inserted before the words "on the 1st January 1972,";

3. the words "one or more of the four kinds referred to in sub-paragraph (1)" in sub-paragraph (3), shall be substituted for the words "the kind referred to in clause (i) of sub-paragraph (2) of paragraph 3;"

4. the word "twelve" shall be substituted by the word "six" wherever it occurs in sub-paragraph (3);

5. the word "deposit" occurring after the words "date of receipt of such" in sub-paragraph (3) shall be substituted by the word "deposits".

IV. 1. The existing provision in paragraph 5 shall be re-numbered as sub-paragraph (1); in the said re-numbered sub-paragraph (1), the words "Board of Directors or the Managing Director or the" shall be inserted at two places, namely before the words "manager of the company" and before the words "manager has approved";

2. the following shall be inserted as sub-paragraph (2) in paragraph 5 :

"(2) On and from the 1st April 1973, no non-banking non-financial company shall accept, renew or convert any deposit except on a written application by the depositor on the form to be supplied by the company, which form should contain all the particulars specified in sub-paragraph (1) of this paragraph."

V. The following shall be substituted for the existing sub-paragraph (ii) of paragraph 6 :

"(ii) The said receipt shall be duly signed by an officer entitled to act for the company in this behalf and shall state quite clearly the date of deposit, the name of the depositor, the amount received by the company by way of deposit, in words and figures, the rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable."

VI. The following shall be inserted as clause (bb) in sub-paragraph (i) of paragraph 7—

"(bb) duration and the due date of each deposit;".

VII. In sub-paragraph (ii) of paragraph 8, the words and figures "Rs. 10 lakhs" shall be substituted by the words and figure "rupees 5 lakhs".

VIII. In paragraph 9—

1. the word "six" shall be substituted for the word "twelve" occurring in sub-paragraph (a);

2. in sub-paragraph (b), clauses (v) and (vi) shall be deleted.

IX. The existing provision in paragraph 12 shall be re-numbered as sub-paragraph (1) and the following shall be inserted thereafter as sub-paragraph (2) :

"(2)(i) Every non-banking non-financial company shall not later than one month from the coming into force of this provision or from the commencement of business, whichever is later, deliver to the Reserve Bank, a written statement containing a list of—

(a) the names and the official designations of its principal officers;

(b) the names and residential addresses of the directors of the company; and

(c) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) Any change in the list referred to in sub-clause (i) of this sub-paragraph shall be intimated to the Reserve Bank within one month from the occurrence of such change."

X. In paragraph 13, the words "or any other office of the aforesaid Department to which the company may be directed" shall be inserted after the words "Calcutta-1."

XI. The First and Second Schedule shall be substituted by the respective Schedules appended hereto.

S. S. SHIRALKAR, Deputy Governor

CONFIDENTIAL **FORM-D**

FIRST SCHEDULE

(Please see paragraph 12 of the Notification No. DNBC. 2/ED(S)-66 dated the 29th October 1966)

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES

CALCUTTA-1

Return of deposits with non-banking companies other than financial companies as on the 31st March 197

(Please read the Instructions carefully before filling in the Form)

Code No.

(1) Name of the company .....

(2) Full address of the

(a) Registered Office .....

(b) Head/Administrative Office .....

.....

(3) State in which the company is registered : .....

.....

(4) Status* : Private/public limited company/branch of a foreign company .....

(5) Registration No. of the company .....

(6) Date of

(a) Incorporation .....

(b) Commencement of business.....

(7) Financial year of the company .....

(8) Main business* : Manufacturing/Trading/Agriculture/Plantation/Any other (Please specify).....

(9) Type of industry : (Cotton/Textile, Sugar, Engineering etc.) .....

(10) Name of the company's banker(s) and address(es) : .....

*Strike off whetever is not applicable

NOTE : The return, after completion, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

Instructions for filling in the Form

1. The return should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March *irrespective of the date of the financial year of the company.*

2. The submission of the return should not be delayed for any reasons such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. In the case of any company, which is required to submit this return but which carries on chit fund business also as a foreman, amounts received by way of subscriptions under the chit or kuri agreements will NOT be treated as deposits.

4 Unsecured borrowings with certain exceptions mentioned in paragraph 2(1)(f) of Notification No. DNBC2/ED(S)-66 dated the 29th October 1966 are treated as deposits.

5. Unsecured loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, are treated as deposits. The above unsecured loans, in order to qualify for the deposits of the kind reference to in paragraph 3(2) of the Notification and classify against code No. 1 in Part A, should fulfil the following norms :—

(a) they should be *evidenced* either by the execution of promissory notes by the borrowing company or by exchange of letters evidencing loan contracts.

(b) *repayment* of these loans should be guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, of the company in their *personal capacity*, and

(c) these loans should be held in *fixed loan accounts* in the books of the company. Part repayments are permitted, but fresh amounts *as loans* should not accepted in the same account.

In case an unsecured loan of the type mentioned above does not fulfil any of the above three norms, it should be treated as deposit of the kind referred to in paragraph 3(2)(ii) of the Notification and should, therefore, be classified against code No. 6 or 7, as the case may be, in Part A.

6. The loans received from person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force are exempted from the term 'deposit' only if they fulfil the norms as indicated at (a) and (c) in Instruction No. 5 above.

7. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand and three zeros omitted. For example, an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000.

8. In Part C of the return brokerage paid for obtaining deposits should not be included in the rate of interest but should be indicated in a footnote at the end of the table.

9. Any money received *which is specifically excluded* from the term 'deposit' in sub-clauses (i) to (xi) of paragraph 2(1)(f) of the Notification No. DNBC2/LD(S)-66 dated the 29th October 1966 should be classified against different code Nos. under item III in Parts A, B and C of the return.

Monies received in trust, advances for supply of goods or services, security deposits from contractors and other exempted receipts which cannot be classified against any of the code Nos. 10 to 17 in Part A of the return may be shown code No. 18 in Part A.

10. The periodwise classification of deposits reported in Part B of the return should be made against the various code Nos. under items I and II according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March i.e. the date of the return. Amounts with no specified period of maturity or repayable in instalments should be shown against Code Nos. 1 and 10 under the above items respectively and the position explained suitably by footnotes.

11. Deposits and exempted borrowings and receipts bearing no interest should be classified against Code No. 1, 8 and 15 items I, II and III, respectively in Part C.

12. Only those reserves which are *shown* or *published* in the balance sheet of the company as being retained for any *general* or *unspecified* purpose should be treated as 'free reserves' and shown in Parts D and F of the return. Any other reserve the nomenclature of which as shown in the audited balance sheet indicates that it has been set apart for a specific purpose should not be taken into account notwithstanding the actual purpose for which it has been created.

The following reserves are generally treated as free reserves :

(i) General Reserve

(ii) Capital Reserve

(iii) Capital Redemption Reserve

(iv) Contingency Reserve

(v) Statutory Development Rebate Reserve or Development Allowance Reserve

(vi) Balance in share-premium account

(vii) Surplus which is in the nature of general reserve

13. A list containing the names and the official designations of the principal Officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank of India as required in paragraph 12(2)(i) of the Notification.

14. In the absence of any indication to the contrary, the definitions in the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Direction, 1966, so far as they are relevant, will be applicable.

15. The return should be signed by the Manager (as defined in section 2 of the Companies Act 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed Card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

16. In case there is nothing to report in any Part of the return, it should be marked "Nil".

Part A

Deposits, etc. outstanding — As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees)
	I. *Deposits of the kinds referred to in paragraph* 3(2) *and* 3(2)(i) *of the Notification :*		
1	(a) Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers		
2	(b) Unsecured debentures		
3	(c) Deposits including unsecured loans received from members* (not being members of a *private* limited company)		
4	(d) Deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity		
5	(e) Total (a+b+c+d)		
	II. *Deposits of the kind referred to in paragraph* 3(2) *(ii) of the Notification* -		
6	(f) Fixed deposits		
7	(g) Any other deposits		
8	(h) Total (f+g)		
9	(i) Total of (I)+(II)		
	III. *Exempted borrowings & receipts not counting as deposits* (vide paragraphs 2(1)(f)(i) to (xi) of the Notification) :		
10	(j) Money received from former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
11	(k) Money received from directors**		
12	(l) Money received from members** in the case of a private limited company		
13	(m) Security deposits from employees		
14	(n) Money received from purchasing, selling or other agents for the purposes of business		
15	(o) Money received from joint stock companies (including companies in the same group).		
16	(p) Secured borrowings and borrowings from banks and other specified institutions		
17	(q) Money received from foreign sources		
18	(r) Other exempted borrowings and receipts not counting as deposits		
19	(s) Total (j to r)		
20	IV. Total of I, II and III above		

*The expression "member" used here means a person who is registered as a holder of shares in the company.

**Please note that the money received from such person out of the funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from another person is *not* exempted [vide paragraph 2(1)(f)(vii) of the Notification]. A declaration from him to this effect should have been obtained by the company before including his money in this category.

Part B

Period of Deposits, etc. — As on the 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Period of deposits, exempted borrowings and receipts (Please see Instruction No. 10)	No. of accounts	Amount (in thousands of rupees
1	2	3	4	5	6
0 I.	Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 3 months		
		2	Repayable after a period of 3 months or more but less than 6 months		
		3	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		4	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		5	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		6	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		

1	2	3	4	5	6
		7	Repayable after a period of 60 months or more		
		8	Total of 1 to 7 (See Note No. (i))		
00	II. Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits.	9	Overdue and/or unclaimed		
		10	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months other than those mentioned against Code No. 9 above ..		
		11	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		12	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		13	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		14	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months		
		15	Repayable after a period of 60 months or more		
		16	Total of 9 to 15 (See Note No. ii)		
000	III. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	17	Repayable on demand or on notice or otherwise in less than 6 months		
		18	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months.		
		19	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		20	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months		
		21	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months.		
		22	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more		
		23	Total of 17 to 22 (See Note No. iii)		
0000	IV. Total of I, II and III				
			(See Note No. iv)		

NOTE : (i) The totals of Code No. 8 should tally with those of Code No. 5 of Part A.
(ii) The totals of Code No. 16 should tally with those of Code No. 9 of Part A.
(iii) The totals of Code No. 23 should tally with those of Code No. 19 of Part A.
(iv) Totals of Item IV o f Part B should tally with the total of item IV of Part A.

Part C

Rates of interest (exclusive of brokerage) on Deposits, etc. As on 31st March 197

Code No.	Types of deposits, exempted borrowings and receipts	Code No.	Rate of interest	Amount (in thousands of rupees)
0	I. Deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, unsecured debentures, deposits including unsecured loans from members (not being members of a private limited company) and deposits including unsecured loans guaranteed by directors.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
		7	Total of 1 to 6	
00	II. Deposits i.e. fixed deposits and any other deposits.	8	5% and below	
		9	More than 5% but less than 7%	
		10	7% or more but less than 9%	
		11	9% or more but less than 10%	
		12	10% or more but less than 12%	
		13	12% or more.	
		14	Total of 8 to 13	
000	III. Exempted borrowings and receipts not counting as deposits *i.e.* from members in the case of private limited companies or directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits and purchasing, selling or other agents or borrowings from joint stock companies and all other exempted borrowings and receipts.	15	5% and below	
		16	More than 5% but less than 7%	
		17	7% or more but less than 9%	
		18	9% or more but less than 10%	
		19	10% or more but less than 12%	
		20	12% or more.	
		21	Total of 15 to 20	
0000	IV. Total of I, II and III			

NOTE : (i) The totals of Code Nos. 7, 14 and 21 should tally with those of Code Nos. 5, 8 and 19 of Part A respectively.
(ii) The total of item IV in Part C must tally with that of item IV of Part A.

Part D

Statement showing the position of deposits vis-a-vis ceilings

(A) Deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(2) and 3(2)(i) of the Notification and the prescribed ceilings

(Amounts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total deposits of the kinds referred to above i.e. total of Code No. 5 in Part A	Owned funds		Balance of loss, if any,	Net owned funds (3+4) —5	Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds).	Excess, deposits, if any, over the ceiling (2—7)	Please state whether the excess deposits have been adjusted as per paragraph 4(1) of the Notification. If not, reasons, for non-compliance should be stated.
		Paid-up capital	Free Reserves					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31st December, 1971								
31st March, 1973								
31st March, 1974								
31st March, 1975								

NOTE : *At least one-third of the excess deposits as on 31-12-1971 has to be reduced before 1-4-73, another one-third of the excess as on 31-12-1971 before 1-4-1974 and the balance, if any, of the said excess before 1-4-1975.

(B) Deposits of the kind referred to in paragraph 3(2)(ii) the Notification and the ceiling.

Position as on 31st March 197
(i.e. the date of the return)

Total deposits of the kind refer- to above i.e. total of code No. 8 in Part A.	Ceiling (i.e. 25% of the net owned funds)	Excess deposits if any, over the ceiling (1)—(2)	Remarks
1	2	3	4

Part—E

Statement showing the regularisation of deposits of the kinds referred to in paragraphs 3(2) and 3(2)(1) of the Notification, repayable on demnd or on notice or after a period of less than 6 months.

(Amouts in thousands of rupees)

Position as at the close of business on	Total amount of deposits of the above kinds (i.e. total of code Nos. 1 & 2 of Part B)	Amount of deposits of the kinds referred to in paragraph 3(2)(1) of the Notification) upto 10% of the net owned funds repayable not earlier than three months (vide proviso to paragraph 3(1).	Amount of irregular deposits i.e. total of column 2 *minus* 3	25% of the net owned funds (vide column 7 of Section (A) of Part D)	*Please state whether such deposits have been regularised as per paragraph 4(3) of the Notification. If not, reasons for non-compliance should be stated.
1	2	3	4	5	6
31st December 1971					
31st March 1973					
31st March 1974					
31st March 1975					

NOTE : *(i) If the total amount of irregular deposits is not in excess of 25% of the company's owned funds such deposits should be regularised before 1-4-1973.

(ii) If the total amount of irregular deposits is in excess of 25%of the company's owned funds, it should be regularised in the following manner :

(*a*) at least such deposits equal to 25% of the net owned funds before 14-1-973,

(b) at least one-half of the balance before 1-4-1974 and

(c) the remaining portion before 1-4-1975.

Important

It should be noted that the company has been allowed to accept deposits referred to in columns 3 of this Part for meeting its seasonal requirements. Please also see proviso to paragraph 3(1) of the Notification.

Part F

Comparative position of the company as per its audited balance sheet as at the date nearest to the date of this return.

(Amounts in thousands of rupees)

Particulars	Position as per the balance sheet as at	Position as per the return as as on 31-3-197	Reasons for variations, if any, may broadly be stated.
1	2	3	4
1. Paid-up capital			
2. Free Reserves			
3. Balance of loss, if any	@		
4. Deposits*	£		
5. Exempted borrowings/receipts		₹	

*Maximum aggregate of deposits during the year ended March 31, 197 , and the relevant date may be stated below:

(i) Maximum amount of deposits during the year (in thousands of rupees).....

(ii) Date on which the above maximum was accounted.....

@—The total of Code No. 9 in Part A should be shown here.

£—The total of Code No. 19 in Part A should be shown here.

*Manager's/Managing Director's/Authorised Official's Certificate : (1) Certified that the deposits as reported in this return have been received or renewed for meeting theg enuine business requirements of the company.

(2) Certified that declarations have been obtained, in writing, as required in terms of the proviso to paragraph 2(1)(f)(vii) of the Notification from the directors and members **that the money has not been given by them to the company out of the funds acquired by them by borrowing or accepting deposits from another person.

(3) Certified that the company has complied with the provisions of paragraphs 5(1) and 11(ii) of the Notification while soliciting deposits.

(4) Certified that deposits have been accepted, renewed or converted on or after the 1st January 1973 in the manner prescribed in sub-paragraph 2 of paragraph 5 of the Notification.

(5) Certified that the company has complied with the requirements of paragraph 6 of the Notification.

(6) Certified that the Registers of deposits are being maintained of the lines indicated in paragraph 7 of the Notification.

(7) Certified that the particulars/information furnished in this return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whatever certificate is not applicable.);

Date :

Siguanture of *Managing/Managing Director/Authorised Official :
Name :
Designation :

Enclosures to the return

The following documents should be submitted alongwith the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return

(2) Specimen signature card (Please see Instruction No. 15)

(3) A copy of the application form referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Notification

(4) A copy each of the advertisements, if any, issued during the year ended the 31st March 197

(5) A list of officers and directors (Please see Instruction No . 13)

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by :
				Checked by :
				Punched by :
				Verified by :

*Strike off whatever is not applicable.

**Applicable in the case of private limited companies only.

FORM-IHP

Confidential

SECOND SCHEDULE

(Please see paragraph 12 of the Notification No. DNBC 2 ED(S)-66 dated the 29th October 1966)

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARMENT OF NON-BANKING COMPANIES

CALCUTTA-1

Particulars of hire-purchase business of non-financial companies

(Please read the following Instructions carefully before filling in the Form)

Code No.

(1) Name of the company ....

(2) Full address of the

(a) Registeres office ....

(b)* Head/Administrative Office ....

(3) State in which the company is registered : ....

(4) Status* : Private/public limited company/branch of a foreign company.

(5) Registration No. of the company ....

(6) Date of

(a) Incorporation ....

(b) Commencement of business ....

(7) Financial year of the company ....

(8) Main business* : Manufacturing/Trading/Agriculture/Plantation/Any other (Please specify).

(9) Type of industry : (Cotton Textile, Sugar, Engineering, etc.)

(10) Name of the company's banker(s) and address(es)..........

*Strike off whatever is not applicable.

NOTE : The return, after compilation, should be sent to the Chief Officer, Department of Non-Banking Companies, Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Post Box No. 571, Calcutta-1.

INSTRUCTIONS

1. The returns in sections (ii) should be submitted once a year before the 30th June with reference to the company's position as on the 31st March. In case the company's financial year is different, the returns in Section (ii) only should be filed with reference to the financial year of the company ending on a date nearest to the 31st March the two half-year periods within that year being deemed to be first six months and the second six months (or the half-year period as defined in the directions). Thus a company which is required to submit its return as on the 31st March 1973 and whose financial year ends on the 31st December 1972 should compile *this section* only with reference to its above financial year (being the date nearest to the 31st March 1973) and not to 31st March 1973. Further the outstanding credit at the end of the current year and previous year should relate to the position as on the 31st December 1972 and 31st December 1971 instead of 31st March 1973 and 31st March 1972 respectively and the new credit sanctioned should cover the entire period from the 1st January 1972 to 31st December 1972. Instalments received during the two half-years should relate to the position as on 30th June 1972 and 31st December 1972.

2. Outstanding credit at the end of the current year should agree with the figure arrived at after deducting the instalments received during the two half-years from the outstanding credit at the end of the previous year *plus* new credit sanctioned during the current year.

3. Answers to the Questions at 1 to 7 is section (i) should be furnished in detail, when this return is submitted for the first time. Thereafter, only changes or additional information, if any, need be indicated.

4. In the case of any company, which is required to submit this return, but which carries on chit fund business also as a foreman, hire-purchase transactions or loans, if any, which are treated as assets of the chit funds need not be included.

Section (i) Questionnaire

(Please see Instructios No. 3 above)

1. Are you a subsidiary of any manufacturing company or otherwise affiliated to any manufacturing or trading establishment? If so, indicate very briefly the necessary details of such company.

2. Mention the broad types of goods you deal with on a hire-purchase basis (e.g. automobiles, household durable goods, etc.)

3. (a) What is the usual flat rate of interest (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts?

(b) What is the true of interest** (per cent per annum) you charge for hire-purchase credit for the majority of accounts?

(c) Do you disburse the hire-purchase credit as sanctioned without any reduction in advance on account of interest?

(d) At what intervals do you collect interest?

4. What are the main items of charges, besides interest, included in the hire-purchase sale price of the goods?

(Please send us a copy of the form of agreement made with hirers if it has not been furnished already).

5. On what basis do you fix the amount of down payment or cash deposit from the hirer ? If it is a fixed percentage of the sale price of the goods in question, please state the percentage.

6. Do you pay interest on the cash deposit or down payment taken from hirers ? If so, please state the rate of interest (per cent per annum) allowed.

7. Besides capital and reserves and hirers balasces, what are the other sources of funds for your business ?

* Flat rate of interest means the rate of interest charged on the entire amount of the hire-purchase credit as sanctioned and not on the diminishing balances that remain due.

** True rate of interest means the rate of interest charged on the actual amount of the credit outstanding from time to time.

Section (II)

Hire-purchase Business for the year ended March 31, 197 **(Please see Instructions No. 1)**

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Goods on hire	New credit sanctioned during the current year ended March 31, 197		Outstanding credit at the end of the *previous year* ended March 31, 197 .	*Instalments received during the two half-years of the current year ended March 31, 197 .		Outstanding credit at the end of the current year ended March 31, 197 . (Please see Instruction No. 2)
		Amount	Period of contract	Amount	Sept 30 Amount	March 31 Amount	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
	(a) Automobiles :						
01	(*i*) Trucks and lorries						
02	(*ii*) Cars						
03	(*iii*) Scooters						
04	(*iv*) Others						
	(*b*) Household durables :						
001	(*i*) Radio receivers						
002	(*ii*) Fans						
003	(*iii*) Refrigerators						
004	(*iv*) Sewing machines						
005	(*v*) Others						
010	(*c*) Agricultural implements, (tractors, bulldozers, etc.)						
020	(*d*) Industrial machinery or tools or equipment for use in industry						
030	(*e*) All others						
040	Total (a+b+c+d+e)						

**Manager's/Managing Director's/Authorised Official's certificate :

Certified that the data relating to hire-purchase business of the company shown under Sections (i) and (ii) have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Signature of **Manager/Managing Director/Authorised Official :

Date :

Name :

Designation :

*Please see paragraph 10 of the Notification.

**Strike off whatever is not applicable.

(Space for the use of the Reserve Bank of India)

Period	Status	Business	State	
				Coded by
				Checked by
				Punched by
				Verified by

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, the 2nd February 1973

No. 50-*SA*(91)/52.—In pursuance of Rule 4(3) of the Certified Auditor's Rules, 1961, it is hereby notified for general information that the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Certified Auditors with effect from 31st December, 1972, the name of Shri B. Madhava Rao of 2003/1, Sri Ramapet, Mysore-1, the holder of Certified Auditor's Certificate No. 91 on the basis of information received that he died on 30th December, 1972.

The 14th February 1973

No. 8-*CA*(1)/15/72-73.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	Membership No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand Cancelled
1	2	3	4
1.	1147	Shri Sarab Parkash Suri, F.C.A., 92, Friends Colony, New Delhi-14.	1-2-73 to 30-6-73
2.	1846	Shri Maganlal Kalyanji Naik, A.C.A., Sabiri Manzil, Near L.I.C., Muglisara, Main Road, Surat.	24-8-72 to 30-6-73
3.	12556	Shri Baddireddi Narasimha Rao, A.C.A., C/o Hindustan Milkfood Manufacturers Ltd., (Horlicks Factory), Bommuru, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh.	1-1-73 to 30-6-73
4.	13693	Shri Brajendra Mahajan, A.C.A., A-7A/14, Rana Partap Bagh, Delhi-7.	1-2-73 to 30-6-73

Tthe 20th February 1973

No. 5-*CA*(1)/26/72-73.—With reference to this Institute's Notification 4-CA(1)/17/71-72 dated 18-12-1971, 4CA(1)/16/72-73 dated 16-12-1972, 4-CA(1)/19/72-73, dated 17-1-1973. 4-CA(1)/10/69-70, dated 3-9-1969 and 4-CA(1)/21/72-73, dated 19-1-1973, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	11835	Shri Shrikant M. Gupte, A.C.A., 24, Mahant Road, Sharma Niwas, Vile-Parle, Bombay-57 (AS).	3-2-73
2.	10779	Shri A. K. Sarkar, A.C.A., 67, Gouribari Lane, Calcutta-4.	6-2-73
3.	1448	Shri Rathindra Nath Basu, A.C.A., 7, Central Road, Calcutta-32.	15-2-73
4.	4297	Shri Pillutla Ramanadha Sastry, A.C.A., Chief Accounts Officer., Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., N-13, South Extension, Part-I, New Delhi-49.	16-2-73
5.	11239	Shri P.T. Narayan Nair, A.C.A., M/s. Harshadray Private Ltd., Jiji House, Raveline Street, Bombay.	17-2-73

C. BALAKRISHAN
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-16, the 7th February 1973

(COST ACCOUNTANTS)

No. 11-*CWR*(24)/73.—In pursuance of sub-regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri Sohan Lal Dugar, MCOM, AICWA, 72, Sector 27A, Chandigarh (Membership No. 1512), shall stand cancelled during the period from 30th January 1973 to 30th June 1973.

S. N. GHOSE
Secretary

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 23rd January 1973

No. 22(2)/72-*MIV*.—The Iron Ore Board has been registered as a Society under the Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment) 1957 on 20th January, 1973. The Iron Ore Board will consist of a Chairman and such number of members, as the Government may find necessary, but not exceeding fifteen.

2. Government have decided that the composition of the Iron Ore Board for the present will be as follows under further orders.

Full time members :

1. Shri R. C. Dutt, Chairman
2. Member Secretary.

Part-time members :

3. Shri M. A. Wadud Khan,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Steel and Mines (Deptt. of Steel),
New Delhi.

4. Shri B. B. Lal,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Foreign Trade,
New Delhi.

5. Shri M. G. Pimputkar,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Shipping & Transport,
New Delhi.

6. Shri S. K. Guha,
Joint Secretary to the Government of India,
Ministry of Steel & Mines
(Deptt. of Steel).

7. Shri G. Ramanathan,
Chairman-*cum*-Managing Director,
National Mineral Development Corporation,
Hyderabad.

8. Shri S. Ramachandran,
Chairman,
Mineral & Metal Trading Corporation,
New Delhi.

C. B. RAU
Dy. Secretary

New Delhi, the 17th February 1973

No. 22(2)/72-*MIV*.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 23rd January, 1973, the Government have decided that Shri M. R. Yardi, Finance Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance will be a part time member of the Iron Ore Board, until further orders.

C. B. RAU
Director

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

New Delhi-49, *the 10th March* 1973

NOTICE

No. CWC/III-8/73-*B. & P.*—In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the names and addresses of the Directors duly elected on 27-2-73 by the respective class of shareholders under clauses (d) and (f) of sub section (1) of Section 7 of the Warehousing Corporations Act, 1962 to fill in the vacancies arising from 18-3-73 are notified below :

	Class of shareholders	Name and addresses of the Director
1.	Scheduled Banks (other than State Bank of India).	Shri B. K. Vora, Deputy General Manager, Punjab National Bank, Parliament Street, New Delhi.
2.	Insurance Companies, Investment Trusts, and other financial institutions, recognised associations and companies dealing in agricultural produce or notified commodities.	Shri C. R. Thakore, C/o Life Insurance Corporation of India, Yogakshema, Madame Cama Road, Bombay-20.

RAJINDER SINGH
Managing Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(Personnel Division)

Bombay-85, *the 5th January* 1973

ORDER

No. Ref. s 7(77)/72/*Estt.XII*/15.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, I hereby terminate forthwith the services of Shri C. K. Ismail, Tradesman 'A', Transport Maintenance Unit. Shri Ismail shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of pay and allowances for a period of one month (in lieu of the period of notice) calculated at the same rate at which he was drawing them immediately before the date on which this order is served on or, as the case may be, tendered to, him.

T. V. RANGARAJAN
Head Personnel Division

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

Central Silk Board

Bombay-2, *the 22nd December* 1972

No. CSB/18(172)/70-*ES*.—In exercise of the powers conferred by Rule 28 of the Central Silk Board Rules 1955, the Board has been pleased to promote Shri B. V. Satyanarayana Rao, Assistant Superintendent, Central Sericultural Research & Training Institute, Mysore as Administrative Office in the scale of Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950 in the same Institute with effect from 13-11-1972 (F.N.) as per Ministry of Foreign Trade, Government of India, letter No. 25011/8/72-Tex(F) dated 23rd October, 1972.

INDER J. MALHOTRA
Chairman

AGRICULTURAL REFINANCE COPORATION

Bombay, the 2nd February 1973

No. G.S.R.—In exercise of the powers conferred by Section 46 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (10 of 1963) the Board of the Corporation, with the previous approval of the Reserve Bank of India, is pleased to make the following amendments to the Agricultural Refinance Corporation (Staff) Regulations, 1964.

In Appendix I to the Agricultural Refinance Corporation (Staff) Regulations, 1964, for clause 1(a) of Section 1—Pay Scales, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Managing Director : Rs. 2,000-100-2,400

(But Rs. 1,650-75-2,100 if a senior staff officer Grade II of the Reserve Bank is appointed as Managing Director; in that case there shall be paid a special pay of such amount, as the Board may, with the previous approval of the Reserve Bank determine from time to time.)"

M. A. CHIDAMBARAM
Managing Director

INDIAN AIRLINES

New Delhi, the 7th March 1973

CORRIGENDUM

The following omissions/errors were crept/printed in The Gazette of India Part III Sec. IV dated 16-9-72 in respect of the Notf. of Indian Airlines, New Delhi.

1. Gazette notification Page 1386 column 2 line 63 [Regulation 194 clause (4) sub-clause (ii) last line] instead of the word 'subsequently' the word 'subsequent' has been printed.

2. Notification Page 1387 column 1 line 7 [Regulation 194 clause (4) Explanation sub-clause (f)].

Instead of word 'brothers' the word 'brother' has been printed.

3. Page 1387 column 1 after line 27, (At the end of Regulation 194 clause (5)]

At the end of first notification the signatures of Secretary Indian Airlines have not been printed.

4. Notification page 1388 column 2 line 62-63 (Chapter XVII Regulation 191 clause 1 line 3-4) the word 'the' between the word subject to and other provisions has not been printed.

5. Notification Page 1390 column 1 line 6/8 after bracket [Regulation 194 clause (4) Explanation Sub-clause (f)].

Beyond bracket the word 'step' between the word 'and' and 'sisters' has not been printed.

PUNJAB UNIVERSITY

Chandigarh, the 26th February 1973

No. 3-73/*O.S.D.*—The Central Government (Ministry of Education & S.W.) have accorded approval *vide* their letter No. Dy. 233/73-U.I., dated 25-1-73 to the following Regulations :—

1. Regulation 1.1 of the Chapter II(A)(iv) 'Academic Council' at pages 18-19 of the Calendar Volume I, 1972, all read as under :—

1.1. There shall be an Academic Council which shall consist of the following :—

(a) The Vice-Chancellor, as Chairman.

(b) The Dean of University Instruction.

(c) One Principal of a University Evening College, by rotation.

(d) The Deans of Arts, Languages, Science & Mathematics, Commerce, Education and Design & Fine Arts Faculties-*ex-officio*.

(e) The University Professor/s (including the Director of V.I.S. & I.S. Hoshiarpur, *the Director-cum-Professor* of Physical Education, *the Librarian-cum-Professor of Library Science*), and those designated by the Syndicate as Professors, in such subjects of University teaching as belong to the Faculties of Arts, Science & Mathematics, Commerce, Languages, Education and Design & Fine Arts, and if in any of such subjects there is no University Professor, the Head of the University Department concerned not below the rank of a Reader.

(f) The Principals/Directors of such Arts and Science Colleges/University Post-graduagte Regional Centres as undertake teaching up to Master's degree in two or more subjects.

(g) Six teachers of degree classes as defined in Regulation 2 below, elected from amongst themselves.

(h) Six Principals of such Arts and Science Colleges as undertake Honours teaching in at least three subjects elected from amongst themselves.

(i) Two University Lecturers (one from the Science & Mathematics Faculty and one from other Faculties) to be nominated by the Syndicate, by rotation.

(j) Five Fellows of the University elected by the Senate.

(k) Not more than two University Readers, nominated by the Syndicate.

(l) Three nominees of the Vice-Chancellor.

2. Regulations 1, 4.1, 4.2 and 7 of the Chapter II(A)(V) 'Faculties' at pages 23, 26 and 27 of the Calendar Volume I, 1972, shall read as under :—

1. The Faculties constituted by the Senate are :—
   (1) Languages
   (2) Arts
   (3) Science & Mathematics
   (4) Law
   (5) Medical Sciences
   (6) Commerce
   (7) Engineering & Technology
   (8) Education
   (9) Dairying, Animal Husbandry & Agriculture.
   (10) Design & Fine Arts.

4.1. University Professors (*including the Director*-cum-*Professor of Physical Education and the Librarian-cum Professor of Library Science*), and such Readers as are Heads of Departments shall be *ex-officio* members of the Faculties concerned and shall exercise all rights given by regulations to Added Members : they shall be in addition to the number elected by Fellows under Regulation 3.

4.2. Principals of colleges affiliated in the following Faculties are co-opted as members of their respective Faculties but they shall not have right of vote :—

(1) Medical Sciences.
(2) Engineering & Technology including Textiles Technology.
(3) Dairying, Animal Husbandry & Agriculture.
(4) Design & Fine Arts.

7. The number of members required to form a quorum at a meeting of a Faculty shall be as under :—

Arts—Eight
Languages—Seven
Law—Five
Science & Mathematics—Five
Medical Sciences—Four
Commerce—Four
Engineering & Technology—Four
Education—Four
Dairying, Animal Husbandry & Agriculture—Four
Design & Fine Arts—Four

At a joint meeting of more than two Faculties and at a joint meeting of the Arts and Languages Faculties ten members, and at a joint meeting of any other two Faculties eight members, shall form a quorum.

3. Regulations 2.2, 2.5 and 2.6 of the Chapter II(A) (vi) 'Boards of Studies' at pages 30—35 of the Calendar Volume I, 1972, shall read as under :—

2.2. Each Board of Studies shall consist of—

(*a*) (*i*) Seven members in the case of English, History, Economics, Political Science and Civics, Hindi and Panjabi Boards;

(*ii*) Six members in the case of Sanskrit, Philosophy, Mathematics, Statistics and Astronomy, Physics, Chemistry, Botany, Zoology and Geography Boards;

and shall be elected every alternate year in the manner laid down in Regulations 3 and 4 and the Rules;

(*b*) Ex-Officio members :

The University Professor or Professors (including the Director of V.I.S. & I.S., Hoshiarpur, who shall also be ex-Officio member of Sanskrit Board, *the Director-cum-Professor of Physical Education and the Librarian-cum-Professor of Library Science*); if there is no University Reader or Readers; if there is neither a University Professor nor a University Reader the Head of the University Teaching in the subject or subjects of the Board.

(*c*) One or two members nominated by the Vice-Chancellor if considered necessary.

2.5. The Boards of Studies in the following subjects as also the Conveners of these Boards shall be nominated by the Syndicate :—

I. Arabic
II. Persian
III. Urdu
IV. Bengali
V. Tamil
VI. Sindhi
VII. French
VIII. German
IX. Russian
X. Tibetan
XI. Music
XII. Arts
XIII. Psychology
XIV. Sociology
XV. Public Administration
XVI. General Education
XVII. Ancient Indian History, Culture & Archaeology
XVIII. Courses in Library Science
XIX. Anthropology
XX. Military Science
XXI. Physiology
XXII. Human Anatomy
XXIII. Bio-Physics
XXIV. Bio-Chemistry
XXV. Microbiology
XXVI. Geology
XXVII. Pharmacology
XXVIII. Post-Graduate Studies in Pharmaceutical Sciences
XXIX. Dairying, Animal Husbandry & Agriculture
XXX. Textile Technology
XXXI. Chemical Engineering
XXXII. Civil Engineering
XXXIII. Electrical Engineering
XXXIV. Mechanical Engineering
XXXV. Aeronautical Engineering
XXXVI. Applied Sciences
XXXVII. Metallurgical Engineering
XXXVIII. Electronics and Electrical Communication
XXXIX. Engineering & Production Engineering
XL. Commerce
XLI. Post-Graduate Medical Education & Research
XLII. Dental Surgery
XLIII. Home Science
XLIV. Architecture
XLV. Physical Education
XLVI. Pharmacy
XLVII. Nursing
XLVIII. Law

2.6. For the Boards XXIX to XLIII and XLVI to XLVIII the Dean of the Faculty concerned shall be an ex-officio member.

Principals of colleges affiliated for the Master's degree course in Dairying & Animal Husbandry and Textiles Technology and Head of the University Department in Chemical Engineering shall be ex-officio members of the Board of Studies concerned.

Provided that—

(i) A person shall not be eligible to seek election, if whether by himself or by any person or a body of persons in trust for him or for his benefit or on his account, he has any share or interest in—

(a) a firm engaged in printing, publishing or selling books to or for the use of the University or students of any of its courses;

(b) a contract for supply of goods to the University;

(c) execution of any works of the University.

(ii) A person who, in one way or the other, is involved in publication of cheap notes, guides or help books, shall not be eligible to be a member of a Board of Studies.

(iii) A person shall not be eligible to seek election to a Board of Studies—

(a) if he is shown as author, co-author or collaborator of a book prescribed for a University examination excepting M.A. course, whether or not he has in fact contributed to the writing of the book; or

(b) if he is found, after a proper enquiry to be the writer of such book, though his name does not appear as an author, co-author or collaborator.

Note : This shall not apply to a person who prepared a book at the instance of the University and did not receive any royalty for the same.

Persons affected by these provisions shall be given a chance to defend their cases before final action is taken by the University.

(iv) A member shall not continue to hold office if he incurs any of the disqualifications mentioned in (i), (ii) and (iii) above.

4. Regulation 17.3 of the Chapter VI 'Conditions of service of University Employees' at page 96 of the Calendar Volume I, 1972, shall read as under :—

17.3. All whole-time members of the teaching staff (including the Director-*cum*-Professor of the Physical Education and the Librarian-*cum*-Professor of Library Science) and other teachers of these departments as defined in Regulation 1.1 of Chapter V (A), shall retire on reaching the age of 60 years;

Provided that—

(1) extension for a period up to three years may be allowed by Senate on the recommendation of Vice-Chancellor and Syndicate to a teacher who continues to be efficient and fit both physically and mentally. Such extension, however, shall not be beyond July 31 of the year in which the incumbent attains the age of 63 years;

(2) if in the opinion of the Vice-Chancellor, further retention (beyond the age of 63 years) of a teacher is in the interests of the University owing to his exceptional eminence in the field and outstanding contribution of national or international significance, and if he continues to be efficient and fit both physically and mentally, Syndicate may decide that the post held by such a teacher need not be advertised and recommended to Senate for grant of further extension for a period extending up to two years. Such extension, however, shall not be beyond July 31 of the year in which the incumbent attains the age of 65 years.

5. Regulation 6(C) for B.A./B.Sc. examination at page 28 of Calendar, Volume II, 1972, shall read as under :—

6(C). A candidate who has passed Honours examination in a Modern Indian Language [Hindi or Urdu or Panjabi (Gurmukhi Script)] and/or in a Classical Language (Sanskrit or Persian or Arabic) from the Panjab University, may, if he so desires be exempted from taking the examination in the Language/Languages in which he has passed the Honours examination. If the candidate avails of such exemption, he shall be deemed to have obtained minimum pass marks in such Language/Languages.

6. Regulation 8.2 (Revised) for B.A./B.Sc. examination, shall read as under :—

8.2. A candidate who has passed Honours Examination in a Modern Indian Language [Hindi or Urdu or Panjabi (Gurmukhi Script] and/or in a Classical Language (Sanskrit or Persian or Arabic) from the Panjab University, may, if he so desires be exempted from taking the examination in the Language/Languages in which he has passed the Honours examination. If the candidate avails of such exemption, he shall be deemed to have obtained minimum pass marks in such Language/Languages.

Chandigarh

Dated : February 22, 1973

K. C. WALIA
Officer on Special Duty (R)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day the 22nd of February, 1973.

JAGJIT SINGH
Registrar

22—509GI/72

No. 4-73/*O.S.D.*—The Central Government (Ministry of Education and Social Welfare) have accorded approval vide their letter No. 3-13/72-U.I., dated 5-2-1973 to the following Regulation 21 of the Chapter III 'General Regulations for Examinations' relating to the Examination Fees, at page 490 of the Calendar Volume II, 1972 :—

21. Except in the case of members of regular armed forces who belong to the Punjab, Haryana or Union Territory of Chandigarh, an extra fee of Rs. 10 shall be charged from private candidates who apply for an examination from outside these areas, or who appar in an examination held at Delhi or at any other town where the University holds that examination, outside the Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh.

Chandigarh

Dated : February 22, 1973

K. C. WALIA
Officer on Special Duty (R)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day the 22nd of February, 1973.

JAGJIT SINGH
Registrar

No. 5-73/*O.S.D.*—The Central Government (Ministry of Education and Social Welfare) have accorded approval vide their letter No. 3-13/72-U.I., dated 22-1-1973, to the following Regulation 14-10 of Chapter VI 'Conditions of Service of University employees', at pages 92-93 of the Calendar Volume I, 1972 :—

14.10. For purposes of calculation of half-yearly interest payable to the depositor, amount less than 50 paise will be ignored. If the amount comes to more than 50 paise, it shall be rounded off to a full rupee.

Chandigarh

Dated : 22-2-1973

K. C. WALIA
Officer on Special Duty (R)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day the 22nd of February, 1973.

JAGJIT SINGH
Registrar

No. 6-73/*O.S.D.*—The Central Government (Ministry of Education & S.W.) have accorded approval vide their letter No. 3-6/72-U.I., dated 25-1-1973 to the following Regulations :—

1. Regulation 2 of the Chapter IV(A)(i) 'Dean of University Instruction' at pages 51-52 of the Calendar Volume I, 1972, shall read as under :—

2. Duties and functions of the Dean of University Instruction shall be—

(i) to co-ordinate and supervise admission of students made by the Boards of Control to the various University Departments.

(ii) to decide applications for exemption from payment of University tuition fee up to 10 per cent of the total number of students in a class. If the number of students in a class is less than ten, the Dean of University Instruction may grant full or half-fee concession to one student.

(iii) to submit to the Academic Council time-tables of all University classes including Regional

Centres, evening classes, diploma courses, etc., and lists of holiday and to see that the same are properly pursued.

(iv) to arrange for the accommodation of all University classes including evening classes, diploma courses, etc., *provided in the case of Regional Centre at Rohtak for which the Director of the Centre shall make such arrangements.*

(v) to see that the discipline and routine in all University classes, including evening classes, diploma course, etc., is maintained in accordance with wishes and decisions of the Boards of Control and Academic Council. He shall exercise control through the Heads of the departments concerned. *Provided that in case of Regional Centre at Rohtak, the Director of the Centre shall exercise these powers.*

(vi) to call for and examine proposals from affiliated degree colleges for permission to start Honours classes, before referring them to the Academic Council.

(vii) to co-ordinate, wherever necessary, the work of the teaching staff of the University teaching departments, but not to interfere with or directly control the work of the Heads of Departments in their respective departments.

(viii) to sanction casual leave to the members of the teaching staff in the departments.

(ix) to make recommendations to the Vice-Chancellor in regard to grant of privilege leave and to suggest consequential arrangements in all University classes including evening classes, diploma courses, etc.

(x) to appoint, control and remove class C employees except chowkidars in the University Teaching Departments, subject to Regulations and Rules, if any.

(xi) to operate the accounts of Amalgamated Fund allocated for academic activities of students as per Rules approved by Syndicate.

(xii) to maintain service books of the staff employed in the University Teaching Departments and such other relevant records as may be necessary.

(xiii) to make arrangements for extension lectures and to recommend to the Vice-Chancellor delegates to the various conferences.

(xiv) to guide the students proceeding abroad for higher studies and to look after the work of the Foreign Information Bureau.

2. Regulation 6 of the Chapter V(A) 'University Teachers' at page 59 of the Calendar, Volume I, 1972, shall read as under :—

6. Save as provided in Regulations 5 and 8, whenever a Professor or a Reader is to be appointed Syndicate shall appoint a Selection Committee consisting of five persons, atleast two of whom shall be experts, in the subject concerned, from outside the territorial jurisdiction of the University.

This Committee shall interview suitable persons and make recommendations which will be placed before the Syndicate. If the Syndiacte does not accept the recommendation of the Selection Committee it may order re-advertisement of the post or take such other action as may be considered necessary.

The Committee, in recommending a person for appointment as Professor or Reader, shall have regard to (i) his capacity for research, (ii) his ability as a teacher, and (iii) generally his eminence in the subject of his profession.

Chandigarh
Dated : 22-2-1973.

K. C. WALIA
Officer on Special Duty (R)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day the 22nd of February, 1973.

JAGJIT SINGH
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973